छत्तीसगढ़ शासन

# प्रशासकीय प्रतिवेदन

## वर्ष 2019-20

माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक, दिनांक-27 अगस्त 2019

## आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

विश्व आदिवासी दिवस 2019 के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री एवं मंत्रिगण द्वारा
जनजातीय प्रतिभाओं का सम्मान

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की राज्य स्तरीय नृत्य प्रतियोगिता में विजेता दल

# प्रशासकीय प्रतिवेदन

## वर्ष 2019 - 20

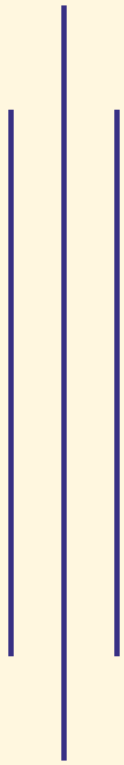

## छत्तीसगढ़ शासन

## आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

## छत्तीसगढ़ शासन

विभाग का नाम - आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

भार साधक मंत्री - माननीय डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम

## मंत्रालय

सचिव - श्री डी.डी. सिंह

संयुक्त सचिव - श्री डी.डी. कुंजाम

संयुक्त सचिव - श्री एम. एम. मिंज

संयुक्त सचिव - श्री विपिन मांझी

वित्तीय सलाहकार - श्री रूद्र प्रताप सिंह चौहान

## संचालनालय

आयुक्त सह संचालक - श्री मुकेश कुमार बंसल
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास,
नवा रायपुर अटल नगर

## आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (TRI), रायपुर

संचालक - श्री आशीष कुमार भट्ट

# विषय-सूची


| क्रमांक | विषय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| | **भाग-एक** | |
| 1 | विभाग की संरचना | 1 |
| 2 | विभाग का परिचय | 2-3 |
| 3 | विभाग का दायित्व एवं कार्य | 4-5 |
| 4 | विभाग के अधीन गठित आयोग / मण्डल एवं अन्य समितियाँ | 6-11 |
| 5 | महत्वपूर्ण सांख्यिकीय जानकारी | 12-14 |
| | **भाग-दो** | |
| 6 | विभागीय बजट 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 (दिसम्बर 2019 की स्थिति में) | 17 |
| 7 | विभाग द्वारा संचालित योजनाएँ 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धियों का तुलनात्मक विवरण | 18-23 |
| | **भाग-तीन** | |
| 8 | विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएँ | 27-76 |
| 9 | छत्तीसगढ़ राज्य अन्त्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम | 77-78 |
| 10 | वन अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन | 79-82 |
| 11 | अनुसूचित जनजाति उपयोजना और अनुसूचित जाति उपयोजना | 83-84 |
| | **भाग-चार** | |
| 12 | आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान | 87-90 |
| 13 | आदिवासी एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण | 91-92 |
| | **भाग-पांच** | |
| 14 | फ्लैगशिप योजनाएं | 95-104 |
| | **भाग-छः** | |
| 15 | सारांश | 107-108 |

# भाग -एक

# छत्तीसगढ़ का मानचित्र

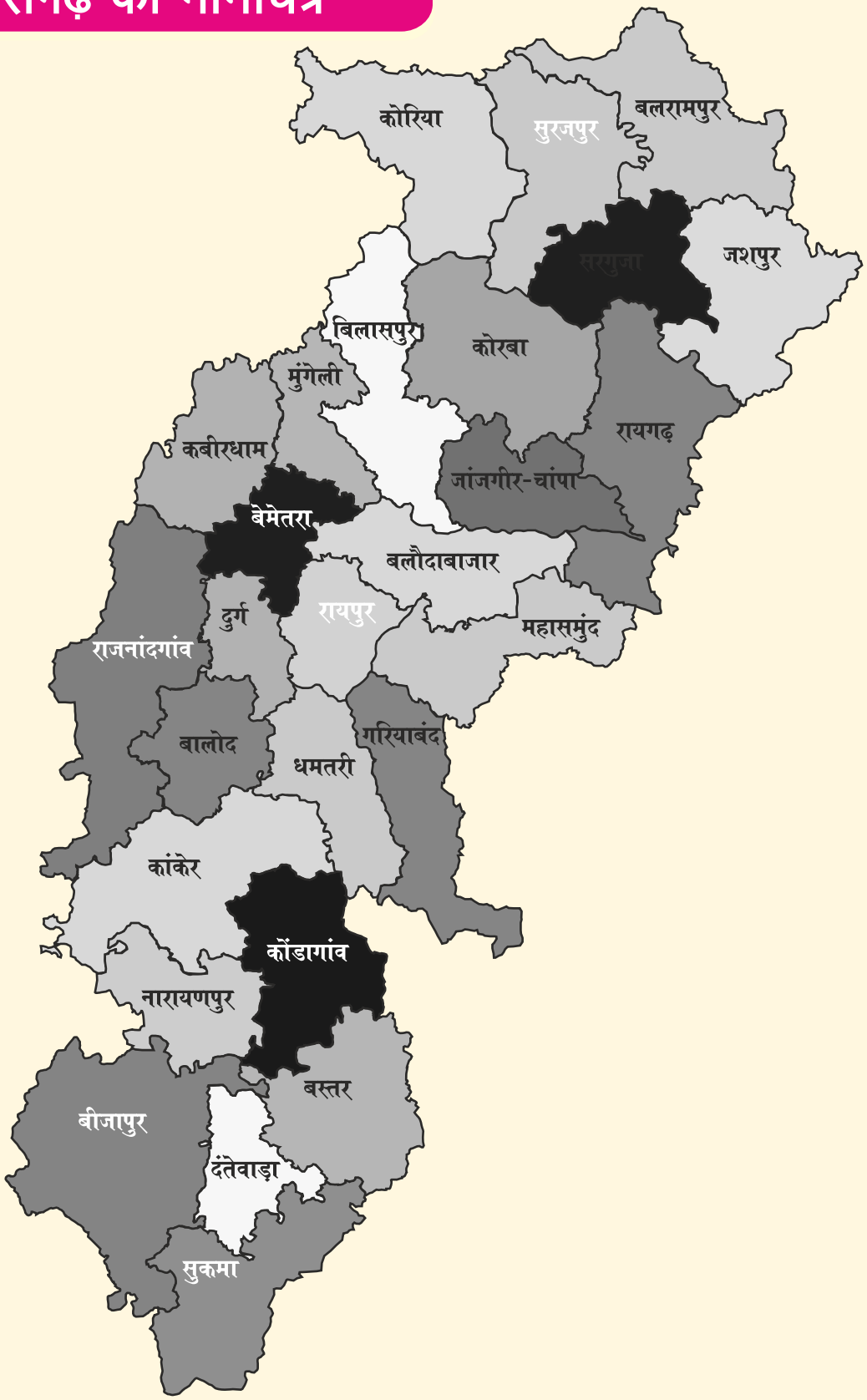

# विभाग की संरचना

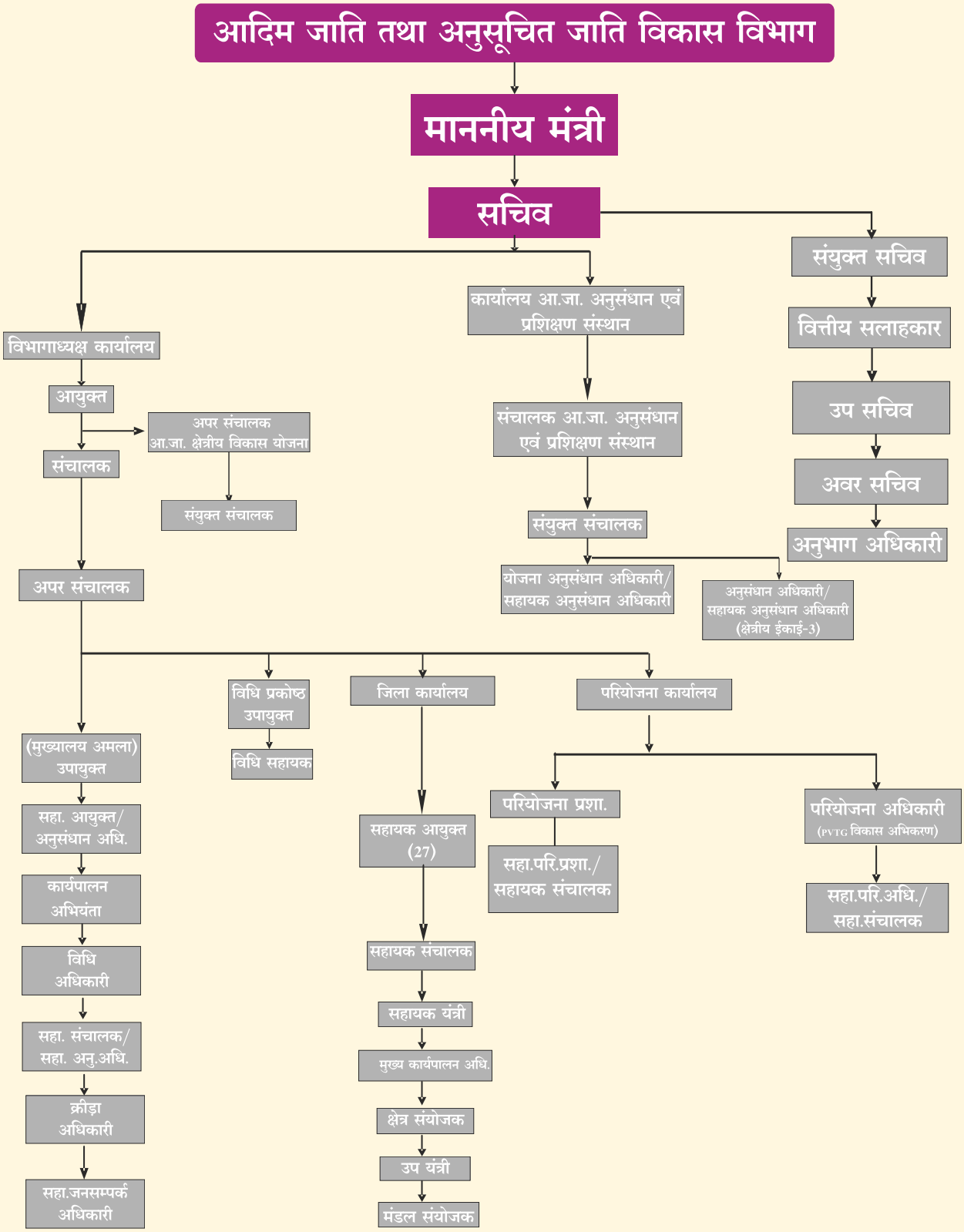
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
माननीय मंत्री
सचिव
संयुक्त सचिव
वित्तीय सलाहकार
उप सचिव
अवर सचिव
अनुभाग अधिकारी
विभागाध्यक्ष कार्यालय
आयुक्त
अपर संचालक आ.जा. क्षेत्रीय विकास योजना
संयुक्त संचालक
संचालक
अपर संचालक
कार्यालय आ.जा. अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
संचालक आ.जा. अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
संयुक्त संचालक
योजना अनुसंधान अधिकारी/ सहायक अनुसंधान अधिकारी
अनुसंधान अधिकारी/ सहायक अनुसंधान अधिकारी (क्षेत्रीय ईकाई-3)
(मुख्यालय अमला) उपायुक्त
सहा. आयुक्त/ अनुसंधान अधि.
कार्यपालन अभियंता
विधि अधिकारी
सहा. संचालक/ सहा. अनु.अधि.
क्रीड़ा अधिकारी
सहा.जनसम्पर्क अधिकारी
विधि प्रकोष्ठ उपायुक्त
विधि सहायक
जिला कार्यालय
सहायक आयुक्त (27)
सहायक संचालक
सहायक यंत्री
मुख्य कार्यपालन अधि.
क्षेत्र संयोजक
उप यंत्री
मंडल संयोजक
परियोजना कार्यालय
परियोजना प्रशा.
सहा.परि.प्रशा./ सहायक संचालक
परियोजना अधिकारी (PVTG विकास अभिकरण)
सहा.परि.अधि./ सहा.संचालक

# विभाग का परिचय

भारत के संविधान के अनुच्छेद–46, में सौंपे गए कर्तव्य ''अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए'' संविधान के अनुच्छेद–244 एवं संविधान के अनुच्छेद–275 (1) में विहित दायित्वों के निर्वहन के लिए संविधान के अनुच्छेद–164 के अंतर्गत विहित प्रावधान के अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग का गठन किया गया है।

भारत के संविधान में व्यक्त 'सामाजिक न्याय' के संकल्प ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को 'समानता के अधिकार' से संपन्न करते हुए उनकी प्रगति के रास्ते खोल दिए हैं।

संविधान की मंशा के अनुरूप आदिवासियों और अनुसूचित जाति के शैक्षणिक विकास एवं आर्थिक उन्नति की योजनाएँ बनीं। उन्हें क्रियान्वित कर संबंधित वर्गों को विकास–यात्रा में शामिल करने के निरंतर प्रयास हुए। इन प्रयासों के परिणाम भी सामने आए। इन वर्गों के लिए मानव अधिकार सूचकांक में अपेक्षाकृत सुधार परिलक्षित हुआ है। साक्षरता का प्रतिशत बढ़ा है। शिक्षा के क्षेत्र में आदिवासी एवं अनुसूचित जाति समुदायों की विशिष्ट उपलब्धियाँ रेखांकित की जाने लगीं है। सामाजिक, आर्थिक विकास के फलस्वरूप इन वर्गों की प्रतिष्ठा में लगातार वृद्धि हुई है। शासन–प्रशासन में इनकी सहभागिता सम्मानजनक रूप से बढ़ी है। फिर भी विकास की यह यात्रा अभी और लंबी है एवं प्रगति के अनगिनत सोपान तय किए जाने है।

## प्रशासनिक संरचना :-

विभाग की प्रशासनिक संरचना के अंतर्गत माननीय मंत्री जी के निर्देशन में विभाग के प्रशासनिक कार्यों के साथ–साथ पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण के दायित्वों का भी निष्पादन किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए प्रतिबद्धता केवल आदिवासियों के विकास के लिए ही नहीं बल्कि उनके उत्पीड़न के उन्मूलन के लिए भी है। साथ ही साथ यह विभाग आदिवासियों की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए समाज के अन्य पिछड़े, शोषित एवं वंचित वर्गों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए कृत संकल्प है।

## अ. मंत्रालय

मंत्रालय स्तर पर सचिव का पद सृजित है। मंत्रालय स्तर पर सचिव के अधीनस्थ विभागीय कार्यों के संपादन के लिए संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव, वित्तीय सलाहकार तथा विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी कार्यरत हैं।

आदिम जाति और अनुसूचित जाति समुदायों के विकास की योजनाएँ तैयार कर उन्हें बेहतर ढंग से क्रियान्वित करने का दायित्व मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय का है। छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासनिक कार्यों की व्यवस्था एवं अनुश्रवण

से संबंधित समस्त प्रशासनिक विभागों के विकास कार्यक्रमों/योजनाओं की समीक्षा नोडल विभाग के रूप में की जाती है। अन्य विकास विभागों से समन्वय की भूमिका भी इस विभाग की है। अतः अनुसूचित वर्गों के समुचित विकास के संदर्भ में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की दोहरी जिम्मेदारी है।

## ब. विभागाध्यक्ष

छत्तीसगढ़ में आदिम जाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्गों के कल्याण हेतु एक विभागाध्यक्ष पद का सृजन किया गया है। विभाग के विभागाध्यक्ष आयुक्त होते हैं। आयुक्त मुख्यालय अमला एवं क्षेत्रीय अमला के मुख्य नियंत्रणकर्ता अधिकारी होते हैं। मुख्यालय स्तर पर आयुक्त के अधीनस्थ संचालक, अपर संचालक, उपायुक्त तथा सहायक आयुक्त एवं अन्य अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं।

## विधि प्रकोष्ठ :-

विधि प्रकोष्ठ में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायाधिकरणों में प्रस्तुत मामलों का प्रभारी अधिकारी नियुक्त कराने, प्रकरणों में जवाबदावा प्रस्तुत कराने, प्रकरणों का निपटारा कराने, सही समय पर शासन का पक्ष प्रस्तुत करने के साथ अनुश्रवण एवं समीक्षा के कार्य किए जाते हैं। विधि प्रकोष्ठ का प्रमुख उपायुक्त स्तर का अधिकारी होता है। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में होने के कारण यह कार्यालय भी बिलासपुर में रखे जाने का निर्णय लिया जाकर कार्यालय को रायपुर से बिलासपुर स्थानांतरित किया गया है।

## स. जिला स्तर

छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों में विभागीय कार्यक्रमों/योजनाओं के क्रियान्यवन हेतु विभागीय सहायक आयुक्त के पद स्वीकृत हैं। इनके द्वारा मुख्यतः जिले में आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति के विकास हेतु छात्रावास, आश्रम, स्कूल का प्रबंधन, अनुश्रवण एवं समीक्षा जिलाध्यक्ष के नियंत्रण में सम्पन्न किया जाता है। सहायक आयुक्त कार्यालय के अधीन जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, माडा पाकेट, लघु अंचल विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरण होते हैं। प्रदेश के 85 विकास खण्ड आदिवासी विकास खण्ड घोषित हैं। इन विकास खण्डों में 85 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पदस्थ हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में 09 माडा पॉकेट, 02 लघु अंचल तथा 08 विशेष रूप से कमजोर जनजाति विकास अभिकरण एवं 09 विशेष रूप से कमजोर जनजाति प्रकोष्ठ संचालित हैं।

## द. परियोजना स्तर

आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार आदिवासी जनसंख्या के आधार पर एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाएँ संचालित हैं। एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना कार्यालय के प्रमुख परियोजना प्रशासक संयुक्त संचालक स्तर के होते हैं। राज्य में कुल 19 एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाएँ संचालित हैं।

# विभाग का दायित्व एवं कार्य

- संविधान की पाँचवी अनुसूची के अधिकारों और आदिवासी क्षेत्रों के हितों के संरक्षण के लिए प्रहरी के रूप में कार्य करना।
- अनुसूचित जाति/जनजाति के शैक्षणिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए योजनाओं का संचालन।
- आदिवासी उपयोजना तथा अनुसूचित जाति उपयोजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विकास विभागों को बजट आवंटन उपलब्ध कराना, नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करना एवं योजनाओं का अनुश्रवण करना।
- विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के विकास के लिए योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन।
- विशेष केंद्रीय सहायता से संचालित योजनाओं का पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना।
- पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण हेतु भारत सरकार के निर्देशानुसार कार्यक्रमों/योजनाओं का संचालन।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को अन्य सक्षम वर्गों के द्वारा शोषित एवं उत्पीड़ित किए जाने की स्थिति में शोषित वर्गों को संवैधानिक संरक्षण, राहत एवं पुर्नवास की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वित्तीय एवं प्रशासकीय व्यवस्था करने का दायित्व।

## विभाग का कार्य :-

- विभागीय अमले से संबंधित समस्त प्रशासकीय कार्य।
- आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग के विकास से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण।
- आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग के विकास की योजनाओं के लिए बजट आबंटन उपलब्ध कराना। मांग संख्या 15,33,41,49,64,66,68 एवं 82 के अंतर्गत आदिम जाति, अनसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन।
- आदिवासी उपयोजना तथा अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत विभिन्न विभागों को प्राप्त बजट आवंटन की निरंतर समीक्षा एवं योजनाओं का अनुश्रवण।
- विशेष केंद्रीय सहायता से संचालित योजनाओं का निर्माण, पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन। केन्द्र प्रवर्तित एवं केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाओं के संचालन का अनुश्रवण।
- विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के विकास के लिए योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन।
- अनुसूचित जाति, जनजाति के जाति प्रमाण–पत्रों का परीक्षण।

- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989, संशोधन अधिनियम 2015 एवं संशोधन अधिनियम 2018, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम–1955, अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2007 यथा संशोधित नियम 2012 का क्रियान्वयन एवं हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के क्रियान्वयन की समीक्षा।
- आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से आदिवासियों के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास के अंतर्गत सतत् परिवर्तन का अध्ययन तथा नियमित अनुसंधान एवं समस्याओं का अनवरत आकलन कर वैज्ञानिक समाधान के साथ आवश्यक सुझाव देना।

# विभाग के अधीन गठित आयोग/मंडल एवं अन्य समितियाँ

## 1. जनजाति सलाहकार परिषद :-

संविधान की पाँचवीं अनुसूची के प्रावधान अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में समीक्षा हेतु मान. मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आदिम जाति मंत्रणा परिषद् गठन का प्रावधान है, जिसके उपाध्यक्ष विभागीय मंत्री जी होते है। साथ ही इस परिषद का सचिव, अपर मुख्य सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास होता है। इसमें तीन चौथाई सदस्य अनुसूचित जनजाति वर्ग के विधानसभा सदस्य होने चाहिए। छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्र./एफ–20–2/2019/25–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक–23 जुलाई 2019 के द्वारा छत्तीसगढ़ जन जाति सलाहकार परिषद् नियम 2006 के उप नियम 3 एवं 4 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के लिए इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27.06.2014 एवं 02.12.2016 द्वारा छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद् का गठन किया गया है। उक्त अधिसूचना को अतिष्ठित करते हुए राज्य शासन निम्नानुसार छत्तीसगढ जनजाति सलाहकार परिषद् का गठन करता है :–

| | | |
|---|---|---|
| 1. | मान. मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन | अध्यक्ष |
| 2. | मान. डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, मंत्री, आ.जा.तथा अनु.जा.वि.विभाग | उपाध्यक्ष |
| 3. | मान. श्री रामपुकार सिंह, विधायक, पत्थलगांव | उपाध्यक्ष |
| 4. | मान. श्री अमरजीत भगत, मंत्री, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी संस्कृति विभाग | सदस्य |
| 5. | मान. श्री लखेश्वर बेघल, विधायक, बस्तर | सदस्य |
| 6. | मान. श्री बृहस्पति सिंह, विधायक, रामानुजगंज | सदस्य |
| 7. | मान. श्री गुलाब कमरो, विधायक, भरतपुर–सोनहत | सदस्य |
| 8. | मान. श्रीमती लक्ष्मी ध्रुव, विधायक, नगरी सिहावा | सदस्य |
| 9. | मान. श्री दीपक बैज, सांसद, बस्तर | सदस्य |
| 10. | मान. श्री मोहन मरकाम, विधायक, कोण्डागांव | सदस्य |
| 11. | मान. श्री चिंतामणी महाराज, विधायक, सामरी | सदस्य |
| 12. | मान. श्री मनोज मण्डावी, विधायक, भानूप्रतापपुर | सदस्य |
| 13. | मान. श्री विनय भगत, विधायक, जशपुर | सदस्य |
| 14. | मान. श्री चक्रधर सिंह, विधायक, लैलूंगा | सदस्य |
| 15. | मान. श्री शिशुपाल शोरी, विधायक, कांकेर | सदस्य |

16. मान. श्री अनूप नाग, विधायक, अंतागढ़ — सदस्य

17. मान. श्री इंद्रशाह मण्डावी, विधायक, मोहला–मानपुर — सदस्य

18. मान. श्री बोधराम कंवर, पूर्व विधायक, कटघोरा — सदस्य

19. मान. श्रीमती देवती कर्मा, पूर्व विधायक, दंतेवाड़ा — सदस्य

20. सचिव छत्तीसगढ़ शासन, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग — सदस्य / सचिव

2 – विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों से मनोनीत सदस्य उस समय तक परिषद् के सदस्य रहेंगे जब तक कि वे विधान सभा के सदस्य रहेंगे। अन्य सदस्य परिषद् में उनके मनोनयन की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक परिषद् के सदस्य रहेंगे।

## 2. राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति :-

राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 23 सहपठित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 यथा संशोधन नियम, 2018 के नियम 16 के अंतर्गत दिनांक 05.03.2019 के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में 55 सदस्यीय राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति का पुनर्गठन किया गया है। पूर्व में राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति की बैठक दिनांक 26.07.2019 को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित की जा चुकी है। जिला स्तर पर कैलेण्डर वर्ष 2019 में जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति की 51 बैठकें आयोजित की गई है।

माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति की बैठक

### 3. छ.ग. राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग :-

राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम–1995 के प्रावधानों के अनुसार तीन सदस्यीय आयोग गठित है। वर्तमान में आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य का पद रिक्त है। वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु प्रावधानित राशि रू. 208.40 लाख है। यह प्रावधानित राशि 208.40 लाख रू. आयोग को जारी की जा चुकी है।

### 4. छ.ग. राज्य अनुसूचित जाति आयोग :-

राज्य में अनुसूचित जाति के हित प्रहरी के रूप में कार्य करने हेतु अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है। वर्तमान में आयोग के अध्यक्ष पद पर माननीय श्री रामजी भारती पदस्थ हैं एवं सदस्य का पद रिक्त है। वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु प्रावधानित राशि रू. 218.70 लाख है। यह प्रावधानित राशि 218.70 लाख रू. आयोग को जारी की जा चुकी है।

### 5. छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग :-

अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों के सतत् पहचान ,खोजबीन तथा फर्जी जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करने, शासकीय सुविधाओं का लाभ प्रदान करने के लिए सुझाव देने तथा इस वर्ग के हित प्रहरी के रूप में कार्य करने हेतु छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग 1995 के प्रावधान अनुसार अध्यक्ष पद पर डॉ. श्री सियाराम साहू पदस्थ हैं एवं सदस्य का पद रिक्त है। वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु प्रावधानित राशि रू. 173.10 लाख है। प्रावधानित राशि में से राशि रू. 173.10 लाख आयोग को जारी की जा चुकी है।

### 6. राज्य अल्पसंख्यक आयोग :-

राज्य के अधीन अल्पसंख्यकों को संवैधानिक प्रगति का मूल्यांकन, अल्पसंख्यक के विरूद्ध किसी भेदभाव के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं का अध्ययन, दूर करने के उपाय, अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विषयों अध्ययन, अनुसंधान, विश्लेषण के उद्देश्य के लिए राज्य अल्पसंख्यक आयोग नियम 1996 की धारा–3 (2) के तहत अध्यक्ष एवं सदस्य का पद स्वीकृत है। जिसमें अध्यक्ष श्री महेन्द्र छाबड़ा जी को मनोनीत किया गया है। तथा दो सदस्य श्री हफीज खान एवं श्री अनिल जैन को मनोनयन किया गया हैं। वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु प्रावधानित राशि रू. 268.40 लाख है। प्रावधानित राशि 268.40 लाख आयोग को जारी की जा चुकी है।

### 7. राज्य हज कमेटी :-

हज कमेटी एक्ट 2002 के प्रावधान अनुसार राज्य में हज समिति गठित है। हज कमेटी का मुख्य कार्य प्रदेश के हज यात्रियों के लिए संपूर्ण व्यवस्था करना, सेंट्रल हज कमेटी एवं विदेश मंत्रालय भारत सरकार से समय–समय पर प्राप्त निर्देशों के अनुरूप हज यात्रियों की व्यवस्था, हज यात्रियों के आवेदन प्राप्त करना, पंजीयन, चयन, प्रशिक्षण, टीकाकरण, पासपोर्ट आदि तैयार करवाना है। कमेटी अंतर्गत 11 सदस्यों का मनोनयन किया गया हैं, जिसमें से श्री मो. असलम खान, अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित किये गये हैं। वित्तीय

वर्ष 2019–20 हेतु प्रावधानित राशि रू. 120.00 लाख है। प्रावधानित राशि 120.00 लाख जारी की जा चुकी है।

### 8. छ.ग. राज्य वक्फ बोर्ड :-

वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 के प्रावधान अनुसार छ.ग. राज्य वक्फ बोर्ड का गठन किया गया है। वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्य मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान व दरगाह, ईदगाह की देखरेख, केन्द्रीय वक्फ बोर्ड अधिनियम–1995 के तहत निर्देशों का पालन मुतवल्लियों का चुनाव सम्पन्न करना। वक्फ बोर्ड में अध्यक्ष के पद पर माननीय सलाम रिजवी एवं 05 सदस्य हैं। वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु प्रावधानित राशि रू. 132.00 लाख है। प्रावधानित राशि 132.00 लाख जारी की जा चुकी है।

### 9. राज्य उर्दू अकादमी :-

राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 01.10.2003 द्वारा उर्दू अकादमी का गठन किया गया है। अकादमी का कार्य छ.ग. राज्य में उर्दू भाषा, तालिम एवं उर्दू साहित्य के प्रोत्साहन संरक्षण के लिए आवश्यक प्रयत्न करना, नए रचनात्मक/आलोचनात्मक उर्दू साहित्य प्रकाशन, साहित्य सम्मेलन, परिचर्चा, गोष्ठियों, बीमार लेखकों को माली मदद करना आदि है। वर्तमान में अध्यक्ष एवं सदस्य का पद रिक्त हैं। वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु प्रावधानित राशि रू. 250.00 लाख है। प्रावधानित राशि में से 230.00 लाख जारी की जा चुकी है।

### 10. वक्फ अधिकरण :-

वक्फ संपत्तियों संबंधी विषयों के निराकरण के लिए राज्य में वक्फ अधिकरण गठित है। पीठासीन अधिकारी की स्थापना कर ली गई है। वक्फ अधिकरण द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। पीठासीन अधिकारी के पद पर मान. श्री लीलाधर सारथी पीठासीन अधिकारी (जिला न्यायाधीश) पदस्थ है एवं एक सदस्य श्री शकील अहमद, शासकीय अधिवक्ता का मनोनयन किया गया हैं। वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु प्रावधानित राशि रू. 92.90 लाख है। यह प्रावधानित राशि रू. 92.90 लाख आयोग को जारी की जा चुकी है।

### 11. विशेष रूप से कमजोर जनजाति विकास अभिकरण :-

छ.ग.राज्य में भारत सरकार द्वारा घोषित 05 विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह क्रमशः बैगा, पहाड़ी कोरवा, अबूझमाड़िया, कमार एवं बिरहोर निवासरत है। इनके लिये समग्र विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु 06 विशेष रूप से कमजोर जनजाति विकास अभिकरण एवं 09 प्रकोष्ठ का निम्नानुसार गठन किया गया है :–

| क्र. | जिला | विशेष रूप से कमजोर जनजाति विकास अभिकरण/प्रकोष्ठ का नाम |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | कबीरधाम | बैगा विकास अभिकरण – कबीरधाम |
| 2 | मुंगेली | बैगा विकास प्रकोष्ठ – मुंगेली |
| 3 | राजनांदगांव | बैगा विकास प्रकोष्ठ – राजनांदगांव |
| 4 | कोरिया | बैगा विकास प्रकोष्ठ – बैकुंठपुर |
| 5 | बिलासपुर | बैगा एवं बिरहोर विकास अभिकरण – बिलासपुर |
| 6 | सरगुजा | पहाडी कोरवा विकास अभिकरण – अम्बिकापुर |
| 7 | बलरामपुर | पहाड़ी कोरवा विकास प्रकोष्ठ – बलरामपुर |
| 8 | जशपुर | पहाडी कोरवा एवं बिरहोर विकास अभिकरण – जशपुर |
| 9 | कोरबा | पहाडी कोरवा एवं बिरहोर विकास प्रकोष्ठ – कोरबा |
| 10 | रायगढ़ | बिरहोर विकास प्रकोष्ठ – धरमजयगढ़ |
| 11 | गरियाबंद | कमार विकास अभिकरण – गरियाबंद |
| 12 | धमतरी | कमार विकास प्रकोष्ठ – नगरी |
| 13 | कांकेर | कमार विकास प्रकोष्ठ – भानुप्रतापपुर |
| 14 | महासमुंद | कमार विकास प्रकोष्ठ – महासमुंद |
| 15 | नाारायणपुर | अबूझमाड़ विकास अभिकरण – नारायणपुर |

वित्तीय वर्ष 2019–20 में इनके लिये विशेष केन्द्रीय सहायता योजना अंतर्गत राशि रू.119.84 लाख एवं केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना अंतर्गत राशि रू. 530.14 लाख का आबंटन जारी किया गया है।

इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा घोषित 02 विशेष रूप से कमजोर जनजाति पण्डो एवं भुंजिया के समग्र विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु सूरजपुर में पण्डो विकास अभिकरण तथा गरियाबंद में भुंजिया विकास अभिकरण का गठन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में इनके लिये राज्य आयोजना मद से राशि रू.100.00 लाख का आबंटन जारी किया गया है।

इन अभिकरणों के राशि निकाय हेतु संबंधित विशेष रूप से कमजोर जनजाति के सदस्य को अध्यक्ष/सदस्यों के रूप में शासन स्तर से मनोनयन किया जाता है।

## 12. सर्वेक्षण आयुक्त :-

वक्फ संपत्तियों संबंधी विषयों के निराकरण के लिए राज्य में वक्फ सर्वेक्षण गठित है। पीठासीन अधिकारी की स्थापना कर ली गई है। वक्फ सर्वेक्षण द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। सर्वेक्षण आयुक्त के पद पर श्री विपीन माझी ( आई.ए.एस ) पदस्थ है। वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु प्रावधानित राशि रू. 5.80 लाख है।

## 13. राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षिणिक संस्थान समिति

भारत सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान राशि से वर्तमान में प्रदेश में 42 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित हैं। जिनके संचालन हेतु एक राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति गठित है। मान. विभागीय मंत्री इस समिति के संचालक मंडल के पदेन अध्यक्ष एवं आयुक्त आदिम जाति तथा अनु.जाति विकास विभाग इसके पदेन सचिव होते हैं।

माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित संचालक मंडल की बैठक

# महत्वपूर्ण सांख्यिकीय जानकारी

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.** | **राज्य का क्षेत्रफल** | | 135192 वर्ग कि.मी. |
| | 1.1 | राज्य का अनुसूचित क्षेत्र | 81,861.88 वर्ग कि.मी. |
| | 1.2 | राज्य का आदिवासी उपयोजना क्षेत्र | 88000 वर्ग कि.मी. |
| | 1.3 | राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल से प्रतिशत | 65.12 |
| **2.** | **जनगणना (2011)** | | |
| | 2.1 | कुल जनसंख्या | 255.45 लाख |
| | 2.2 | अनुसूचित जनजाति | 78.22 लाख 30.62% |
| | 2.3 | अनुसूचित जाति | 32.47 लाख 12.81% |
| **3.** | **(अ) साक्षरता का प्रतिशत (वर्ष 2011)** | | |
| | 3.1 | औसत | 70.28% |
| | 3.2 | पुरुष | 80.27% |
| | 3.3 | महिला | 60.24% |
| | **(ब) अनुसूचित जनजाति की साक्षरता (वर्ष 2011)** | | |
| | 3.1 | औसत | 59.09 |
| | 3.2 | पुरुष | 69.67 |
| | 3.3 | महिला | 48.76 |
| | **(स) अनुसूचित जाति की साक्षरता (वर्ष 2011)** | | |
| | 3.1 | औसत | 70.76 |
| | 3.2 | पुरुष | 81.66 |
| | 3.3 | महिला | 59.86 |
| **4.** | **राजस्व जिला** | | 27 |
| | 4.1 | पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र में शामिल जिले<br>बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, कोण्डागांव, सूरजपुर, बलरामपुर सरगुजा, कोरिया, कोरबा, जशपुर। | 13 |
| | 4.2 | आंशिक रूप से आदिवासी उपयोजना/अनुसूचित क्षेत्र में शामिल शेष जिले गरियाबंद, बलौदाबाजार, बालोद, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, महासमुंद, धमतरी, जांजगीर–चांपा, कबीरधाम | 11 |

| | | |
|---|---|---|
| 5. | आदिवासी विकासखंड | 85 |
| 6. | एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना | 19 |
| 7. | माडा पाकेट | 09 |
| 8. | लघु अंचल | 02 |
| 9. | विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह अभिकरण (पण्डो एवं भुंजिया विकास अभिकरणों सहित) | 08 |
| 10. | विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह प्रकोष्ठ | 09 |

## छत्तीसगढ़ राज्य के लिए संविधान की पांचवी अनुसूची के अंतर्गत घोषित अनुसूचित क्षेत्र

भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग–दो, अनुभाग–तीन, उप अनुभाग (1) दिनांक 20 फरवरी वर्ष 2003 में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित निम्नलिखित अनुसूचित क्षेत्र परिभाषित किए गए हैं।

### छत्तीसगढ़

1. सरगुजा जिला (वर्तमान में सरगुजा, बलरामपुर व सूरजपुर जिला)
2. कोरिया जिला
3. बस्तर जिला (वर्तमान में बस्तर, नारायणपुर व कोण्डागांव जिला)
4. दंतेवाड़ा जिला (वर्तमान में दंतेवाड़ा, बीजापुर व सुकमा जिला)
5. कांकेर जिला
6. कोरबा जिला
7. जशपुर जिला
8. बिलासपुर जिले के मरवाही, गौरेला–1 एवं गौरेला–2 आदिवासी विकास खण्ड सामुदायिक विकासखंड का कोटा राजस्व निरीक्षक खंड।
9. दुर्ग जिले (वर्तमान में बालोद जिला) में डौण्डी आदिवासी विकासखंड।
10. राजनांदगांव जिले में चौकी, मानपुर और मोहला आदिवासी विकासखंड।
11. रायपुर जिले (वर्तमान में गरियाबंद जिला) में गरियाबंद, मैनपुर और छुरा आदिवासी विकास खंड।
12. धमतरी जिले में नगरी (सिहावा) आदिवासी विकासखंड।
13. रायगढ़ जिले में धरमजयगढ़, घरघोड़ा, तमनार, लैलूंगा और खरसिया आदिवासी विकासखंड।

**प्रदेश के आदिवासी उपयोजना क्षेत्र निम्नानुसार हैं :-**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | बस्तर | 1. जगदलपुर | | |
| 2. | कोण्डागांव | 2. कोण्डागांव | | |
| 3. | नारायणपुर | 3. नारायणपुर | | |
| 4. | कांकेर | 4. भानुप्रतापपुर | | |
| 5. | दन्तेवाड़ा | 5. दन्तेवाड़ा | | |
| 6. | सुकमा | 6. कोन्टा | | |
| 7. | बीजापुर | 7. बीजापुर | | |
| 8. | गरियाबन्द | 8. गरियाबन्द | | |
| 9. | बलौदाबाजार | | 1. बालौदाबाजार | 1. धुरीबंधा |
| 10. | धमतरी | 9. नगरी | 2. गंगरेल | |
| 11. | महासमुंद | | 3. महासमुंद–1<br>4. महासमुंद–2 | |
| 12. | बालोद | 10. डोण्डीलोहारा | | |
| 13. | राजनांदगांव | 11. राजनांदगांव | 5. नचनियां | 2. बछेराभाटा |
| 14. | कबीरधाम | | 6. कबीरधाम | |
| 15. | सरगुजा | 12. अंबिकापुर | | |
| 16. | सूरजपुर | 13. सूरजपुर | | |
| 17. | बलरामपुर | 14. पाल | | |
| 18. | कोरिया | 15. बैकुण्ठपुर | | |
| 19. | कोरबा | 16. कोरबा | | |
| 20.<br>21. | बिलासपुर<br>मुंगेली | 17. गौरेला | | |
| 22. | जांजगीर–चांपा | | 7. रूगजा | |
| 23. | रायगढ़ | 18. धरमजयगढ़ | 8. गोपालपुर,<br>9. सारंगढ़ | |
| 24. | जशपुर | 19. जशपुरनगर | | |

# भाग - दो

# विभागीय बजट प्रावधान में उतरोत्तर वृद्धि

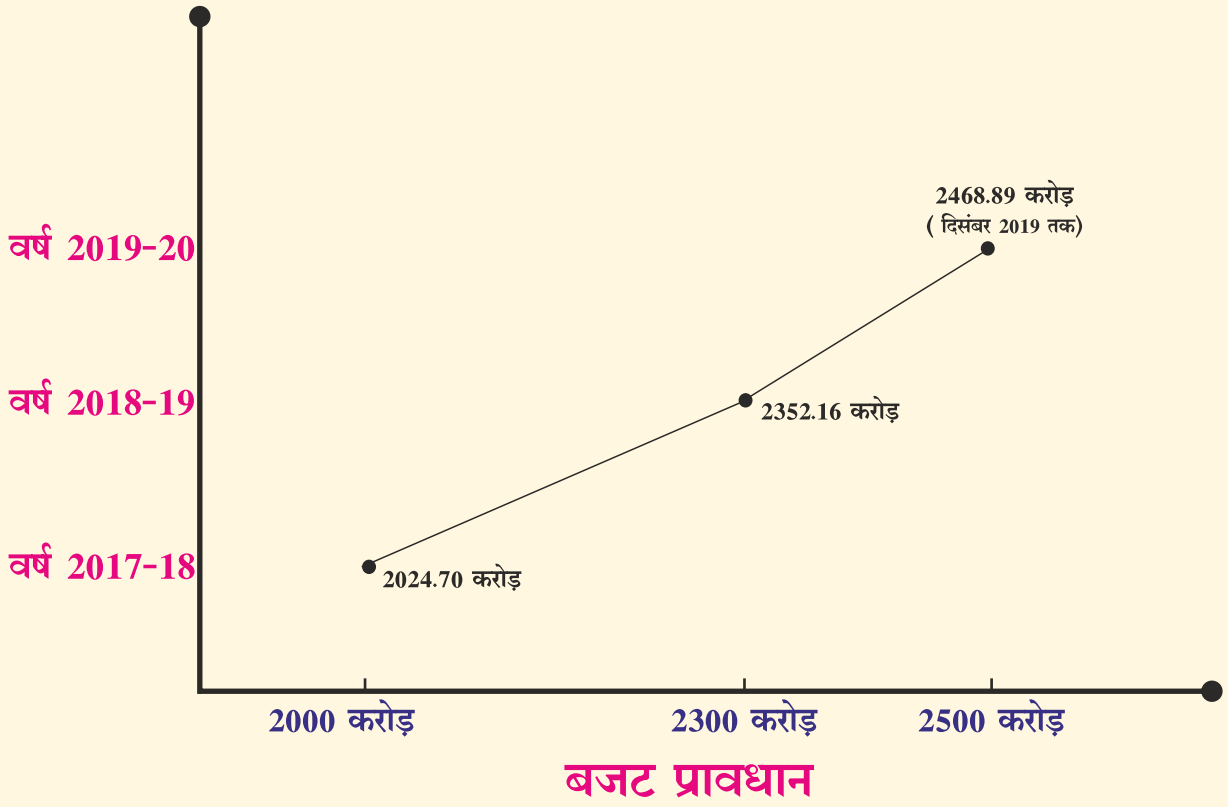

# विभागीय बजट

## विभागीय बजट (2017-18)

(राशि लाख में)

| क्रमांक | योजना | बजट प्रावधान | व्यय | व्यय का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | आदिवासी उपयोजना | 141777.59 | 102373.77 | 72.21 |
| 2 | अनुसचित जाति उपयोजना | 32752.77 | 25452.03 | 77.71 |
| 3 | अन्य पिछडा वर्ग | 15459.30 | 11855.10 | 76.69 |
| 4 | अन्यान्य बजट अनुसूचित जनजाति | 12330.85 | 9790.61 | 79.40 |
| 5 | अन्यान्य बजट अनुसूचित जाति | 150.20 | 142.70 | 95.01 |
| **योगः—** | | **202470.71** | **149614.21** | **73.89** |

## विभागीय बजट (2018-19)

(राशि लाख में)

| क्रमांक | योजना | बजट प्रावधान | व्यय | व्यय का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | आदिवासी उपयोजना | 163075.77 | 96933.86 | 59.44 |
| 2 | अनुसचित जाति उपयोजना | 39240.67 | 21158.00 | 53.92 |
| 3 | अन्य पिछडा वर्ग | 18319.76 | 11239.61 | 61.35 |
| 4 | अन्यान्य बजट अनुसूचित जनजाति | 14370.30 | 9974.65 | 69.41 |
| 5 | अन्यान्य बजट अनुसूचित जाति | 210.30 | 137.74 | 65.50 |
| **योगः—** | | **235216.80** | **139440.92** | **59.28** |

## विभागीय बजट (2019-20) दिसम्बर 2019 की स्थिति में

(राशि लाख में)

| क्रमांक | योजना | बजट प्रावधान | व्यय | व्यय का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | आदिवासी उपयोजना | 171355.38 | 73971.40 | 43.17 |
| 2 | अनुसचित जाति उपयोजना | 43126.48 | 16058.49 | 37.24 |
| 3 | अन्य पिछडा वर्ग | 17570.01 | 6412.70 | 36.50 |
| 4 | अन्यान्य बजट अनुसूचित जनजाति | 14619.40 | 9422.28 | 64.45 |
| 5 | अन्यान्य बजट अनुसूचित जाति | 218.70 | 109.54 | 50.09 |
| **योगः—** | | **246889.97** | **105974.41** | **42.92** |

## (अ) राज्य योजनाएं (अनुसूचित जनजाति)

(राशि लाख में)

| क्र. | योजना का नाम | वर्ष 2017–18 | | | | वर्ष 2018–19 | | | | वर्ष 2019–20 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | बजट प्रावधान | व्यय | भौतिक इकाई | भौतिक उपलब्धि | बजट प्रावधान | व्यय | भौतिक इकाई | भौतिक उपलब्धि | बजट प्रावधान | व्यय | भौतिक इकाई | भौतिक उपलब्धि |
| 1 | आश्रम शाला योजना | 7200.00 | 7072.00 | छात्र/छात्राएं | 74699 | 7586.00 | 7216.78 | छात्र/छात्राएं | 76368 | 8563.00 | 6481.62 | छात्र/छात्राएं | 76151 |
| 2 | छात्रावास योजना | 5750.00 | 5750.00 | छात्र/छात्राएं | 63489 | 6590.00 | 6234.82 | छात्र/छात्राएं | 65977 | 7554.00 | 5602.10 | छात्र/छात्राएं | 66230 |
| 3 | अशासकीय संस्थाओं को अनुदान | 1500.00 | 1000.40 | नियमित 10 संस्था | नियमित 10 संस्था | 1500.00 | 563.05 | नियमित 10 संस्था | नियमित 10 संस्था | 1550.00 | 1468.73 | नियमित 10 संस्था | नियमित 10 संस्था |
| 4 | मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करने की योजना | 1000.00 | 791.50 | छात्र/छात्राएं | 563 | 1000.00 | 722.51 | छात्र/छात्राएं | 622 | 1000.00 | 453.95 | छात्र/छात्राएं | 644 |
| 5 | छात्रावास/आश्रम एवं शाला भवनों का निर्माण | 7900 | 7880.00 | 147 | 108 | 8000.00 | 7600.31 | 100 | 0.00 | 8000.00 | 8000.00 | 126 | 06 |
| 6 | शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार एवं स्व. डॉ. भंवर सिंह पोर्ते आदिवासी सेवा सम्मान | 9.00 | 5.00 | व्यक्ति/संस्था | 2 पुरस्कार | 9.00 | 0.00 | व्यक्ति/संस्था | 0.00 | 9.00 | 4.50 | व्यक्ति/संस्था | 02 |
| 7 | छात्र भोजन सहाय योजना | 900.00 | 853.47 | छात्र/छात्राएं | 16580 | 925.00 | 848.40 | छात्र/छात्राएं | 16948 | 1291.76 | 740.56 | छात्र/छात्राएं | 17222 |
| 8 | विशेष शिक्षण केन्द्र ट्यूशन योजना | 100.00 | 100.00 | छात्र/छात्राएं | 18445 | 120.00 | 120.00 | छात्र/छात्राएं | 15463 | 120.00 | 78.00 | छात्र/छात्राएं | - |
| 9 | खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत छात्रावासियों को खाद्यान्न | 1800.00 | 1800.00 | छात्र/छात्राएं | 165106 | 1800.00 | 1800.00 | छात्र/छात्राएं | 170961 | 2400.00 | 1560.00 | छात्र/छात्राएं | 171271 |
| 10 | युवा कॅरियर निर्माण योजना | 324.00 | 313.99 | छात्र/छात्राएं | 204 | 337.00 | 329.34 | छात्र/छात्राएं | 443 | 466.00 | 297.00 | छात्र/छात्राएं | 348 |
| 11 | मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना | 1516.90 | 1343.43 | छात्र/छात्राएं | 2376 | 2865.80 | 1991.85 | छात्र/छात्राएं | 3332 | 3038.80 | 1991.85 | छात्र/छात्राएं | 4039 |
| 12 | आर्यभट्ट वाणिज्य/विज्ञान विकास केन्द्र | 198.00 | 150.90 | छात्र/छात्राएं | 514 | 198.00 | 145.70 | छात्र/छात्राएं | 489 | 307.70 | 32.97 | छात्र/छात्राएं | 610 |

## (अ) राज्य योजनाएं (अनुसूचित जाति)

(राशि लाख में)

| क्र. | योजना का नाम | वर्ष 2017–18 | | | | वर्ष 2018–19 | | | | वर्ष 2019–20 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | बजट प्रावधान | व्यय | भौतिक इकाई | भौतिक उपलब्धि | बजट प्रावधान | व्यय | भौतिक इकाई | भौतिक उपलब्धि | बजट प्रावधान | व्यय | भौतिक इकाई | भौतिक उपलब्धि |
| 1 | आश्रम शाला योजना | 336.00 | 297.67 | छात्र/छात्राएं | 3150 | 355.00 | 320.26 | छात्र/छात्राएं | 3389 | 389.00 | 280.69 | छात्र/छात्राएं | 3099 |
| 2 | अशासकीय संस्थाओं को अनुदान | 125.00 | 95.90 | नियमित 01 संस्था | नियमित 01 संस्था | 135.50 | 100.79 | नियमित 01 संस्था | नियमित 01 संस्था | 110.00 | 110.00 | नियमित 01 संस्था | नियमित 01 संस्था |
| 3 | पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति | 4967.25 | 4967.25 | छात्र/छात्राएं | 95116 | 3920.00 | 2744.00 | छात्र/छात्राएं | 99543 | 5045.00 | 2018.00 | छात्र/छात्राएं | |
| 4 | विशेष शिक्षण केन्द्र ट्यूशन योजना | 50.00 | 50.00 | छात्र/छात्राएं | 6200 | 50.00 | 14.36 | छात्र/छात्राएं | 4937 | 50.00 | 32.50 | छात्र/छात्राएं | - |
| 5 | छात्रावास योजना | 1500.00 | 1367.88 | छात्र/छात्राएं | 14509 | 1580.00 | 79.38 | छात्र/छात्राएं | 15552 | 1742.00 | 130680 | छात्र/छात्राएं | 15163 |
| 6 | छात्र भोजन सहाय योजना | 282.00 | 257.36 | छात्र/छात्राएं | 5013 | 278.00 | 255.00 | छात्र/छात्राएं | 5248 | 388.23 | 212.31 | छात्र/छात्राएं | 4930 |
| 7 | मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करने की योजना | 400.00 | 386.57 | छात्र/छात्राएं | 322 | 400.00 | 262.94 | छात्र/छात्राएं | 272 | 400.00 | 270.14 | छात्र/छात्राएं | 311 |
| 8 | खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत छात्रावासियों को खाद्यान्न | 261.00 | 261.00 | छात्र/छात्राएं | 25245 | 261.00 | 178.62 | छात्र/छात्राएं | 25029 | 407.00 | 264.55 | छात्र/छात्राएं | 23992 |
| 9 | युवा कॅरियर निर्माण योजना | 61.50 | 61.50 | छात्र/छात्राएं | 105.00 | 56.50 | 56.50 | छात्र/छात्राएं | 100 | 52.50 | 68.90 | छात्र/छात्राएं | 100 |

## अन्य पिछड़ा वर्ग

(राशि लाख में)

| क्र. | योजना का नाम | वर्ष 2017–18 | | | | वर्ष 2018–19 | | | | वर्ष 2019–20 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | बजट प्रावधान | व्यय | भौतिक इकाई | भौतिक उपलब्धि | बजट प्रावधान | व्यय | भौतिक इकाई | भौतिक उपलब्धि | बजट प्रावधान | व्यय | भौतिक इकाई | भौतिक उपलब्धि |
| 1 | मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति | 7582.75 | 7582.75 | छात्र/छात्राएं | 284483 | 11280.00 | 7896.00 | छात्र/छात्राएं | 303248 | 11200.00 | 4480.00 | छात्र/छात्राएं | स्वीकृति की कार्यवाही प्रकियाधीन |
| 2 | युवा कॅरियर निर्माण योजना | 84.30 | 84.30 | छात्र/छात्राएं | 70 | 85.30 | 85.30 | छात्र/छात्राएं | 100 | 66.80 | 46.80 | छात्र/छात्राएं | 100 |

## (ब) केन्द्र प्रवर्तित योजना

(राशि लाख में)

| क्र. | योजना का नाम | वर्ष 2017–18 | | | | | | वर्ष 2018–19 | | | | | | वर्ष 2019–20 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | योजना का नाम | बजट प्रावधान | केन्द्र से प्राप्त राशि | व्यय | भौतिक इकाई | भौतिक उपलब्धि | योजना का नाम | बजट प्रावधान | केन्द्र से प्राप्त राशि | व्यय | भौतिक इकाई | भौतिक उपलब्धि | योजना का नाम | बजट प्रावधान | केन्द्र से प्राप्त राशि | व्यय | भौतिक इकाई | भौतिक उपलब्धि |
| 1 | नागरिक अधिकार एवं संरक्षण प्रकोष्ठ अंतर्गत प्रचार प्रसार | विशेष केन्द्रीय सहायता से पोषित योजनाओं से स्थानीय विकास कार्यक्रम | 98.18 | 507.12 | 3.56 | — | — | विशेष केन्द्रीय सहायता से पोषित योजनाओं से स्थानीय विकास कार्यक्रम | 979.80 | — | 1405.80 | — | — | विशेष केन्द्रीय सहायता से पोषित योजनाओं से स्थानीय विकास कार्यक्रम | 1335.00 | 246.00 | 1642.64 | — | — |
| 2 | अपृश्यता निवार्णार्थ आयोजन | | 25.00 | | 12.02 | शिविर | 16 | | | | | शिविर | 16 | | | | | शिविर | 8 |
| 3 | अ.जा./अ.ज.जा. अत्याचार निवारण अधिनियम पुर्नवास | | 695.00 | | 1003.76 | हितग्राही | 1211 | | | | | हितग्राही | 939 | | | | | हितग्राही | 720 |
| 4 | अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना | | 146.00 | | 122.00 | दंपत्ति | 205 | | | | | दंपत्ति | 291 | | | | | दंपत्ति | 320 |
| 5 | छात्रावास आश्रम भवन निर्माण (64) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | छात्रावास आश्रम भवन निर्माण (41/4202) एकीकृत अम्ब्रेला योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | आदिवासी संस्कृति का सवर्धन एवं विकास | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | छात्रावास भवन निर्माण (66/4225) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | अल्पसंख्यक बहुउद्देशीय विकास | - | 1389.00 | 324.12 | 540.19 | जिला जशपुर | 5 वि.ख. | - | 1389.00 | - | - | - | - | - | 1389.00 | 100.80 | 168.00 | - | - |
| 10 | प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना | - | 4100.00 | 375.00 | 375.00 | 75 ग्राम | 75 ग्राम | - | 4100.00 | 1400.00 | - | - | - | - | 4100.00 | 1163.70 | - | - | - |
| 11 | पो. मै. छात्रवृत्ति अनुसूचित जनजाति | - | 4400.00 | 4400.00 | 4400.00 | छात्र/छात्राएं | 143890 | - | 4800.00 | 4800.00 | 4800.00 | छात्र/छात्राएं | 153785 | - | 6000.00 | 1471.96 | - | छात्र/छात्राएं | स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन |

## आदिवासी उपयोजना - विभागीय बजट प्रावधान एवं व्यय की स्थिति

(राशि करोड़ में)

| क्र. | वर्ष | बजट प्रावधान | व्यय |
|---|---|---|---|
| 1 | 2017–18 | 1417.78 | 1023.74 |
| 2 | 2018–19 | 1630.76 | 900.51 |
| 3 | 2019–20 (माह दिसंबर 2019 की स्थिति में) | 1713.55 | 739.71 |

## अनुसूचित जाति उपयोजना - विभागीय बजट प्रावधान एवं व्यय की स्थिति

(राशि करोड़ में)

| क्र. | वर्ष | बजट प्रावधान | व्यय |
|---|---|---|---|
| 1 | 2017–18 | 327.53 | 254.52 |
| 2 | 2018–19 | 392.41 | 183.83 |
| 3 | 2019–20 (माह दिसंबर 2019 की स्थिति में) | 431.26 | 160.58 |

## (स) विशेष केन्द्रीय सहायता (आदिवासी उपयोजना)

(राशि लाख में)

| क्र. | योजना का नाम | वर्ष 2017–18 | | | | | वर्ष 2018–19 | | | | | वर्ष 2019–20 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | बजट प्रावधान | केन्द्र से प्राप्त राशि | व्यय | भौतिक इकाई | भौतिक उपलब्धि | बजट प्रावधान | केन्द्र से प्राप्त राशि | व्यय | भौतिक इकाई | भौतिक उपलब्धि | बजट प्रावधान | केन्द्र से प्राप्त राशि | व्यय | भौतिक इकाई | भौतिक उपलब्धि |
| 1 | विशेष केन्द्रीय सहायता से पोषित योजनाओं से स्थानीय विकास कार्यक्रम | 25208.70 | 14327.57 | 12435.40 | 713 | 610 | 23000.00 | 10342.65 | 6299.49 | 80 | 50 | 23000.00 | 10257.61 | 9055.53 | 22 | 21 |

## विशेष केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जाति उपयोजना)

(राशि लाख में)

| क्र. | योजना का नाम | वर्ष 2017–18 | | | | | वर्ष 2018–19 | | | | | वर्ष 2019–20 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | बजट प्रावधान | केन्द्र से प्राप्त राशि | व्यय | भौतिक इकाई | भौतिक उपलब्धि | बजट प्रावधान | केन्द्र से प्राप्त राशि | व्यय | भौतिक इकाई | भौतिक उपलब्धि | बजट प्रावधान | केन्द्र से प्राप्त राशि | व्यय | भौतिक इकाई | भौतिक उपलब्धि |
| 1 | विशेष केन्द्रीय सहायता से पोषित योजनाओं से स्थानीय विकास कार्यक्रम | 4000.00 | 6807.00 | 2674.97 | हितग्राही / निर्माण कार्य | 3692 | 9877.00 | 1351.00 | 5273.00 | हितग्राही / निर्माण कार्य | 4479 | 9877.00 | — | — | — | — |

## केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना

(राशि लाख में)

| क्र. | योजना का नाम | वर्ष 2017–18 | | | | | वर्ष 2018–19 | | | | | वर्ष 2019–20 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | बजट प्रावधान | केन्द्र से प्राप्त राशि | व्यय | भौतिक इकाई | भौतिक उपलब्धि | बजट प्रावधान | केन्द्र से प्राप्त राशि | व्यय | भौतिक इकाई | भौतिक उपलब्धि | बजट प्रावधान | केन्द्र से प्राप्त राशि | व्यय | भौतिक इकाई | भौतिक उपलब्धि |
| 1 | पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (अनु.जा.) | 2600.00 | 2600.00 | 2600.00 | छात्र/छात्राएं | 95116 | 1302.02 | 1302.02 | 1302.02 | छात्र/छात्राएं | 99543 | 1000.00 | 650.00 | 650.00 | छात्र/छात्राएं | स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन |
| 2 | पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (अ.पि.व.) | 1766.00 | 1766.00 | 1766.00 | छात्र/छात्राएं | 284483 | 1600.00 | 516.26 | 516.26 | छात्र/छात्राएं | 303248 | 1800.00 | 888.26 | 888.26 | छात्र/छात्राएं | स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन |
| 3 | आदिवासी संस्कृति का संवर्धन एवं विकास(राजस्व मद) | 163.50 | 168.73 | 23.47 | 04 इकाई | 04 इकाई | 208.40 | 39.67 | 22.05 | 04 इकाई | 04 इकाई | 200.00 | 0.00 | 5.23 | 04 इकाई | 04 इकाई |
| 4 | आदिवासी विशेष पिछड़े समूह | 2750.00 | 1089.50 | 1089.50 | कार्य संख्या | 08 कार्य | 2750.00 | 1051.50 | 1051.50 | कार्य संख्या | 09 कार्य | 2750.00 | 671.96 | 530.14 | कार्य संख्या | 07 कार्य |
| 5 | वनबंधु कल्याण योजना | 1278.28 | अप्राप्त | – | – | – | 1062.50 | – | – | – | – | 500.00 | – | – | – | – |
| 6 | अल्पसंख्यक प्री. मैट्रिक छात्रवृत्ति | 0.00 | 0.00 | 206.00 | छात्र/छात्राएं | 7673 | 11.00 | 0.00 | 1.72 (करोड़) | छात्र/छात्राएं | 5593 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | छात्र/छात्राएं | स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन |
| 7 | अल्पसंख्यक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति | 1.00 | 0.00 | 117.00 | छात्र/छात्राएं | 2137 | 10.00 | 0.00 | 1.29 (करोड़) | छात्र/छात्राएं | 2109 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | छात्र/छात्राएं | स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन |
| 8 | अल्पसंख्यक मैरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति | 7.00 | 0.00 | 130.00 | छात्र/छात्राएं | 497 | 8.00 | 0.00 | 1.14 (करोड़) | छात्र/छात्राएं | 419 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | छात्र/छात्राएं | स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन |

## संविधान के अनुच्छेद 275 (1) एवं अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता

(राशि लाख में)

| क्र. | योजना का नाम | वर्ष 2017–18 | | | | | वर्ष 2018–19 | | | | | वर्ष 2019–20 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | बजट प्रावधान | केन्द्र से प्राप्त राशि | व्यय | भौतिक इकाई | भौतिक उपलब्धि | बजट प्रावधान | केन्द्र से प्राप्त राशि | व्यय | भौतिक इकाई | भौतिक उपलब्धि | बजट प्रावधान | केन्द्र से प्राप्त राशि | व्यय | भौतिक इकाई | भौतिक उपलब्धि |
| 1 | आदिवासी विद्यालय समिति को अनुदान 275(1) | 4459.88 | 1756.02 | 1756.02 | 25 | 5302.000 | 4289.00 | - | 2778 | 25 | 6372 | 10713.16 | 8677.49 | 4474.31 | 42 | 8021 |
| 2 | आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार 275 (1) | 14210.64 | 5113.50 | 5113.50 | 29 | निर्माणाधीन | 12000.00 | 7165.42 | 7165.42 | 65 | निर्माणाधीन | 12000.00 | 4814.92 | 4814.92 | 26 | निर्माणाधीन |

# भाग - तीन

# विभाग के द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएँ

- विभागीय छात्रावासों का संचालन (28)
- विभागीय आश्रमों का संचालन (29-30)
- ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (31-33)
- अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति (33-38)
- आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना (38)
- छात्र भोजन सहाय योजना (39)
- छात्रावासी विद्यार्थियों के लिए विशेष शिक्षण केन्द्र (ट्यूशन) योजना (39)
- स्वस्थ तन-स्वस्थ मन (स्वास्थ्य सुरक्षा) योजना (39)
- एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय/विशिष्ट विद्यालय (40-49)
- क्रीड़ा परिसर (50-51)
- अशासकीय संस्थाओं को अनुदान (54)
- स्वैच्छिक संगठनों को भारत सरकार से अनुदान (54)
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्र-छात्राओं के लिए नर्सिंग पाठ्यक्रम में अध्ययन सुविधा (54)
- हॉस्पिटैलिटी एवं हॉटल मैनेजमेंट प्रशिक्षण योजना (54-55)
- अनु.ज.जा.एवं अनु.जा. के युवाओं को निःशुल्क वाहन चालक प्रशिक्षण योजना (55)
- रविदास चर्मशिल्प योजना (55)
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)अधिनियम, 1989, संशोधन अधिनियम, 2015 एवं संशोधन अधिनियम, 2018 अंतर्गत राहतयोजना (55-69)
- अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना (70)
- मैनुअल स्केवेंजर्स के सर्वेक्षण (70)
- प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (70-71)
- सम्मान एवं पुरस्कार तथा लोककला महोत्सव (72-73)
- आदिवासी सांस्कृतिक दलों को सहायता योजना (73)
- जनजातियों के पूजा स्थल (देवगुड़ी) का परिरक्षण एवं विकास (73-74)
- विश्व आदिवासी दिवस एवं राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव (74-76)
- युवा कॅरियर निर्माण योजना एवं ट्रॉयबल यूथ हॉस्टल, नई दिल्ली (95-96)
- मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना (97-99)
- आर्यभट्ट विज्ञान-वाणिज्य शिक्षण प्रोत्साहन योजना (100-101)
- PVTG हेतु मुख्यमंत्री ग्यारह सूत्री कार्यक्रम (102-103)
- वनबंधु कल्याण योजना (103-104)
- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (104)

## विभाग द्वारा संचालित छात्रावास/आश्रमों की जानकारी
## शैक्षणिक सत्र 2019-20 की स्थिति में
## छात्रावास/आश्रम-समस्त वर्ग

| अनु. क्र. | वर्ग | छात्रावास/आश्रमों की संख्या | | | | स्वीकृत सीट्स |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्री.मैट्रिक | पो.मैट्रिक | आश्रम | योग | |
| 1 | अनुसूचित जनजाति | 1292 | 302 | 1175 | 2769 | 165106 |
| 2 | अनुसूचित जाति | 341 | 90 | 51 | 482 | 25707 |
| 3 | अन्य पिछड़ा वर्ग | 8 | 19 | 0 | 27 | 1450 |
| **योग** | | **1641** | **411** | **1226** | **3278** | **192263** |

## अनुसूचित जनजाति छात्रावास
## शैक्षणिक सत्र 2019-20

| अनु. क्र. | छात्रावास का नाम | कुल संचालित छात्रावासों की संख्या | | | स्वीकृत सीट्स | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | बालक | कन्या | योग | बालक | कन्या | योग |
| 1 | पोस्ट मैट्रिक | 147 | 155 | 302 | 9365 | 9430 | 18795 |
| 2 | प्री मैट्रिक | 887 | 405 | 1292 | 43933 | 23434 | 67367 |
| **योग** | | **1034** | **560** | **1594** | **53298** | **32864** | **86162** |

## अनुसूचित जाति छात्रावास
## शैक्षणिक सत्र 2019-20

| अनु. क्र. | छात्रावास का नाम | कुल संचालित छात्रावासों की संख्या | | | स्वीकृत सीट्स | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | बालक | कन्या | योग | बालक | कन्या | योग |
| 1 | पोस्ट मैट्रिक | 48 | 42 | 90 | 2650 | 2410 | 5060 |
| 2 | प्री मैट्रिक | 197 | 144 | 341 | 9076 | 7466 | 16542 |
| **योग** | | **245** | **186** | **431** | **11726** | **9876** | **21602** |

नोट :–

1. प्री मैट्रिक छात्रावास एवं आश्रमों में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को रू. 1000/– प्रतिमाह की दर से वर्ष 2019–20 से शिष्यवृति का भुगतान किया जा रहा है।

## अनुसूचित जनजाति आश्रम
## शैक्षणिक सत्र 2019-20

| अनु. क्र. | आश्रम का नाम | कुल संचालित आश्रमों की संख्या | | | स्वीकृत सीट्स | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | बालक | कन्या | योग | बालक | कन्या | योग |
| 1 | माध्यमिक आश्रम | 33 | 50 | 83 | 3500 | 8160 | 11660 |
| 2 | प्राथमिक आश्रम | 681 | 411 | 1092 | 43758 | 24750 | 68508 |
| **योग** | | **714** | **461** | **1175** | **47258** | **32910** | **80168** |

## अनुसूचित जाति आश्रम
## शैक्षणिक सत्र 2019-20

| अनु. क्र. | आश्रम का नाम | कुल संचालित आश्रमों की संख्या | | | स्वीकृत सीट्स | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | बालक | कन्या | योग | बालक | कन्या | योग |
| 1 | माध्यमिक आश्रम | 1 | 2 | 3 | 50 | 800 | 850 |
| 2 | प्राथमिक आश्रम | 25 | 23 | 48 | 1455 | 1450 | 2905 |
| **योग** | | **26** | **25** | **51** | **1505** | **2250** | **3755** |

## पिछड़ा वर्ग छात्रावास
## शैक्षणिक सत्र 2019-20

| अनु. क्र. | छात्रावास का नाम | कुल संचालित छात्रावासों की संख्या | | | स्वीकृत सीट्स | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | बालक | कन्या | योग | बालक | कन्या | योग |
| 1 | पोस्ट मैट्रिक | 08 | 11 | 19 | 400 | 650 | 1050 |
| 2 | प्री मैट्रिक | 03 | 05 | 08 | 150 | 250 | 400 |
| **योग** | | **11** | **16** | **27** | **550** | **900** | **1450** |

# विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी

## 1. शैक्षणिक गतिविधियाँ :- शिक्षा संबंधी सांख्यिकीय जानकारी

विभाग द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं की सांख्यिकीय जानकारी निम्नानुसार है :-

| संस्था का नाम | संख्या | प्रवेशित छात्र/छात्रा संख्या |
|---|---|---|
| गुरुकुल विद्यालय (आवासीय) | 1 | 245 |
| खेल परिसर (आवासीय) | 19 | 1652 |
| आदर्श एकलव्य आवासीय विद्यालय | 42 | 8021 |
| **कुल योग** | **62** | **9918** |

# ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के दौरान आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना शासन द्वारा संचालित की जा रही है। छात्रवृत्ति का समय पर स्वीकृति एवं भुगतान सुनिश्चित करने एवं इसके मॉनीटरिंग करने में विभाग को अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था, इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों एवं पालकों को समय पर एवं सही छात्रवृत्ति न मिलने की शिकायतें आती रहती थी।

उपरोक्त समस्याओं के निराकरण हेतु वर्ष 2012–13 से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पूरी प्रक्रिया का कम्प्यूटराइजेशन किया जाकर ऑनलाईन आवेदन एवं स्वीकृति की व्यवस्था के माध्यम से छात्रवृत्ति योजना को पारदर्शी बनाया गया है। इस हेतु विभागीय वेबसाइट (www.mpsc.mp.nic.in) तैयार किया गया है जिसमें विद्यार्थियों द्वारा आनलाइन आवेदन करके बायोडाटा की प्रविष्टि एक बार करने के पश्चात् उसे पूरे अध्ययनकाल मे छात्रवृत्ति प्राप्त होती रहेगी और प्रतिवर्ष नये आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

वर्ष 2015–16 से सभी विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति उनके बैंक एकाउंट में ही स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है। जिसके अनुसार विद्यार्थियों के खाते में छात्रवृत्ति राशि का हस्तांतरण ऑन–लाईन के माध्यम से किया जा रहा है।

सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 10.03.2015 के द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अंतर्गत वर्ष 2015–16 से कक्षा 11वीं एवं 12वीं की छात्रवृत्ति का संचालन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जाना है। कक्ष ।11वीं एवं 12वीं हेतु छात्रवृति की राशि शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृति अनुसार शिक्षा विभाग को प्रदाय किया जाता है। कक्षा 12 वीं से उच्चतर कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति संचालन का कार्य पूर्व की भांति विभाग द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 2018–19 में कुल 5.56 लाख विद्यार्थियों को लगभग राशि रूपये 225.95. करोड़ की छात्रवृत्ति का वितरण किया जा रहा है। वर्ष 2019–20 की छात्रवृत्ति स्वीकृत की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

## विगत तीन वर्षों के छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं भुगतान निम्नानुसार है :-

| SC Post Matric scholarship | | |
|---|---|---|
| year | Students | Amount ( in lakhs ) |
| 2016-17 | 88875 | 5040.00 |
| 2017-18 | 95116 | 5203.85 |
| 2018-19 | 99543 | 5315.15 |

| ST Post Matric scholarship | | |
|---|---|---|
| year | Students | Amount ( in lakhs ) |
| 2016-17 | 132963 | 6348.51 |
| 2017-18 | 143890 | 6749.52 |
| 2018-19 | 153785 | 7184.14 |

| OBC Post Matric scholarship | | |
|---|---|---|
| year | Students | Amount ( in lakhs ) |
| 2016-17 | 267152 | 9489.38 |
| 2017-18 | 284483 | 9629.51 |
| 2018-19 | 303248 | 10096.55 |

# पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (निर्वाह भत्ता) (अनु.जा. एवं अ.ज.जा.)

- आय–सीमा– रू. 2.50 लाख तक वार्षिक आय,
- भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति की दरे दिनांक 01.07.2010 से निम्नानुसार लागू है :–

| समूह | छात्रवृत्ति की दरें (प्रति माह) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | अनुसूचित जनजाति | | अनुसूचित जाति | |
| | छात्रावासी | दिवा छात्र | छात्रावासी | दिवा छात्र |
| **समूह–1**– (i)डिग्री तथा स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम यथा–एम.फिल, पीएच .डी तथा औषधि में पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान (अलोपैथिक, भारतीय तथा अन्य मान्यता प्राप्त औषधि पद्धतियां ) इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, प्लानिंग, कृषि, डिजाईन, फैशन टेक्नालॉजी, पशु– चिकित्सा एवं सम्बद्ध विज्ञान, प्रबंधन, बिजनेस वित्त, बिजनेस प्रशासन तथा कम्प्यूटर अनुप्रयोग / विज्ञान।<br>(ii) वाणिज्यिक पायलेट लाइसेंस (हेलिकाप्टर पायलट तथ ा मल्टी–इंजिन रेटिंग पाठ्यक्रम<br>(iii) प्रबंधन तथा औषधि में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम<br>(iv) सी.ए. / आई.सी.डब्ल्यू.ए. / सी.एस. / आई .सी.एफ.ए. आदि पाठ्यक्रम<br>(v) एम.फिल., पीएच .डी तथा पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान यथा– डी.लिट, डी.एस.सी. इत्यादि<br>(vi) एल.एल.एम. | 1200 | 550 | 1200 | 550 |
| **समूह–2**– (i) स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तरीय डिग्री पाठ्यक्रम, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र स्तरीय पाठ्यक्रम जैसे– फार्मेसी (बी .फार्मा), नर्सिग (बी .नर्सिंग), एल .एल.बी., बी .एफ. एस. अन्य पैरा मेडिकल ब्रांच जैसे– रिहायबिलिटेशन, डायगनोस्टिक इत्यादि, होटल प्रंबधन, मॉस कम्यूनिकेशन, ट्रेवल / टूरिज्म / हॉस्पिटायलिटी प्रबंधन, आंतरिक साज–सज्जा, न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स, कामर्सियल आर्ट, वित्तीय सेवाएं जैसे– बैंकिंग, इन्शयूरेन्श इत्यादि जिसके लिए प्रवेश परीक्षा 12 स्तर के हो।<br>(ii) स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम जो समूह–1 में शामिल न हो जैसे– एम.ए., एम.एस.सी., एम.कॉम, एम.एड इत्यादि | 820 | 530 | 820 | 530 |
| **समूह–3**– स्नातक स्तरीय अन्य डिग्री पाठ्यक्रम (जो समूह–1 तथा 2 द्वारा शामिल नहीं किए गए हैं) जैसे– बी.ए., बी .एस.सी.,बी.कॉम.,बी.एड इत्यादि | 570 | 300 | 570 | 300 |
| **समूह –4** – सभी पोस्ट मैट्रिकुलेशन स्तरीय नॉन डिग्री पाठ्यक्रम जिसके लिए प्रवेश परीक्षा हाईस्कूल स्तरीय हो। आई टी आई पाठ्यक्रम, त्रिवर्षीय पॉलिटेक्निक डिप्लोमा पाठ्यक्रम | 380 | 230 | 380 | 230 |

## पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति राज्य शासन की दर (अन्य पिछड़ा वर्ग)

- आय–सीमा– रू. 1,00,000 / – तक वार्षिक
- वर्तमान में उक्त छात्रवृत्ति राज्य आयोजना से दी जा रही है। छात्रवृत्ति की दरें निम्नानुसार हैः–

| समूह | छात्रवृत्ति की दरे (माहवार रूपये) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | अध्ययन का वर्ष | छात्रावासी | | गैर छात्रावासी | |
| | | छात्र | छात्रा | छात्र | छात्रा |
| **अ** – मेडिकल तथा इंजीनियरिंग | प्रथम वर्ष | 210 | 220 | 100 | 100 |
| | द्वितीय वर्ष | 210 | 255 | 100 | 115 |
| बी.व्ही.एस.सी. तथा बी.एस.सी. (कृषि) | प्रथम वर्ष | 185 | 195 | 100 | 110 |
| | द्वितीय वर्ष | 185 | 200 | 100 | 115 |
| **आ** – डिप्लोमा कोर्सेस, मेडिकल टेक्ना–लॉजी तथा पोस्ट ग्रेजुएट साइंस | प्रथम वर्ष | 130 | 135 | 100 | 110 |
| | द्वितीय वर्ष | 130 | 135 | 100 | 110 |
| **इ** – सर्टीफिकेट कोर्सेस इंजीनियरिंग, मेडिकल टेक्नालॉजी तथा पोस्ट ग्रेजुएट, आर्ट एवं कामर्स | प्रथम वर्ष | 125 | 135 | 100 | 110 |
| **ई** – सर्टिफिकेट कोर्सेस अप टू ग्रेजुएट लेवल व बाद के वर्ष | प्रथम वर्ष | 100 | 110 | 55 | 70 |
| | द्वितीय वर्ष | 115 | 130 | 70 | 85 |
| **स** – कक्षा – 11 वीं | | 100 | 110 | 50 | 60 |
| कक्षा – 12 वीं | | 100 | 110 | 55 | 70 |

## अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति

भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध, जैन एवं पारसी समुदाय) के छात्र–छात्राओं के शैक्षणिक विकास के प्रयासों को प्रोत्साहित करने तथा शिक्षा के लिए पड़ने वाले आर्थिक भार को कम करने के उद्देश्य से निम्नांकित योजनाएं प्रारंभ है :–

### 1. मैट्रिक पूर्व (प्री. मैट्रिक) छात्रवृत्ति

### 2. मैट्रिकोत्तर (पोस्ट मैट्रिक) छात्रवृत्ति

### 3. मेरिट सह साधन आधारित (मेरिट कम मीन्स) छात्रवृत्ति

भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति योजना के तहत् राज्य के अल्पसंख्यक समुदायवार लाभान्वितों की संख्या नियत की जाती है। अतः नियत संख्या से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर निर्धनता सह प्रावीण्यता के आधार पर चयन किया जाता है। कुल देय छात्रवृत्तियों का न्यूनतम 30 प्रतिशत छात्राओं को देय होता है, परन्तु वांछित संख्या तक छात्राओं के आवेदन पत्र प्राप्त न होने पर उक्त छात्रवृत्ति छात्रों को दी जाती है।

भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा उपर्युक्त योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य सरकारों के माध्यम से किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में उपर्युक्त योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग पर है। लक्ष्य का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। नवीनीकरण के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं की किये जाते हैं।

## योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी निम्नानुसार है :-

### 1. मैट्रिक पूर्व (प्री. मैट्रिक) छात्रवृत्ति

यह योजना वर्ष 2008–09 से प्रारंभ की गई है। यह छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक वर्ग के कक्षा 1ली से 10वीं तक के उन विद्यार्थियों को प्राप्त होती है, जो भारत के अन्दर शासकीय तथा निजी स्कूलों के साथ–साथ शासकीय आवासीय स्कूल तथा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त एवं अधिसूचित निजी आवासीय शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत हैं। इस योजना हेतु भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत राशि का वहन किया जाता है।

प्रति शिक्षण वर्ष में 10 माह हेतु निम्नानुसार प्रवेश शुल्क, शिक्षण तथा भरण–पोषण भत्ता प्रदान किया जाता है :–

| क्रमांक | विवरण | | छात्रावासी | दिवा स्कालर (गैर छात्रावासी) | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कक्षा 1ली से 5वीं तक (भरण–पोषण भत्ता) | | – | 100/– प्रतिमाह | अथवा वास्तविक व्यय, जो भी कम हो। |
| 2 | कक्षा 6वीं से 10वीं तक | प्रवेश शुल्क | 500/– प्रतिवर्ष | 500/– प्रतिवर्ष | |
| | | शिक्षण शुल्क | 350/– प्रतिमाह | 350/– प्रतिमाह | |
| | | भरण पोषण भत्ता | 600/– प्रतिमाह | 100/– प्रतिमाह | |

**पात्रता:-**

1. पिछली वार्षिक परीक्षा में (कक्षा 1 ली को छोड़कर) 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त होने पर।
2. पालक की वार्षिक आय 1.00 लाख से अधिक न होने की स्थिति में।
3. बैंक में खाता हो ।

**उपबंध :-**

1. यह छात्रवृत्ति एक परिवार के केवल दो विद्यार्थियों को दी जाती है।
2. 30 प्रतिशत छात्रवृत्ति छात्राओं के लिए चिन्हित है।

**आवेदन, चयन एवं वितरण की प्रक्रिया :-**

भारत सरकार की वेबसाईट www.scholarships.gov.in में विद्यार्थियों द्वारा ''आनलाईन'' आवेदन किया जाकर forward/Submit किया जाता है तत्पश्चात् संस्था एवं जिला कार्यालय के द्वारा Scrutiny की जाती है। भारत सरकार के द्वारा ऑनलाईन चयन किया जाता है व डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति की राशि सीधे विद्यार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।

## वर्षवार लक्ष्य एवं उपलब्धि :-

| वर्ष | लक्ष्य / उपलब्धि | | मुस्लिम | ईसाई | सिक्ख | बौद्ध | जैन | पारसी | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2018–19** | **लक्ष्य (नवीन)** | | 6607 | 6293 | 898 | 904 | 789 | 0 | **15491** |
| | **उपलब्धि** | नवीन | भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 से छात्रवृत्ति की राशि डी.बी.टी. के माध्यम से सीधे विद्यार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जा रही है । वर्ष 2018–19 में भारत सरकार के द्वारा 5593 विद्यार्थियों को राशि रूपये 172.00 लाख छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाकर डी.बी.टी. के माध्यम से वितरित की गई है । | | | | | | |
| | | नवीनीकरण | | | | | | | |
| | | योग | | | | | | | |
| **2019–20** | **लक्ष्य (नवीन)** | | 6607 | 6293 | 898 | 904 | 789 | 0 | **15491** |
| | **उपलब्धि** | नवीन | भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली स्तर से डी.बी.टी. के माध्यम से छात्रवृत्ति की राशि वितरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । | | | | | | |
| | | नवीनीकरण | | | | | | | |
| | | योग | | | | | | | |

## 2. मैट्रिकोत्तर (पोस्ट मैट्रिक) छात्रवृत्तिः-

यह योजना वर्ष 2007–08 से लागू है। यह छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक वर्ग के कक्षा 11वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, एम. फिल एवं पी.एच.डी में अध्ययनरत् / शोधरत विद्यार्थियों को जो भारत के अन्दर शासकीय तथा निजी स्कूलों के साथ–साथ शासकीय आवासीय स्कूल तथा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त एवं अधिसूचित निजी आवासीय शैक्षणिक संस्थाओं महाविद्यालय / विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत है। प्रति शिक्षण वर्ष में 10 माह हेतु निम्नानुसार प्रवेश शुल्क, शिक्षण तथा भरण–पोषण भत्ता प्रदान किया जाता है।

| क्र. | विवरण | छात्रावासी | दिवा स्कालर | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|
| 1 | प्रवेश एवं शिक्षण शुल्क, कक्षा 11वीं एवं 12वीं | 7,000 / – प्रतिवर्ष | 7,000 / – प्रतिवर्ष | अथवा वास्तविक व्यय, जो भी कम हो। |
| 2 | प्रवेश एवं शिक्षण शुल्क, कक्षा 11वीं एवं 12वीं स्तर के तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम | 10,000 / – प्रतिवर्ष | 10,000 / – प्रतिवर्ष | |
| 3 | प्रवेश एवं शिक्षण शुल्क स्नातक एवं स्नाकोत्तर | 3,000 / – प्रतिवर्ष | 3,000 / – प्रतिवर्ष | |
| 4 | अनुरक्षण भत्ता (10 माह हेतु)<br>1. कक्षा 11वीं से 12वीं एवं इस स्तर के तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम | 380 / – प्रतिमाह | 230 / – प्रतिमाह | |
| | 2. स्नातक एवं स्नाकोत्तर (तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम छोड़कर) | 570 / – प्रतिमाह | 300 / – प्रतिमाह | |
| | 3. एम.फिल. और पी.एच.डी. | 1200 / – प्रतिमाह | 550 / – प्रतिमाह | |

## पात्रता :-

1. जिन्होने पिछली वार्षिक परीक्षा में 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किया हो।
2. जिनके पालक की सभी स्रोतों से आय रूपये 2.00 लाख वार्षिक से अधिक न हो ।
3. बैंक में खाता हो।

## उपबंध :-

1. यह छात्रवृत्ति एक परिवार के केवल दो विद्यार्थियों को दी जा सकेगी ।
2. 30 प्रतिशत छात्रवृत्ति छात्राओं के लिए चिन्हित की गई है ।
3. किसी भी अन्य योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र / छात्राओं को इस छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी।
4. छात्रवृत्ति का नवीनीकरण कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने एवं निर्धारित वार्षिक आय पर किया जावेगा।
5. किसी भी तरह के त्रुटिपूर्ण / फर्जी जानकारी दिया जाना पाए जाने पर अथवा किसी कदाचरण के प्रमाणित होने पर छात्रवृत्ति निरस्त की जावेगी।

## आवेदन की प्रक्रिया :-

भारत सरकार की वेबसाईट www.scholarships.gov.in में विद्यार्थियों द्वारा ''आनलाईन'' आवेदन किया जाकर forward/Submit किया जाता है तत्पश्चात् संस्था एवं जिला कार्यालय के द्वारा Scrutiny की जाती है। भारत सरकार के द्वारा ऑनलाईन चयन किया जाता है व डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति की राशि सीधे विद्यार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।

## वर्षवार लक्ष्य एवं उपलब्धि :-

<table>
<tr><th>वर्ष</th><th colspan="2">लक्ष्य / उपलब्धि</th><th>मुस्लिम</th><th>ईसाई</th><th>सिक्ख</th><th>बौद्ध</th><th>जैन</th><th>पारसी</th><th>योग</th></tr>
<tr><td rowspan="4">2018–19</td><td colspan="2">लक्ष्य (नवीन)</td><td>1101</td><td>1049</td><td>150</td><td>151</td><td>132</td><td>0</td><td>2583</td></tr>
<tr><td rowspan="3">उपलब्धि</td><td>नवीन</td><td colspan="7" rowspan="3">भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 से छात्रवृत्ति की राशि डी.बी.टी. के माध्यम से सीधे विद्यार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जा रही है। वर्ष 2018–19 में भारत सरकार के द्वारा 2137 विद्यार्थियों को राशि रूपये 129.00 लाख छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाकर डी0बी0टी0 के माध्यम से वितरीत की गई है।</td></tr>
<tr><td>नवीनीकरण</td></tr>
<tr><td>योग</td></tr>
<tr><td rowspan="4">2019–20</td><td colspan="2">लक्ष्य (नवीन)</td><td>1101</td><td>1049</td><td>150</td><td>151</td><td>132</td><td>0</td><td>2583</td></tr>
<tr><td rowspan="3">उपलब्धि</td><td>नवीन</td><td colspan="7" rowspan="3">भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली स्तर से डी.बी.टी. के माध्यम से छात्रवृत्ति की राशि वितरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।</td></tr>
<tr><td>नवीनीकरण</td></tr>
<tr><td>योग</td></tr>
</table>

## 3. मेरिट सह साधन आधारित (मेरिट कम मीन्स) छात्रवृत्ति

यह योजना वर्ष 2007–08 से लागू है। छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक वर्ग के समस्त तकनीकी पाठ्यक्रमों (जैसे बीई, एमई, बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमसीए, बीएससी नर्सिंग, एमबीबीएस, एलएलबी इत्यादि शामिल हैं, इसकी विस्तृत सूची भारत सरकार के वेबसाईट एवं tribal.cg.gov.in पर देखी जा सकते है।) में भारत

के अंदर स्थित शैक्षणिक संस्थाओं तथा भारत सरकार द्वारा चिन्हित संस्थाओं में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को दी जाती है:–

| क्रमांक | विवरण | छात्रावासी | दिवा स्कालर |
|---|---|---|---|
| 1 | अनुरक्षण भत्ता (10 माह हेतु) | रू. 1000/– प्रतिमाह की दर से कुल रू. 10,000/– | रू. 500/– प्रतिमाह की दर से कुल 5,000/– |
| 2 | पाठ्यक्रम शुल्क | रू. 20,000/– प्रतिवर्ष या वास्तविक जो भी कम हो । | रू. 20,000/– वार्षिक या वास्तविक जो भी कम हो |

## पात्रता:-

1. यह छात्रवृत्ति उन विद्यार्थियों को दी जायेगी, जिनका चयन मान्यता प्राप्त तकनीकी/व्यवसायिक संस्थाओं की प्रवेश परीक्षा में प्रावीण्य के आधार पर हुआ है।
2. यदि विद्यार्थी का प्रवेश बिना प्रतियोगी परीक्षा के हुआ है तो वे भी छात्रवृत्ति पाने के योग्य होंगे, बशर्ते उनके हायर सेकेण्डरी/स्नातक परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक या इससे अधिक हो।
3 जिनके पालक की सभी स्रोतों से आय रूपये 2.50 लाख वार्षिक से अधिक न हो ।
4. बैंक में खाता होना आवश्यक है।

## उपबंध :-

1. 30 प्रतिशत छात्रवृत्ति छात्राओं के लिए चिन्हित की गई है ।
2. किसी भी अन्य योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को इस छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी ।
3. किसी भी तरह के त्रुटिपूर्ण/फर्जी जानकारी दिया जाना पाए जाने पर अथवा किसी कदाचरण के प्रमाणित होने पर छात्रवृत्ति निरस्त की जावेगी ।

## आवेदन की प्रक्रिया :-

भारत सरकार की वेबसाईट www.scholarships.gov.in में विद्यार्थियों द्वारा ''आनलाईन'' आवेदन किया जाकर forward/Submit किया जाता है तत्पश्चात् संस्था एवं जिला कार्यालय के द्वारा Scrutiny की जाती है। भारत सरकार के द्वारा ऑनलाईन चयन किया जाता है व डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति की राशि सीधे विद्यार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।

## वर्षवार लक्ष्य एवं उपलब्धि :-

| वर्ष | लक्ष्य / उपलब्धि | | मुस्लिम | ईसाई | सिक्ख | बौद्ध | जैन | पारसी | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2018–19** | **लक्ष्य (नवीन)** | | 132 | 126 | 18 | 18 | 16 | 0 | **310** |
| | **उपलब्धि** | नवीन | भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 से छात्रवृत्ति की राशि डी.बी.टी. के माध्यम से सीधे विद्यार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जा रही है। वर्ष 2018–19 में भारत सरकार के द्वारा 419 विद्यार्थियों को राशि रूपये 114.00 लाख छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाकर डी.बी.टी. के माध्यम से वितरित की गई है। | | | | | | |
| | | नवीनीकरण | | | | | | | |
| | | योग | | | | | | | |
| **2019–20** | **लक्ष्य (नवीन)** | | 132 | 126 | 18 | 18 | 16 | 0 | **310** |
| | **उपलब्धि** | नवीन | भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय न ई दिल्ली स्तर से डी.बी.टी. के माध्यम से छात्रवृत्ति की राशि वितरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। | | | | | | |
| | | नवीनीकरण | | | | | | | |
| | | योग | | | | | | | |

## आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना :-

शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट मानदंड स्थापित करने वाले प्रतिष्ठित पब्लिक स्कूलों एवं समकक्ष संस्थाओं के महंगी फीस के कारण प्रतिभावन गरीब अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र उक्त विद्यालय में पढ़ने से वंचित रह जाते है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कक्षा 6वीं में 100 अनुसूचित जनजाति एवं 50 अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष राज्य के उत्कृष्ट पब्लिक स्कूलों में प्रवेश दिलाया जाता है। वर्ष 2019–20 में नवीन प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या 150 तथा नवीनीकरण के तहत विद्यार्थियों की संख्या 815 है। इस प्रकार कुल 965 विद्यार्थी अध्ययनरत् हैं। इस हेतु कुल बजट प्रावधान 1400.00 लाख का है।

## आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजनांतर्गत विगत वर्षो की जानकारी

| क्र. | वर्ष | बजट प्रावधान (राशि लाख में) | विद्यार्थियों की संख्या | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | नवीन प्रवेशित | नवीनीकरण | योग |
| 1 | 2013–14 | 1011.74 | 145 | 986 | 1131 |
| 2 | 2014–15 | 1220.00 | 186 | 1059 | 1245 |
| 3 | 2015–16 | 1245.00 | 82 | 1086 | 1168 |
| 4 | 2016–17 | 1245.00 | 244 | 719 | 963 |
| 5 | 2017–18 | 1400.00 | 175 | 824 | 999 |
| 6 | 2018–19 | 1400.00 | 182 | 791 | 973 |
| 7 | 2019–20 | 1400.00 | 150 | 815 | 965 |

## छात्र भोजन सहाय योजना :-

- भारत सरकार की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनांतर्गत छात्रों को छात्रावासी दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जिससे छात्रावासी विद्यार्थियों को ये छात्रवृत्तियां उनके मात्र भोजन की पूर्ति कर पाती है। छात्रावासी विद्यार्थियों के बढ़ती उम्र के अनुरूप संतुलित शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए विशेष पोषण आहार के लिए अतिरिक्त राशि प्रदाय करने के लिए छात्र भोजन सहाय योजना वर्ष 2005–06 से प्रारंभ की गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यह योजना वर्ष 2015–16 से प्रारंभ की गई है।
- वर्तमान में वर्ष 2019–20 से प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह 700/– रूपए उपलब्ध कराया जा रहा है।
- योजना के तहत् वर्ष 2019–20 के लिए बजट प्रावधान एवं लक्ष्य की जानकारी निम्नानुसार है :–

| वर्ग | प्रावधान | भौतिक लक्ष्य |
|---|---|---|
| अनुसूचित जाति | 388.23 | 5410 |
| अनुसूचित जनजाति | 1291.76 | 18445 |
| अन्य पिछड़ा वर्ग | 74.01 | 1050 |
| **योग –** | **1754.00** | **24905** |

## छात्रावासी विद्यार्थियों के लिए विशेष शिक्षण केन्द्र (ट्यूशन) योजना :-

दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में कठिन विषयों के शिक्षकों का अभाव बना रहता है, जिसके कारण छात्रावास/आश्रमों में निवासरत् विद्यार्थी कठिन विषयों में कमजोर रह जाते हैं, फलस्वरूप परीक्षा परिणाम अपेक्षित स्तर का नहीं रहता है । इस योजना द्वारा अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के छात्रावासों/आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों को निदानात्मक एव उपचारात्मक विशेष शिक्षण के माध्यम से कठिन विषयों जैसे– गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, वाणिज्य से संबंधित कमजोरी को दूर करने की सुविधा प्रदान की जाती है, जिससे इस वर्ग के छात्र/छात्राओं के परीक्षा परिणाम में गुणात्मक सुधार के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने योग्य बन सके, इस हेतु शिक्षण प्रदान करने के लिये 146 विकासखंडो पर विशेष शिक्षण केन्द्र योजना प्रारंभ की गई है।

वर्ष 2019–20 में इस हेतु 150.00 लाख प्रावधानित है। इससे लगभग 38500 विद्यार्थी लाभान्वित हो सकेंगे।

## स्वस्थ तन स्वस्थ मन (स्वास्थ्य सुरक्षा) योजना :-

इस योजना अंतर्गत विभागीय छात्रावास एवं आश्रमों में निवासरत छात्र–छात्राओं के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण हेतु यह योजना वर्ष 2007–08 से लागू है इसके अंतर्गत अनुबंधित निजी चिकित्सकों द्वारा माह में दो बार विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। वर्ष 2019–20 में इन योजना से लगभग 86000 छात्र–छात्राएं लाभांवित हो रहे हैं।

## —:: एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय ::—

राज्य शासन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त अनुदान राशि से यह योजना संचालित हैं। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को गुणवत्ता पूर्वकर्ण शिक्षा उपलब्ध कराकर सामान्य जाति के विद्यार्थियों के समकक्ष लाना, उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत कर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो, इस हेतु एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए गए है। इन विद्यालयों में वर्तमान में छ.ग. बोर्ड/सीबीएसई के पाठ्यक्रम अंतर्गत अध्यापन कराया जा रहा है। भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019—20 हेतु राशि रूपये 8677.49 लाख का बजट प्रावधानित किया गया है।

वर्तमान में 02 कन्या तथा 06 बालक एवं 34 संयुक्त इस प्रकार कुल 42 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं से 12वीं तक 60 सीटर प्रति कक्षा के मान से प्रत्येक विद्यालय में 420 बच्चों को प्रवेश देने का प्रावधान है। शिक्षण सत्र 2019—20 में 4732 बालक एवं 3289 बालिका, इस प्रकार कुल 8021 विद्यार्थी अध्ययनरत् हैं। भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रति वर्ष प्रति विद्यार्थी राशि रूपये 1,09,000/— के मान से विद्यालय संचालन हेतु राशि प्रदान की जा रही है, जिसमें विद्यालय के समस्त प्रकार के व्यय जैसे— कर्मचारी वेतन भत्ता, शिष्यवृत्ति, शाला गणवेश, सामग्री प्रतिपूर्ति, कार्यालय व्यय, अन्य आकस्मिक व्यय, यात्रा भत्ता, विद्यार्थी चिकित्सा भत्ता, खेलकूद सामग्री, विज्ञान एवं सांस्कृतिक मेला इत्यादि शामिल हैं।

## वर्ष 2018-19 तक संचालित विद्यालयों की सूची

| संभाग | | जिला | विद्यालय का नाम | स्वीकृत संख्या | प्रवेशित विद्यार्थियो की संख्या | | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | बालक | बालिका | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | सरगुजा | सरगुजा | EMRS, मैनपाट | 420 | 315 | 0 | 315 |
| 2 | | सूरजपुर | EMRS, शिवप्रसादनगर | 420 | 404 | 0 | 404 |
| 3 | | जशपुर | EMRS, सन्ना | 420 | 0 | 417 | 417 |
| 4 | | कोरिया | EMRS, पोड़ीडीह | 420 | 170 | 189 | 359 |
| 5 | | बलरामपुर | EMRS, महाराजगंज | 180 | 90 | 90 | 180 |

| संभाग | | जिला | विद्यालय का नाम | स्वीकृत संख्या | प्रवेशित विद्यार्थियो की संख्या | | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | बालक | बालिका | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | बिलासपुर | रायगढ़ | EMRS, छोटेमुड़पार | 420 | 374 | 0 | 374 |
| 7 | | कोरबा | EMRS, छुरीकला | 420 | 196 | 204 | 400 |
| 8 | | बिलासपुर | EMRS, मरवाही | 240 | 119 | 119 | 238 |
| 9 | | जांजगीर | EMRS, पलारी खुर्द | 180 | 86 | 87 | 173 |
| 10 | | मुगेली | EMRS, लोरमी | 180 | 87 | 89 | 176 |
| 11 | दुर्ग | कबीरधाम | EMRS, तरेगांव जंगल | 420 | 328 | 0 | 328 |
| 12 | | राजनांदगांव | EMRS, पेण्ड्री | 420 | 188 | 200 | 388 |
| 13 | | बालोद | EMRS, डौण्ड़ी | 180 | 83 | 87 | 170 |
| 14 | बस्तर | जगदलपुर | EMRS, करपावण्ड | 420 | 378 | 0 | 378 |
| 15 | | कांकेर | EMRS, अन्तागढ़ | 420 | 370 | 0 | 370 |
| 16 | | दन्तेवाड़ा | EMRS, कटेकल्याण | 420 | 30 | 303 | 333 |
| 17 | | बीजापुर | EMRS, भैरमगढ़ | 420 | 186 | 177 | 363 |
| 18 | | जगदलपुर | EMRS, बेसोली | 300 | 140 | 141 | 281 |
| 19 | | कोण्ड़ागांव | EMRS, मर्दापाल | 240 | 120 | 120 | 240 |
| 20 | | नारायणपुर | EMRS, छेरीबेड़ा | 240 | 120 | 119 | 239 |
| 21 | | सुकमा | EMRS, सुकमा | 180 | 83 | 80 | 163 |
| 22 | रायपुर | धमतरी | EMRS, पथर्रीडीह | 180 | 89 | 90 | 179 |
| 23 | | गरियाबंद | EMRS, गरियाबंद | 180 | 89 | 90 | 179 |
| 24 | | बलौदाबाजार | EMRS, बलदाकछार | 180 | 87 | 87 | 174 |
| 25 | | महासमुन्द | EMRS, भोरी | 180 | 90 | 90 | 180 |
| **योग** | | | | **7680** | **4222** | **2779** | **7001** |

## वर्ष 2019-20 में नवीन संचालित विद्यालयों की सूची

| क्रं. | संभाग | जिला | विद्यालय का नाम | स्वीकृत संख्या | प्रवेशित विद्यार्थियो की संख्या | | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | बालक | बालका | |
| **1** | **2** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | बिलासपुर | बिलासपुर | EMRS लाटा पेन्ड्रा | 60 | 30 | 30 | 60 |
| 2 | | कोरबा | EMRS पाली | 60 | 30 | 30 | 60 |
| 3 | | रायगढ़ | EMRS धरमजयगढ़ | 60 | 30 | 30 | 60 |
| 4 | सरगुजा | सूरजपुर | EMRS प्रतापपुर | 60 | 30 | 30 | 60 |
| 5 | | | EMRS ओडगी | 60 | 30 | 30 | 60 |
| 6 | | बलरामपुर | EMRS वाड्रफनगर | 60 | 30 | 30 | 60 |
| 7 | | | EMRS सामरी (कुसमी) | 60 | 30 | 30 | 60 |
| 8 | | सरगुजा | EMRS उदयपुर | 60 | 30 | 30 | 60 |
| 9 | | कोरिया | EMRS सोनहत | 60 | 30 | 30 | 60 |
| 10 | | जशपुर | EMRS जशपुर | 60 | 30 | 30 | 60 |
| 11 | दुर्ग | राजनांदगांव | EMRS मानपुर | 60 | 30 | 30 | 60 |
| 12 | बस्तर | जगदलुपर | EMRS तोकापाल | 60 | 30 | 30 | 60 |
| 13 | | कांकेर | EMRS कांकेर | 60 | 30 | 30 | 60 |
| 14 | | बीजापुर | EMRS बीजापुर | 60 | 30 | 30 | 60 |
| 15 | | सुकमा | EMRS कोन्टा | 60 | 30 | 30 | 60 |
| 16 | | दन्तेवाड़ा | EMRS दन्तेवाड़ा | 60 | 30 | 30 | 60 |
| 17 | | नारायणपुर | EMRS ओरछा | 60 | 30 | 30 | 60 |
| | | **योग** | | **1020** | **510** | 510 | 1020 |
| | | **महायोग** | | **8700** | **4732** | **3289** | **8021** |

टीप-: इस प्रकार वर्ष 2019-20 में विभाग द्वारा कुल 42 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं।

## शिक्षण सत्र् 2018-19 में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम

| कक्षा | परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थियों की संख्या | उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या | उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| **10 वीं** | **603** | **595** | **98.67%** |
| **12 वीं** | **469** | **420** | **89.55%** |

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय छुरीकला, जिला– कोरबा के छात्र श्री राजेन्द्र प्रसाद कंवर ने कक्षा–10वीं बोर्ड परीक्षा में 96.66 प्रतिशत अर्जित करते हुए राज्य स्तर की प्रवीण्य सूची में 10वॉ स्थान प्राप्त किया है।

**राष्ट्रीय पोषण माह सितम्बर 2019 :-** एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में कैलेण्डर पोषण माह सितम्बर– 2019 में राष्ट्रीय पोषण माह अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम कार्यशाला एवं सेमीनार का आयोजन चरणबद्ध कार्ययोजना तैयार कर चार सप्ताह में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है जैसे– वृक्षारोपण, चित्रकला, निबंध, स्लोगन आदि प्रतियोगिता, रैली, स्वास्थ्य परीक्षण, पोषण आहार, आदिवासी व्यंजन मेंला का आयोजन कराया गया है।

**स्वच्छता पखवाड़ा :-** एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में स्वच्छता पखवाड़ा दिनांक 01.08.2019 से 15.08.2019 तक मनाया गया है, जिसमें विद्यालय के पास कचरा, किचन गार्डन आदि को स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत साफ–सफाई रखते हुये विद्यालय में किचन गार्डन प्लांटेशन, विद्यालय के एक्टीविटीस तथा रिप्लांटेशन आदि का कार्य किया गया है।

**विद्यालय भवन :-** प्रदेश में 42 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्थापित है। 16 विद्यालयों के भवन निर्माण पूर्ण हो गये हैं, जो स्वयं के भवन में संचालित हो रहे हैं। 09 विद्यालय भवन पूर्णतः की ओर है। शेष 17 विद्यालयों के भवन निर्माण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

**राष्ट्रीय सांस्कृतिक उत्सव :-** प्रदेश में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की राज्य स्तरीय संस्कृतिक उत्सव–2019 का आयोजन 11.10.2019 को पं.दीनदयाल उपाध्याय, ऑडिटोरियम भवन, रायपुर में किया गया है। जिसमें 377 प्रतिभागियो द्वारा संगीत एवं नृत्य प्रतियोगिता में भाग लिया गया। राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 25 प्रतिभागियो को राष्ट्रीय स्तर की संगीत एवं नृत्य प्रतियोगिता उदयपुर, राजस्थान में शामिल कराया गया।

**स्पोर्ट मीट-2019 :-** प्रदेश में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता–2019 का आयोजन दिनांक 02 से 04 दिसम्बर तक कोटा स्टेडियम, रायपुर में किया गया। जिसमें 916 प्रतिभागियो द्वारा विभिन्न खेल विधाओं में भाग लिया गया। राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 355 प्रतिभागियो को राष्ट्रीय स्तर की क्रीड़ा प्रतियोगिता भोपाल, मध्यप्रदेश में शामिल कराया गया।

**राष्ट्रीय क्रीड़ा प्रतियोगिता :-** प्रदेश में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की राष्ट्रीय स्तर की क्रीड़ा प्रतियोगिता–2019 का आयोजन दिनांक 09 से 13 दिसम्बर 2019 तक भोपाल, मध्यप्रदेश में किया गया। विधावार विवरण निम्नानुसार है :–

| S. no | Event | boys/ Girls | No. of Boys | No. of Girls | Total | Rank | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Gold | Silver | Bronz | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Kho-Kho | B- 19 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Kho-Kho | B- 14 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Kho-Kho | G - 19 | 0 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Volley Ball | B- 14 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Hockey | B- 14 | 13 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Football | B- 14 | 13 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Handball | B- 19 | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Handball | B- 14 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Swimming | B- 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Archery | B- 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Archery | B- 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Karate | B- 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Karate | B- 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Karate | G - 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Badminton (single) | B- 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Badminton (mixed double) | B- 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Badminton (mixed double) | B- 19 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Wrestling | G-14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Wrestling | B- 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Taikwando | B- 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Athletics | B- 19 | 7 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 22 | Athletics | B- 14 | 10 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 23 | Athletics | G- 14 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| | **Total** | | **98** | **18** | **116** | **10** | **17** | **7** | **34** |

राष्ट्रीय स्तर पर भोपाल (म.प्र.) में आयोजित स्पोर्ट मीट–2019 में छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के 268 प्रतिभागियो द्वारा विभिन्न खेल विधाओं में भाग लिया गया। जिसमें से 98 बालक एवं 18 बालिकाओं द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर 10 स्वर्ण, 17 रजत एवं 07 कास्य पदक, इस प्रकार कुल 34 पदक अर्जित कर राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ सॉतवें स्थान पर रहा है।

माननीय राज्यपाल महोदया राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर(भोपाल में आयोजित) पर एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की खेलकूद प्रतियोगिता के विजेता दल को पुरस्कृत करते हुए

## —:: क्रीड़ा परिसर ::—

छत्तीसगढ़ राज्य में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति को खेल प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करने के लिए आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा वर्तमान में 19 क्रीड़ा परिसर संचालित किये जा रहे है, जिनमें प्रति क्रीड़ा परिसर 100 सीट के मान से कुल 1900 सीट स्वीकृत है तथा वर्ष 2019–20 में 1652 छात्र–छात्राएं क्रीड़ा परिसरों में प्रवेशित हैं। ये क्रीड़ा परिसर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के साथ संबद्व है। इन संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र–छात्राएं अपनी खेल प्रतिभा को विकसित करते हुए निरंतर अध्ययनरत हैं।

### क्रीड़ा परिसरों का विवरण निम्नानुसार हैः-

| क्रमांक | कीड़ा परिसर का नाम |
|---|---|
| 1. | अनुसूचित जनजाति बालक क्रीड़ा परिसर, डौंडी जिला बालोद |
| 2. | अनुसूचित जनजाति बालक क्रीड़ा परिसर, जिला गरियाबंद |
| 3. | अनुसूचित जनजाति बालक क्रीड़ा परिसर, धरमपुरा जिला जगदलपुर |
| 4. | अनुसूचित जनजाति बालक क्रीड़ा परिसर, नारायणपुर |
| 5. | अनुसूचित जनजाति बालक क्रीड़ा परिसर, जिला जशपुर |
| 6. | अनुसूचित जनजाति कन्या क्रीड़ा परिसर, जिला जशपुर |
| 7. | अनुसूचित जनजाति बालक क्रीड़ा परिसर, पेण्ड्रारोड, जिला बिलासपुर |
| 8. | अनुसूचित जनजाति बालक क्रीड़ा परिसर, मनेन्द्रगढ जिला कोरिया |
| 9. | अनुसूचित जनजाति कन्या क्रीड़ा परिसर, चौकी, जिला राजनांदगांव |
| 10. | अनुसूचित जनजाति कन्या क्रीड़ा परिसर, धरमजयगढ, जिला रायगढ |
| 11. | अनुसूचित जनजाति कन्या क्रीड़ा परिसर, जिला कांकेर |
| 12. | अनुसूचित जनजाति कन्या क्रीड़ा परिसर, जिला सरगुजा |
| 13. | अनुसूचित जनजाति बालक क्रीड़ा परिसर, वाड्रफनगर जिला बलरामपुर |
| 14. | अनुसूचित जनजाति कन्या क्रीड़ा परिसर, जिला जगदलपुर |
| 15. | अनुसूचित जनजाति कन्या क्रीड़ा परिसर, भानपुरी जिला बस्तर |
| 16. | अनुसूचित जाति बालक क्रीड़ा परिसर, जिला मुंगेली |
| 17. | अनुसूचित जाति कन्या क्रीड़ा परिसर, हसौद, जिला जांजगीर–चांपा |
| 18. | अन्य पिछडा वर्ग बालक क्रीड़ा परिसर, जिला रायपुर |
| 19. | अन्य पिछडा वर्ग बालक क्रीड़ा परिसर, जिला बिलासपुर |

## सत्र 2018-19 में विभागीय क्रीड़ा परिसर के खिलाड़ियों द्वारा राष्ट्रीय शालेय खेलकूद प्रतियोगिता में प्राप्त पदकों की जानकारी

| क्र. | छात्र/छात्रा का नाम | खेलविधा व आयु वर्ग | आयोजन स्थल | पदक | क्रीड़ा परिसर का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | अर्जुन कर्मा | एथलेटिक्स भीतर–14 वर्ष | रोहतक (हरियाणा) | स्वर्ण | बा.क्री.परिसर धरमपुरा |
| 2 | हेमराज | खो–खो भीतर–17 वर्ष | नारायणपुर (छ0ग0) | स्वर्ण | बा.क्री.परिसर नारायणपुर |
| 3 | दिलीप गिंज | खो–खो भीतर–17 वर्ष | नारायणपुर (छ0ग0) | स्वर्ण | बा.क्री.परिसर जशपुरनगर |
| 4 | योगेश कुमार | थ्रो–बाल भीतर–14 वर्ष | रायपुर (छ0ग0) | स्वर्ण | बा.क्री.परिसर डौण्डी दुर्ग |
| 5 | समीर कुमार | थ्रो–बाल भीतर–14 वर्ष | रायपुर (छ0ग0) | स्वर्ण | बा.क्री.परिसर डौण्डी दुर्ग |
| 6 | सोहन कुमार | थ्रो–बाल भीतर–19 वर्ष | दिल्ली | रजत | बा.क्री.परिसर डौण्डी दुर्ग |
| 7 | देवेन्द्र कुमार | थ्रो–बाल भीतर–19 वर्ष | दिल्ली | रजत | बा.क्री.परिसर डौण्डी दुर्ग |
| 8 | रोहन माहला | थ्रो–बाल भीतर–17 वर्ष | देवास (म0प्र0) | कांस्य | बा.क्री.परिसर डौण्डी दुर्ग |
| 9 | रूप सिंह | कबडडी भीतर–17 वर्ष | देवास (म0प्र0) | कांस्य | बा.क्री.परिसर मनेन्द्रगढ़ |
| 10 | कु. हेमिन्त कोमरा | कबडडी भीतर–17 वर्ष | देवास (म0प्र0)<br>पूणे (महाराष्ट्र) | रजत<br>रजत | कन्या.क्री. परि कांकेर |
| 11 | कु. योगिता मरकाम | फुटबाल भीतर–19 वर्ष | अम्बाला (हरियाणा) | कांस्य | कन्या.क्री. परि कांकेर |
| 12 | कु. अनुजा मिंज | फुटबाल भीतर–19 वर्ष | अम्बाला (हरियाणा) | कांस्य | कन्या.क्री.परि जशपुर नगर |
| 13 | कु. संहिता पैकरा | फुटबाल भीतर–19 वर्ष | अम्बाला (हरियाणा) | कांस्य | कन्या.क्री.परि जशपुर नगर |

उपरोक्तानुसार विभागीय क्रीड़ा परिसर के खिलाड़ियों द्वारा वर्ष 2018–19 में राष्ट्रीय शालेय खेलकूद प्रतियोगिता में 05 स्वर्ण, 04 रजत एवं 5 कास्य, इस प्रकार कुल 14 पदक अर्जित किए गए हैं।

## —:: गुरुकुल, आदर्श विद्यालय एवं कन्या शिक्षा परिसर ::—

विभाग का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के बालक एवं बालिकाओं के सर्वांगीण विकास हेतु गुणवत्तापूर्वक शिक्षा, खेल एवं अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु उत्तम वातावरण उपलब्ध करा कर उन्हें प्रदेश एवं देश की मुख्य धारा में शामिल कराना है। साथ ही उन्हें शाला परिसर में ही छात्रावास की व्यवस्था, संतुलित आहार सहित उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधन उपलब्ध कराना है। इस हेतु जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में विभिन्न आवासीय शिक्षण संस्थाएं संचालित की जा रही है। विभाग द्वारा वर्तमान में इन संस्थाओं के आवसीय व्यवस्था का संचालन किया जा रहा है। आवासीय शिक्षण संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है।

**गुरूकुल विद्यालय :-** वर्तमान में विभाग द्वारा सामान्य छात्रावास गुरूकुल आदर्श विद्यालय, पेण्ड्रारोड, बिलासपुर संचालित है जिसमें 245 सीट स्वीकृत है, इसमें शिक्षण सत्र 2019—20 में कुल 245 विद्यार्थी प्रवेशित है।

**आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय :-** विभाग द्वारा प्रदेश में कुल 06 आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संचालित है, जिसमें कक्षा 6 वीं से 12 तक अनुसूचित जनजाति वर्ग के बालकों को प्रवेश दिया गया है। उक्त विद्यालयों में कुल 1795 सीटर स्वीकृत है जिसमें शिक्षण सत्र 2019—20 में कुल 1427 बालक अध्ययनरत है। आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का विवरण निम्नानुसार हैः—

| क्र. | आदर्श उच्चतर माध्यमिक का नाम | कुल स्वीकृत सीट | प्रवेशित सीट |
|---|---|---|---|
| 1 | आदर्श, उ.मा. विद्यालय, जशपुर, जिला जशपुर | 245 | 245 |
| 2 | आदर्श, उ.मा. विद्यालय, फरसगांव जिला कोंडागांव | 315 | 315 |
| 3 | आदर्श, उ.मा. विद्यालय, डौंडी जिला बालोद | 245 | 206 |
| 4 | आदर्श, उ.मा. विद्यालय, बालोद दंतेवाड़ा जिला दंतेवाड़ा | 245 | 186 |
| 5 | आदर्श, उ.मा. विद्यालय, बैकुण्ठपुर जिला कोरिया | 245 | 168 |
| 6 | आदर्श, बालक उ.मा. विद्यालय, नाराणपुर जिला नारायणपुर | 500 | 307 |
| | **योग** | **1795** | **1427** |

**कन्या शिक्षा परिसर :-** विभाग द्वारा प्रदेश में कुल 14 कन्या शिक्षा परिसरों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें कक्षा 6 वीं से 12 तक अनुसूचित जनजाति वर्ग की बालिकाओं को प्रवेश दिया जाता है। उक्त विद्यालयों में कुल 4125 सीट्स स्वीकृत हैं, जिसमें शिक्षण सत्र 2019—20 में कुल 3050 बालिकाएं अध्ययनरत् है। कन्या क्रीडा परिसरों का विवरण निम्नानुसार हैः—

| क्र. | कन्या शिक्षा परिसर का नाम | स्वीकृत सीट | प्रवेशित सीट |
|---|---|---|---|
| 1 | कन्या शिक्षा परिसर, अंबिकापुर जिला सरगुजा | 245 | 245 |
| 2 | कन्या शिक्षा परिसर, राजपुर जिला बलरामपुर | 245 | 245 |
| 3 | कन्या शिक्षा परिसर, चौकी जिला राजनांदगांव | 245 | 245 |
| 4 | कन्या शिक्षा परिसर, दुगली जिला धमतरी | 245 | 245 |
| 5 | कन्या शिक्षा परिसर, पातरास दंतेवाड़ा जिला दंतेवाड़ा | 450 | 265 |
| 6 | कन्या शिक्षा परिसर, सुकमा जिला सुकमा | 225 | 225 |
| 7 | कन्या शिक्षा परिसर, परचनपाल जिला बस्तर | 245 | 245 |
| 8 | कन्या शिक्षा परिसर, भनपुरी जिला बस्तर | 245 | 170 |
| 9 | कन्या शिक्षा परिसर, सूरजपुर जिला सूरजपुर | 245 | 175 |
| 10 | कन्या शिक्षा परिसर, भोरमदेव जिला कबीरधाम | 245 | 202 |
| 11 | कन्या शिक्षा पिरसर, बीजापुर जिला बीजापुर | 245 | 185 |
| 12 | कन्या शिक्षा परिसर, बहीगांव जिला कोण्डागांव | 245 | 165 |
| 13 | कन्या शिक्षा परिसर, नारायणपुर जिला नारायणपुर | 500 | 349 |
| 14 | नवीन कन्या शिक्षा परिसर, जावंगा दंतेवाड़ा, जिला दंतेवाड़ा | 500 | 89 |
| | **योग** | **4125** | **3050** |

## अशासकीय संस्थाओं को अनुदान :-

अनुसूचित जाति तथा जनजाति के हितार्थ कार्य कर रही अशासकीय संस्थाओं को विभागीय अशासकीय संस्था अनुदान नियम 2006 में प्रावधानों के अनुसार अनुदान दिया जाता है। इस हेतु वर्ष 2019–20 में प्रावधान निम्नानुसार है :–

| अनुदान प्राप्त संस्थायें | प्रावधान (लाख में) | जारी आवंटन (लाख में) |
|---|---|---|
| अशासकीय संस्थाओं को अनुदान | | |
| अनुसूचित जनजाति | 1550.00 | 1468.73 |
| अनुसूचित जाति | 110.00 | 110.00 |

## स्वैच्छिक संगठनों को भारत सरकार से अनुदान :-

भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार राज्य में स्वैच्छिक संगठनों द्वारा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्गो तथा अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण/उत्थान हेतु संचालित प्रवृत्तियों/गैर शासकीय संस्थाओं द्वारा संचालित (परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण) के प्रस्ताव शासन स्तर पर गठित स्वैच्छिक संगठनों के सहायतार्थ राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदन पश्चात् वर्ष 2019–20 में भारत सरकार को अनुदान स्वीकृति के लिये प्रेषित प्रस्ताव का विवरण निम्नानुसार है :–

### भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित अनुसूचित जनजाति संवर्ग के प्रस्ताव

| क्रमांक | अनुदान हेतु संस्थायें | स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि |
|---|---|---|
| 1 | 02 संस्थाओं के नवीनीकरण प्रस्ताव | 1,01,05,220/– |

## नर्सिंग पाठ्यक्रम में निःशुल्क अध्ययन सुविधा योजना -

यह योजना वर्ष 2009–10 से प्रारंभ की गयी हैं । योजना अंतर्गत प्रतिवर्ष अनुसूचित जाति वर्ग के 155 एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के 245 इस प्रकार कुल 400 विद्यार्थियों को नर्सिंग पाठ्यक्रम में निःशुल्क अध्ययन सुविधा दिये जाने का लक्ष्य हैं। योजनांतर्गत वर्ष 2018–19 तक अनुसूचित जाति वर्ग के 1138 एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के 1777 कुल 2915 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

## हॉस्पिटालिटी एवं होटल मैनेजमेंट प्रशिक्षण -

राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग की छात्र/छात्राओं को एयर होस्टेस, एविएशन, हॉस्पिटालिटी तथा होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा प्रशिक्षण योजना वर्ष 2006–07 से प्रारंभ की गयी है। वर्ष 2013–14 में योजना में संशोधन किया गया हैं, जिसके तहत् ''हॉस्पिटालिटी एवं होटल मैनेजमेंट'' में डिप्लोमा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। योजनांतर्गत वर्ष 2018–19 तक अनुसूचित जाति वर्ग के 186 तथा

अनुसूचित जनजाति वर्ग के 126 इस प्रकार कुल 312 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। प्रशिक्षण उपरांत लगभग 258 प्रशिक्षणार्थियों को जॉब प्लेसमेंट उपलब्ध कराया गया है। वर्ष 2019–20 में अनु.जाति वर्ग के 54 तथा अनु.जनजाति वर्ग के 29 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

### निःशुल्क वाहन चालक प्रशिक्षण योजना -

योजनांतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कक्षा 8वीं उत्तीर्ण गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को वाहन चालक का निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाकर रोजगार उपलब्ध कराने हेतु यह योजना वर्ष 2008–09 से प्रारंभ की गयी है। योजनांतर्गत अब तक अनुसूचित जाति वर्ग के 735 तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के 1207 इस प्रकार कुल 1942 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु जिलों को आबंटन उपलब्ध कराया जा चुका है। वर्ष 2019–20 में अनुसूचित जाति वर्ग के 60 तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के 120 इस प्रकार कुल 180 अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण हेतु जिलों को आबंटन उपलब्ध कराया गया है।

### रविदास चर्मशिल्प योजना :-

प्रदेश के चर्म सिलाई के व्यवसाय में लगे लोगो को वित्तीय सहायता प्रदान करने की दृष्टि से वर्ष 2008–09 में रविदास चर्मशिल्प योजना प्रारंभ की गयी है। इसके तहत् अनुसूचित जाति के हितग्राहियों को मोची पेटी औजार सहित निःशुल्क प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में राशि रू. 30.00 लाख का बजट प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2013–14 से 2019–20 तक राशि रू.163.43 लाख जिलों को आबंटन उपलब्ध कराया गया है। जिला स्तर पर निविदा आमंत्रित कर मोची पेटी औजार सहित क्रय कर हितग्राहियों को वितरण की कार्यवाही की जाती है।

### अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, संशोधन अधिनियम-2015 यथा संशोधित अधिनियम 2018 अंतर्गत राहत योजनाः-

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर गैर अनुसूचित जाति/जनजाति व्यक्तियों के द्वारा अत्याचार अपराध करने का निवारण के लिए ऐसे अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय तथा ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने तथा उनके पुनर्वास से संबंधित विषयों के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989 संशोधन अधिनियम 2015 तथा मूल अधिनियम 1989 में पुनः 2018 में संशोधन कर संशोधन अधिनियम 2018 लागू किया गया है।

छ.ग. राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (आकस्मिकता योजना ) नियम 1995 संशोधन नियम 24 अगस्त 2016 के द्वारा नियम 7 राहत एवं सहायता अंतर्गत देय राहत राशि इस प्रकार हैः–

| क्र. | अपराध का नाम | राहत की न्यूनतम राशि |
|---|---|---|
| 1. | अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ रखना (अधिनियम की धारा 3(1)(क) | पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए, संदाय निम्नानुसार किया जाए :<br>(I) क्रम संख्यांक (2) और (3) के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 10 प्रतिशत और क्रम संख्यांक (1), (4) और (5) के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रक्रम पर 25 प्रतिशत<br>(ii) जब आरोप पत्र न्यायालय में भेजा जाता है तब 50 प्रतिशत।<br>(iii) जब अभियुक्त व्यक्ति क्रम संख्या (2) और (3) के लिए अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध कर दिया जाता है तब 40 प्रतिशत और इसी प्रकार क्रम संख्यांक (1), (4) और (5) के लिए 25 प्रतिशत। |
| 2. | मल–मूत्र, मल, पशु शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करना (अधिनियम की धारा 3(1)(ख) | |
| 3. | क्षति करने, अपमानित या क्षुब्ध करने के आशय से मलमूत्र, कूड़ा, पशु शव इकट्ठा करना (अधिनियम की धारा 3(1)(ग) | |
| 4. | जूतों की माला पहनाना या नग्न या अर्ध नग्न घुमाना (अधिनियम की धारा 3 (1)(घ) | |
| 5. | बलपूर्वक ऐसे कार्य करना जैसे कपड़े उतारना, बलपूर्वक सिर का मुंडन करना, मूंछे हटाना, चेहरे या शरीर को पोतना (अधिनियम की धारा 3(1)(ड.) | |
| 6. | भूमि को सदोष अधिभोग में लेना या उस पर खेती करना (अधिनियम की धारा 3(1)(च) | पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए। जहां आवश्यक हो वहां संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन द्वारा सरकारी खर्चे पर भूमि या परिसर या जल आपूर्ति या सिंचाई सुविधा वापस लौटाई जाएगी। पीड़ित व्यक्ति को निम्नानुसार संदाय किया जाएगा :<br>(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत<br>(ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत।<br>(iii)अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत। |
| 7. | भूमि या परिसरों से सदोष बेकब्जा करना या अधिकारों जिनके अंतर्गत वन अधिकार भी हैं, के साथ हस्तक्षेप करना (अधिनियम की धारा 3(1)(च) | |
| 8. | बेगार या अन्य प्रकार के बलातश्रम या बंधुआ श्रम (अधिनियम की धारा 3(1)(ज) | पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :<br>1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम |

| क्र. | अपराध का नाम | राहत की न्यूनतम राशि |
|---|---|---|
| 9. | मानव या पशु शवों की अंत्येष्टि या ले जाने या कब्रों को खोदने के लिए विवश करना (अधिनियम की धारा 3(1)(झ) | पर 25 प्रतिशत<br>2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत।<br>3. अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत। |
| 10. | अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को हाथ से सफाई करवाना या ऐसे प्रयोजन के लिए उसे नियोजित करना (अधिनियम की धारा 3(1)(ञ) | |
| 11. | अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की स्त्री को देवदासी के रूप में कार्य निष्पादन करने या समर्पण का संवर्धन करने (अधिनियम की धारा 3(1)(ट) | |
| 12. | मतदान करने या नामनिर्देशन फाइल करने से निवारित करना (अधिनियम की धारा 3(1)(ठ) | पीड़ित व्यक्ति को पचासी हजार रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :<br>1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत।<br>2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत।<br>3. अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत। |
| 13. | पंचायत या नगर पालिका के पद के धारक को कर्तव्यों के पालन में मजबूर करना या अभित्रस्त करना या उनमें व्यवधान डालना (अधिनियम की धारा 3(1)(ड) | |
| 14. | मतदान के पश्चात हिंसा और सामाजिक तथा आर्थिक बहिष्कार का अधिरोपण (अधिनियम की धारा 3(1)(ढ़) | |
| 15. | किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने या उसको मतदान नहीं करने के लिए इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करना (अधिनियम की धारा 3(1)(ण) | |
| 16. | मिथ्या, द्वेषपूर्ण या तंग करने वाली विधिक कार्यवाइयां संस्थित करना (अधिनियम की धारा 3(1)(त) | पीड़ित व्यक्ति को पचासी हजार रूपए या वास्तविक विधिक खर्चों और नुकसानियों की प्रतिपूर्ति जो भी कम हो। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :<br>1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत।<br>2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। |

| क्र. | अपराध का नाम | राहत की न्यूनतम राशि |
|---|---|---|
| | | 3. अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत। |
| 17. | किसी लोकसेवक को कोई मिथ्या और तुच्छ सूचना देना (अधिनियम की धारा 3(1)(थ) | पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए या वास्तविक विधिक खर्चों और नुकसानियों की प्रतिपूर्ति जो भी कम हो। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :<br>1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत।<br>2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत।<br>3. अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत। |
| 18. | लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर साशय अपमान या अपमानित करने के लिए अभित्रास (अधिनियम की धारा 3(1)(द) | पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :<br>1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत<br>2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत।<br>3. अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत। |
| 19. | लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर जाति के नाम से गाली गलौज करना (अधिनियम की धारा 3(1)(ध) | |
| 20. | धार्मिक मानी जाने वाली या अति श्रद्धा से ज्ञात किसी वस्तु को नष्ट करना, हानि पहुंचाना या उसे अपवित्र करना (अधिनियम की धारा 3(1)(न) | |
| 21. | शत्रुता, घृणा वैमन्सय की भावनाओं में अभिवृद्धि करना (अधिनियम की धारा 3(1)(प) | |
| 22. | अति श्रद्धा से माने जाने वाले किसी दिवंगत व्यक्ति का शब्दों द्वारा या किसी अन्य साधन से अनादर करना (अधिनियम की धारा 3(1)(फ) | |
| 23. | किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की स्त्री को साशय ऐसे कार्यो या अंगविक्षेपों का उपयोग करके जो लैंगिक प्रकृति के कार्य के रूप में हों, उसकी सहमति के बिना उसे स्पर्श करना (अधिनियम की धारा 3 (1)(ब) | पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :<br>(I) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत<br>(ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत।<br>(iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत। |

| क्र. | अपराध का नाम | राहत की न्यूनतम राशि |
|---|---|---|
| 24. | भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 326 ख (1860 का 45) स्वेच्छया अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(फक) | (क) ऐसे पीड़ित व्यक्ति को जिसका चेहरा 2 प्रतिशत या उससे अधिक जला हुआ है या आंख, कान, नाक और मुंह के प्रकार्य ह्रास और या शरीर पर 30 प्रतिशत से अधिक जलन की क्षति की दशा में आठ लाख पच्चीस हजार रूपए।<br>(ख) ऐसे पीड़ित व्यक्ति को जिसकी शरीर 10 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के बीच में जला हुआ है, चार लाख पंद्रह हजार रूपए।<br>(ग) ऐसा पीड़ित व्यक्ति, चेहरे के अतिरिक्त, जिसका शरीर 10 प्रतिशत से कम जला हुआ है, को पचासी हजार रूपए।<br><br>इसके अतिरिक्त राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन अम्ल के हमले के पीड़ित व्यक्ति के उपचार के लिए पूरी जिम्मेदारी लेगा।<br><br>मद (क) से (ग) के निबंधानुसार संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :<br>1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत।<br>2. चिकित्सा रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर 50 प्रतिशत। |
| 25. | भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354(1860 का 45) स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस हमला या अपराधिक बल का प्रयोग (अधिनियम की अनुसूची क साथ पठित धारा 3(2)(Vक) | पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :<br>1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत<br>2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत।<br>3. अवर न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्त होने पर 25 प्रतिशत। |
| 26. | भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354(1860 का 45) (लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड (अधिनियम की अनुसूची क साथ पठित धारा 3(2)(Vक) | पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :<br>1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत |

| क्र. | अपराध का नाम | राहत की न्यूनतम राशि |
|---|---|---|
| | | 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत।<br>3. निचले न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्त होने पर 25 प्रतिशत। |
| 27. | भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354ख (1860 का 45) निर्वस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक) | पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :<br>1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत<br>2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत।<br>3. अवर न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्त होने पर 25 प्रतिशत। |
| 28. | भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354ग (1860 का 45) दृश्यरतिकता (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक) | पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा<br>1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 10 प्रतिशत<br>2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत।<br>3. अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 40 प्रतिशत। |
| 29. | भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354घ (1860 का 45) पीछा करना (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक) | पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 10 प्रतिशत<br>2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत।<br>3. अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 40 प्रतिशत। |
| 30. | भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 376ख (1860 का 45) पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक) | पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा<br>1. चिकित्सा परीक्षा और पुष्टिकारक चिकित्सा रिपोर्ट के पश्चात 50 प्रतिशत<br>2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत।<br>3. अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत। |

| क्र. | अपराध का नाम | राहत की न्यूनतम राशि |
|---|---|---|
| 31. | भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 376ग (1860 का 45) प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक) | पीड़ित व्यक्ति को चार लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :<br>1. चिकित्सा परीक्षा और पुष्टिकारक चिकित्सा रिपोर्ट के पश्चात 50 प्रतिशत<br>2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत।<br>3. अवर न्यायालय द्वारा विचारण की समाप्ति पर 25 प्रतिशत। |
| 32. | भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 509(1860 का 45) शब्द, अंगविक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक) | पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा<br>1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत<br>2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत।<br>3. अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत। |
| 33. | जल को दूषित या गंदा करना (अधिनियम की धारा 30(1)(भ) | सामान्य सुविधा जिसके अंतर्गत जब पानी दूषित कर दिया जाता है, की सफाई भी है, को वापस लौटाने का पूरा खर्च संबद्ध राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा वहन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आठ लाख पच्चीस हजार की रकम स्थानीय निकाय के परामर्श से जिला प्राधिकारी द्वारा विनिश्चय की जाने वाली प्रकृति की सामुदायिक अस्तियों को सृजित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के पास जमा की जाए। |
| 34. | लोक समागम के किसी स्थान से गुजरने के किसी रूढिजन्य अधिकार से इन्कार या लोक समागम के ऐसे स्थान का उपयोग करने या उस पर पहुंच रखने में बाधा पहुँचाना (अधिनियम की धारा 3(1)(म) | संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा पीड़ित व्यक्ति को चार लाख पच्चीस हजार रूपए और गुजरने के अधिकार के प्रत्यावर्तन का खर्च। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :<br>1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत<br>2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। |

| क्र. | अपराध का नाम | राहत की न्यूनतम राशि |
|---|---|---|
| | | 3. निचले न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत। |
| 35. | गृह, ग्राम या निवास का स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करना (अधिनियम की धारा 3(1)(य) | संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा गृह, ग्राम या निवास के अन्य स्थान पर स्थल या ठहरने के अधिकार की बहाली और पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए की राहत तथा सरकारी खर्चे पर गृह का पुनः संनिर्माण, यदि विनिष्ट हो गया है। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :<br>1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत<br>2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत।<br>3. अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत। |
| 36. | निम्नलिखित के संबंध में, किसी रीति के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य हो बांधा डालना या निवारित करना –<br>(अ) क्षेत्र की सामान्य सम्पत्ति या अन्य के साथ समानता के आधार पर कब्रिस्तान या श्मशान भूमि या किसी नदी, धारा, झरना, कुंआ, टैंक, हौज, नल या अन्य जल स्थान या नहाने के घाट, किसी लोक परिवहन, किसी सड़क या रास्ते का उपयोग (अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(अ) | (अ) क्षेत्र की सामान्य सम्पत्ति संसाधनों, कब्रिस्तान या श्मशान भूमि का अन्य के साथ समानता के आधार पर उपयोग को या किसी नदी, धारा, झरना, कुंआ, टैंक, हौज, नल या अन्य जल स्थान या नहाने के घाट, किसी लोक परिवहन, किसी सड़क या रास्ते का उपयोग समानता के आधार पर संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाल करना और पीड़ित को एक लाख रूपए की राहत। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :<br>1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत।<br>2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।<br>3. 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर। |

| क्र. अपराध का नाम | राहत की न्यूनतम राशि |
|---|---|
| (आ) सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना या जूता आदि या नए वस्त्र पहनना या बारात निकालना या बारात के दौरान घोड़े की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी करना (अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(आ) | (आ) सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना या जूता आदि या नए वस्त्र पहनना या बारात निकालना या बारात के दौरान घोड़े की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रूपए का अनुतोष। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :<br>1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत।<br>2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।<br>3. 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर। |
| (इ) किसी ऐसे पूजा स्थल में प्रवेश करना, जो पब्लिक या अन्य व्यक्तियों के लिए खुले हुए हैं, जो उसी धर्म के हैं या कोई धार्मिक जुलूस या किसी सामाजिक या सांस्कृतिक जुलूस, जिसके अंतर्गत यात्रा है, निकालना या उनमें भाग लेना। (अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(इ) | (इ) अन्य व्यक्तियों के साथ समानतापूर्वक किसी ऐसे पूजा स्थल में प्रवेश करना, जो पब्लिक या अन्य व्यक्तियों के लिए खुले हुए हैं, जो उसी धर्म के हैं या कोई धार्मिक जुलूस या किसी सामाजिक या सांस्कृतिक जुलूस, जिसके अंतर्गत यात्रा है, निकालना या उनमें भाग लेने के अधिकार की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रूपए का अनुतोष। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :<br>1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत।<br>2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।<br>3. 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर। |
| (ई) किसी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुकान या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान या किसी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करना, या पब्लिक के लिए किसी स्थान में पब्लिक द्वारा उपयोग के लिए आशयित बर्तनों या वस्तुओं का उपयोग। (अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(ई) | (ई) किसी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुकान या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान या किसी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करना, या पब्लिक के लिए किसी स्थान में पब्लिक द्वारा उपयोग के लिए आशयित बर्तनों या वस्तुओं का उपयोग की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र |

| क्र. | अपराध का नाम | राहत की न्यूनतम राशि |
|---|---|---|
| | | प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रूपए का अनुतोष। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :<br>1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत।<br>2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।<br>3. 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर। |
| | (उ) कोई व्यवसाय करना या कोई वृत्तिक, व्यापार या कारवार करना या किसी कार्य में नियोजन, जिनमें पब्लिक के अन्य व्यापार सदस्यों या उसके किसी भाग का उपयोग करने का या उस तक पहुंच का अधिकार है। (अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(उ) | (उ) कोई व्यवसाय करना या कोई वृत्तिक, व्यापार या कारोबार करने या किसी कार्य में नियोजन, जिनमें पब्लिक के अन्य व्यापार सदस्यों या उसके किसी भाग का उपयोग करने का या उस तक पहुंच के अधिकार की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रूपए का अनुतोष। संदाय निम्ना नुसार किया जाएगाः<br>1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत।<br>2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।<br>3. 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर। |
| 37. | डायन होने या जादू–टोना करने का आरोप लगाने से शारीरिक क्षति या मानसिक अपहानि कारित करना। (अधिनियम की धारा 3(1)(यख) | पीड़ित को एक लाख रूपए और उसके अनादर बेइज्जती, क्षति और उसकी अवमानना के अनुसार संदाय।<br>1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत।<br>2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।<br>3. 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर। |
| 38. | सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार अधिरोपित करना या उसकी धमकी देना (अधिनियम की धारा 3(1)(यग) | संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ |

| क्र. | अपराध का नाम | राहत की न्यूनतम राशि |
|---|---|---|
| | | समान रूप से सभी सामाजिक और आर्थिक सेवाओं की बहाली और पीड़ित को एक लाख रूपए का अनुतोष जिसका संदाय पूर्ण रूप से अवर न्यायालय को आरोप पत्र भेजने पर किया जाएगा। |
| 39. | मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना (अधिनियम की धारा 3(2)(i) और (ii) | पीड़ित को चार लाख पचास हजार रूपए संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :<br>1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत।<br>2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।<br>3. 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर। |
| 40. | भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का 45)के अधीन अपराध करना, जो दस वर्ष से या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय है। (अधिनियम की धारा 3(2) | पीड़ित और उसके आश्रितों को चार लाख रूपये। इस रकम में फेरफार हो सकता है यदि अनुसूची में विनिर्दिष्ट अन्यथा उपबन्ध किया गया हो। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :<br>1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत।<br>2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।<br>3. 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर। |
| 41. | भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का 45) के अधीन अपराध करना, जो अधिनियम की अनुसूची में विर्निदिष्ट है, जो ऐसे दंड से दंडनीय है जैसा ऐसे अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता में विर्निदिष्ट किया गया है। (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(अं) | पीड़ितों और या उसके आश्रितों को दो लाख रूपए। इस रकम में फेरकार हो सकता है, यदि अनुसूची में विनिर्दिष्ट अन्यथा उपबंध किया गया हो, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :<br>1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत।<br>2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।<br>3. 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर। |

| क्र. | अपराध का नाम | राहत की न्यूनतम राशि |
|---|---|---|
| 42. | लोक सेवक के हाथों पीड़ित करना। (अधिनियम की धारा 3(2)(vii) | पीड़ित और या उसके आश्रितों को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :<br>1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत।<br>2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।<br>3. 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर। |
| 43. | निःशक्तता। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना सं. 16–18 / 97–एनआई तारीख 1 जून 2001 में यथा प्रमाणन की प्रक्रिया कि लिए अंतर्विष्ट विभिन्न निःशक्तताओं के मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत। अधिसूचना की एक प्रति उपाबंध 2 पर है। | |
| | (क) शत–प्रतिशत अक्षमता। | पीड़ित को आठ लाख और पच्चीस हजार रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :<br>1. चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत।<br>2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। |
| | (ख) जहाँ अक्षमता शत–प्रतिशत से कम है किन्तु पचास प्रतिशत से अधिक है । | पीड़ित को चार लाख और पच्चास हजार रूपए संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :<br>1. चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत।<br>2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। |
| | (ग) जहाँ अक्षमता पचास प्रतिशत से कम है | पीड़ित को दो लाख और पच्चास हजार रूपए संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :<br>1. चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत।<br>2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। |

| क्र. | अपराध का नाम | राहत की न्यूनतम राशि |
|---|---|---|
| 44. | बलात्संग या सामूहिक बलात्संग<br>(i) बलात्संग (भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 375) | पीड़ित को पांच लाख रूपए संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :<br>1. चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत।<br>2. 25 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।<br>3. अवर न्यायालय द्वारा विचारण की समाप्ति पर 25 प्रतिशत. |
| | (ii) सामूहिक बलात्संग (भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का 45)की धारा 376 घ) | पीड़ित को आठ लाख पच्चीस हजार रूपए, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :<br>1. चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत।<br>2. 25 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।<br>3. अवर न्यायालय द्वारा विचारण की समाप्ति पर 25 प्रतिशत. |
| 45. | हत्या या मृत्यु | पीड़ित को आठ लाख पच्चीस हजार रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :<br>1. शव परीक्षा के पश्चात् 50 प्रतिशत।<br>2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजे जाने पर। |
| 46. | हत्या, मृत्यु, सामूहिक हत्या, बलात्संग, सामूहिक बलात्संग, स्थायी अक्षमता और डकैती के पीड़ितों को अतिरिक्त अनुतोष. | पूर्वोक्त मदों के अधीन संदत्त अनुतोष की रकम के अतिरिक्त अनुतोष का अत्याचार की तारीख से तीन मास के भीतर निम्नानुसार प्रबंध किया जाएगा :–<br>1. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों से संबंध रखने वाले मृतक व्यक्ति की विधवा या अन्य आश्रितों के प्रतिमास पांच हजार रूपये की मूल पेंशन के साथ अनुज्ञेय मंहगाई भत्ता, जैसा संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी सेवकों को लागू है और मृतक के कुटुम्ब के सदस्यों को रोजगार और कृषि भूमि, घर, यदि तुरंत क्रय द्वारा आवश्यक हो, का उपबंध : |

| क्र. | अपराध का नाम | राहत की न्यूनतम राशि |
|---|---|---|
| | | 2. पीडित के बालकों की स्नातक स्तर तक शिक्षा की पूरी लागत और उनका भरण–पोषण। बालकों को सरकार द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित आश्रम स्कूलों या आवासीय स्कूलों में दाखिल किया जा सकेगा,<br>3. बर्तनों, चावल, गेहूं, दालों, दलहन आदि तीन मास की अवधि के लिए उपबंध। |
| 47. | घरों को पूर्णतया नष्ट करना या जलाना. | ईंटों या पत्थरों से बने हुए घरों का निर्माण या सरकारी लागत पर उन्हें वहां उपलब्ध कराना जहां उन्हें पूर्णतया जला दिया गया है या नष्ट कर दिया गया है।'' |

उक्त अपराधों के लिए दण्ड का प्रावधान है। अधिनियम के अनुसार पीड़ित व्यक्ति/परिवार को सहायता पहुंचाने हेतु अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 बनाया गया है। इस नियम के अंतर्गत आकस्मिकता योजना नियम 1995 द्वारा पीड़ित व्यक्तियों/परिवारों को राहत एवं पुनर्वास सहायता उपलब्ध कराई जाती है। राज्य शासन की अधिसूचना 23.08.2012 के द्वारा अत्याचार पीड़ितों को देय राहत एवं पुनर्वास सहायता की दरों में न्यूनतम 140 प्रतिशत से 166 प्रतिशत तक वृद्धि की गई है तथा हत्या/मृत्यु के मामले में जीवन निर्वाह भत्ते की दर में 200 प्रतिशत वृद्धि की गई है। अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3(1) या 3(2) की विभिन्न उपधाराओं के अंतर्गत विभिन्न अत्याचार अपराध से उत्पीड़ित अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय के व्यक्ति, उनके परिवार या आश्रितों को राहत एवं पुनर्वास सहायता की पात्रता होगी। वर्ष 2018–19 में अधिनियम के तहत घटित अपराधों में अनुसूचित जाति/जनजाति के कुल 1246 व्यक्तियों को राहत सहायता दी गई है। वर्ष 2019–20 में माह नवंबर 2019 की स्थिति में 1048 अत्याचार पीड़ितों को राहत सहायता स्वीकृत की गई है।

उक्त अधिनियम के तहत बनाये गये अत्याचार निवारण नियम 1995 की धारा 9 के अनुपालन में राज्य शासन द्वारा आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, छत्तीसगढ़ को नोडल अधिकारी घोषित किया गया है। उक्त नियम की धारा 16 के तहत प्रदेश में अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन, पीड़ित व्यक्तियों को दी गई राहत एवं पुनर्वास तथा उनसे संबंध मामलों पर विचार/समीक्षा हेतु राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति माननीय मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में गठित तथा नियम 16 (2) के अनुसार कैलेण्डर वर्ष 2019 में उक्त समिति की बैठक 26 जुलाई 2019 को आयोजित की गई है। नियम 17 (1) के अनुसार प्रदेश के समस्त 27 जिलों में जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समितियों का गठन किया जाता है तथा नियम 17 (3) के अनुसार जिला स्तर पर इन समितियों की बैठकें आयोजित की जा रही है।

अनुसूचित जाति/जनजाति के विरूद्ध अपराधों पर नियंत्रण के लिए प्रदेश में 13 जिलों यथा जिला– रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, कबीरधाम, महासमुंद, जांजगीर एवं कोरबा में विशेष थाना (पुलिस) स्थापित किए जाकर कार्यरत है। शेष 14 जिलों में कमशः धमतरी कांकेर, कोरिया, जशपुर, बलरामपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, बालोद, बेमेतरा, मुंगेली, बीजापुर, नारायणपुर, कोण्डागांव एवं सुकमा में आजाक प्रकोष्ठ स्थापित होकर संचालित है।

उपरोक्त मामलों में त्वरित कार्यवाही हेतु प्रदेश में विशेष 11 जिलों में यथा जिला– रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जगलदपुर, बिलासपुर, सरगुजा, जांजगीर, जशपुर, कोरबा, कोरिया एवं रायगढ़ में स्थापित किया जाकर कार्यरत है।

- अनुसूचित जाति एवं अनु.जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत जिला जांजगीर–चांपा, जशपुर, कोरबा, कोरिया (बैकुण्ठपुर) एवं रायगढ़ जिला मुख्यालयों की स्थापना हेतु प्रति न्यायालय 10 पद के मान से विशेष न्यायधीश (एट्रो.) एवं स्टाफ के पद सहित कुल 50 पद स्वीकृत किए गए हैं।
- अनुसूचित जाति एवं अनु.जनजाति (अत्याचार निवारण) सहायता एवं पुनर्वास, अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन, अस्पृश्यता निवारणार्थ सद्भावना शिविर आयोजन संबंधी योजनाएँ केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ है, जो कि 50 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 50 प्रतिशत राज्यांश से क्रियान्वित की जाती है।

## राहत एवं पुनर्वास सहायता:-

अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत राहत एवं पुनर्वास सहायता हेतु वर्ष 2019–20 में प्राप्त आबंटन राशि रू. 405.40 लाख जिलों को जारी किया गया है। जिसके व्यय जिलों द्वारा की गई है। छ.ग. शासन, वित्त विभाग के पत्र क्रमांक 208/02357 /वित्त /बजट–4 /2016 दिनांक 26.05.2016 के द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनु.जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत पीड़ित को राहत राशि के देयक बजट आबंटन के अभाव में कोषालय से आहरित करने के निर्देश जारी किए गए है।

## अस्पृश्यता निवारणार्थ सद्भावना शिविर :-

अनुसूचित जातियों के विकास एवं कल्याण तथा उनके प्रति अस्पृश्यता के कलंक को मिटाने हेतु जिला एवं ब्लाक स्तर पर सद्भावना शिविरों को आयोजन किया जाता है। जिसका मुख्य उद्देश्य ऐसे रूढ़ियों और व्यक्तियों के विरूद्ध स्वच्छ निर्मल एवं सामाजिक वातावरण बनाने की पहल है। सामान्यतः सदभावना शिविर का आयेाजन 02 अक्टूबर देश/प्रदेश के अन्य अनुसूचित जाति एवं अनु.जनजाति के महापुरूषों की जन्मतिथि/जयंती पर किया जाना है।

अनुसूचित जाति एवं अनु.जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत सद्भावना शिविर के आयेाजन हेतु वर्ष 2019–20 में प्राप्त आबंटन राशि रू. 9.22 लाख जिलों को जारी किया गया है। जिसके व्यय की कार्यवाही जिलों में की जा रही है।

## अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना :-

इस योजना का मूल उद्देश्य अस्पृश्यता उन्मूलन की दशा में सवर्ण लड़के या लड़की द्वारा अनुसूचित जाति के लड़के या लड़की से विवाह कर उठाए गए आदर्श कदम हेतु पुरस्कृत एवं सम्मानित करना है। राज्य शासन द्वारा योजनान्तर्गत दिनांक 13 अप्रेल 2018 से प्रति दंपत्ति रू. 2,50,000/– पुरस्कार की राशि दिए जाने का प्रावधान है।

- वर्ष 2019–20 में अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना हेतु प्राप्त आबंटन राशि रू. 59.00 लाख जिलों को जारी किया गया है। जिसके व्यय की कार्यवाही जिलों में की जा रही है। वित्त विभाग छ.ग. शासन के पत्र क्रमाक 1274/02357/वि/बजट–4/2015 दिनांक 26.12.2015 के द्वारा अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के देयक बजट आबंटन के अभाव में कोषालय से आहरित करने के निर्देश दिए गए है।

## मैनुअल स्केवेंजर्स का सर्वेक्षण :-

छत्तीसगढ़ शासन हाथ से मैला ढुलाई की अमानवीय कुप्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। हाथ से मैला ढुलाई के रूप में रोजगार के नियोजन का प्रतिषेध एवं उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 की धारा 36 के क्रियान्वयन हेतु राज्य षासन द्वारा नियम दिनांक 04.03.2014 को अधिसूचित किया जाकर छत्तीसगढ़ राज्य में लागू किया गया है। जिसके अंतर्गत प्रदेश में नगरीय निकायों में अस्वच्छ शौचालयों के सर्वेक्षण का कार्य सभी 168 नगरीय निकायों में किया गया है तथा 4391 अस्वच्छ शौचालय चिन्हांकित किए गए हैं जिनमें से दिसंबर 2015 तक 3184 अस्वच्छ शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में परिवर्तित किया जा चुका है। शेष अस्वच्छ शौचालयों को मार्च 2015 तक स्वच्छ शौचालयों में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा गया है। छ.ग. राज्य के जिला मुंगेली में 03 मैनुअल स्केवेंजर्स सर्वे में पाए गए थे जिन्हें नगरीय प्रशासन विकास विभाग द्वारा पुर्नस्थापित की जा चुकी है। छ.ग. राज्य में वर्तमान में कोई मैनुअल स्केवेंजर नहीं है।

## प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना :-

केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु वर्ष 2015–16 में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना लागू की गई है। जिसके क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों का एकीकृत विकास हेतु गाइड लाईन तथा केन्द्रांश जारी किया गया है।

उक्त योजनांतर्गत छ.ग. राज्य के जिला बेमेतरा में 30, बलौदाबाजार में 40, जांजगीर–चांपा में 30, बिलासपुर में 35 तथा मुंगेली में 40 ग्राम इस प्रकार 175 ग्रामों का चयन किया गया है। चयनित ग्रामों में अनुसूचित जाति के परिवारों की मूलभूत आवश्यकताएँ यथा – आवास, पेयजल, विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक, आर्थिक विकास इत्यादि तथा चयनित ग्रामों में उपलब्ध/आवश्यक अधोसंरचना के संबंध में ग्रामवार बेस लाईन सर्वेक्षण कर विलेज डेव्हलपमेंट प्लान तैयार किया जाकर विकास किया जाएगा। उक्त योजनांतर्गत कुल राशि रु. 8125.00 लाख का आवंटन उपलब्ध हुआ है, जिसका पुनर्रावंटन संबंधित जिलों को किया जा चुका है। भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत द्वितीय सोपान द्वारा छ.ग. राज्य के 19 जिलों के 243 नवीन ग्रामों में योजना का क्रियान्वयन किया जाना है।

**प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत जिला स्रोत दल एवं अभिसरण विभागों का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण दिनांक- 20 से 23 मई 2019**

## —: सम्मान / पुरस्कार :—

छ.ग.शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग योजनांतर्गत शहीद वीर नारायण सिंह, स्व. डॉ. भंवर सिंह पोर्ते एवं गुरू घासीदास सामाजिक चेतना एवं अनुसूचित जाति उत्थान सम्मान पुरस्कार हेतु विज्ञापन के माध्यम से प्रविष्टियाँ आमंत्रित की जाती है। प्राप्त प्रविष्टियों के आधार पर विभाग द्वारा गठित निर्णायक मण्डल द्वारा पात्र व्यक्ति / संस्था का चयन कर पुरस्कृत किया जाता है।

### ❍ शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान पुरस्कार :-

छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी सामाजिक चेतना जागृत करने तथा उनके उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को पुरस्कृत किया जाता है। पुरस्कार राशि रू. 2.00 लाख एवं प्रशस्ति पत्र राज्योत्सव पर प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। वर्ष 2019–20 में श्री गंगाराम पैकरा, लखनपुर जिला सरगुजा को पुरस्कृत किया गया है।

### ❍ स्व. डॉ. भंवर सिंह पोर्ते स्मृति आदिवासी सेवा सम्मान पुरस्कार :-

छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासियों की सेवा करने और उनके उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसी एक संस्था को सम्मानित कर प्रोत्साहित किया जाता है। पुरस्कार राशि रू. 2.00 लाख एवं प्रशस्ति पत्र राज्योत्सव पर प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। वर्ष 2019–20 में अभ्यारण्य शिक्षण समिति छपरवा, जिला मुंगेली को पुरस्कृत किया गया है।

### ❍ गुरू घासीदास सामाजिक चेतना एवं अनुसूचित जाति उत्थान सम्मान पुरस्कार

छत्तीसगढ़ राज्य में सामाजिक चेतना जागृत करने तथा अनुसूचित जाति वर्गो के उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ठ कार्य करने वाले व्यक्ति एवं स्वैच्छिक संस्था को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित करने के लिये प्रदेश के महान संत गुरूघासीदास की स्मृति में सम्मानित कर प्रोत्साहित किया जाता है। वर्ष 2019–20 में ''गुरूघासीदास साहित्य एवं संस्कृति अकादमी रायपुर पं. क्र. 123 / 02 न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर (छ.ग.) को पुरस्कृत किया गया है।

### ❍ स्व. हाजी हसन अली पुरस्कार :-

उर्दू साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय साहित्य रचनाओं तथा साहित्य साधना को सम्मानित करने की दृष्टि से 2.00 लाख रू. के हाजी हसन अली राज्य स्तरीय पुरस्कार की स्थापना की गई है। वर्ष 2019–20 में यह सम्मान श्री नासिर अली नासिर (इसहाक मंजिल, बैजनाथपारा, रायपुर) को प्रदान किया गया है।

### लोक कला महोत्सव :-

### शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति आदिवासी लोक कला महोत्सव :-

❍ शहीद वीर नारायण सिंह की स्मृति में उनके शहादत दिवस 10 दिसम्बर को शहीद वीर नारायण सिंह लोक कला महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष उनके जन्म स्थान सोनाखान भवन जिला बलौदा बाजार में किया जाता है। इसके अंतर्गत आदिवासियों की लोक नृत्य प्रतियोगिता राज्य स्तर पर आयोजित की जाती है।

- राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में सम्मिलित आदिवासी लोक कला दल को प्रथम पुरस्कार राशि रू. 1.00 लाख, द्वितीय पुरस्कार राशि रू. 0.50 लाख तथा तृतीय पुरस्कार राशि 0.25 लाख दिया जाता है। इस वर्ष राज्य स्तरीय शहीद वीरनारायण सिंह महोत्सव का आयोजन दिनांक 15 दिसंबर 2019 को साउथ सेन्ट्रल पार्क, नवा रायपुर में किया गया। इस अवसर पर आयोजित आदिवासी नृत्य प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार गौर मांदरी नृत्य के लिए सोमनाथ दुग्गा एवं साथी, चिखलीडीह(कोंडागांव), द्वितीय पुरस्कार बाइसन हार्न माड़िया नृत्य के लिए गणेश मंडावी एवं साथी, बड़े किलेपाल(बस्तर) एवं तृतीय पुरस्कार गौर सिंग नृत्य के लिए कोयाराम एवं साथी, पालनार(दंतेवाड़ा) ने प्राप्त किया।
- उपर्युक्त महोत्सव का उद्देश्य शहीद वीर नारायण सिंह की शहादत को चिरस्मरणीय बनाना तथा आदिवासी लोक कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहित करना है।

## गुरू घासीदास लोक कला महोत्सव :-

- ''गुरू घासीदास लोक कला महोत्सव'' योजना 2005 संचालित है।
- योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के परम्परागत लोककला जैसे –पंथी, भरथरी, पंडवानी, पारम्परिक वाद्ययंत्रों को प्रोत्साहित किया जाना है।
- इस योजना के अंतर्गत चयनित प्रथम पुरस्कार राशि रू. 1.00 लाख द्वितीय राशि रू. 0.75 लाख तथा तृतीय पुरस्कार राशि रू. 0.50 लाख पुरस्कार दिये जाते है। इस वर्ष राज्य स्तरीय गुरू घासीदास लोक कला महोत्सव का आयोजन दिनांक 17 जनवरी 2020 को भिलाई(दुर्ग) में किया गया। इस अवसर पर आयोजित नृत्य प्रतियोगिता में प्रथम स्थान न्यू सत्य निर्मल धारा पंथी दल, धमधा(दुर्ग), द्वितीय स्थान सत के अंजोर पंथी नृत्य दल, बागबाहरा(महासमुंद) एवं तृतीय स्थान सत संग्राम पंथी पार्टी युवा मंडल रलिया, बिलासपुर ने प्राप्त किया
- गुरू घासीदास लोक कला महोत्सव अंतर्गत जिला स्तर से चयनित लोक कला दलों को राज्य के किसी भी जिले में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजन कर पुरस्कृत किया जाता है।

## आदिवासी संस्कृति का परिरक्षण एवं विकास योजनांतर्गत आदिवासी सांस्कृतिक दलों को सहायता :-

आदिवासी संस्कृति का परिरक्षण एवं विकास योजनांतर्गत आदिवासियों को सांस्कृतिक वाद्य यंत्र क्रय करने हेतु अनुदान स्वरूप प्रति दल राशि रू. 10,000/– दिये जाने का प्रावधान है। योजनांतर्गत अब तक लगभग 5630 आदिवासी सांस्कृतिक दलों को व्यैक्तिक अनुदान हेतु जिलों को आबंटन उपलब्ध कराया गया है। वर्ष 2019–20 में कुल 590 सांस्कृतिक दलों को व्यैक्तिक अनुदान दिये जाने का लक्ष्य हैं, जिसमें से 23.60 लाख जिलों को आबंटन उपलब्ध कराया जा चुका है।

## देवगुड़ी निर्माण/मरम्मत

आदिवासी सांस्कृति का परिरक्षण एवं विकास योजनांतर्गत आदिवासी बाहूल्य क्षेत्रों में आदिवासियों के पूजा एवं श्रद्धा स्थलों (देवगुड़ी) के निर्माण एवं मरम्मत योजना वर्ष 2006–07 से संचालित हैं। योजनांतर्गत

देवगुड़ी निर्माण/मरम्मत हेतु वर्ष 2017–18 से प्रति देवगुड़ी राशि रू. 1,00000/– रूपये उपलब्ध करायी जाती हैं। योजनांतर्गत वर्ष 2014–15 से वर्ष 2018–19 तक 2524 देवगुड़ी का निर्माण/मरम्मत हेतु जिलों को आबंटन उपलब्ध कराया गया है। वर्ष 2019–20 में कुल 400 देवगुड़ी मरम्मत/निर्माण का लक्ष्य हैं, जिसमें से 146 देवगुड़ी के निर्माण हेतु जिलों को आबंटन उपलब्ध कराया जा चुका है।

## विश्व आदिवासी दिवस

वर्ष 2019–20 में दिनांक 09 अगस्त 2019 को इंडोर स्टेडियम, रायपुर में ''विश्व आदिवासी दिवस'' का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आये आदिवासी कलाकारों के द्वारा परंपरागत लोक नृत्य की आकर्षक और मोहक प्रस्तुति दी गई।

## आदिवासी संस्कृति का परिरक्षण एवं विकास ''राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव'' का आयोजन

आदिवासी संस्कृति का परिरक्षण एवं सतत् विकास को दृष्टिगत् रखते हुए छ0ग0शासन, द्वारा वर्ष 2019–20 में वृहद स्तर पर **''राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव''** का आयोजन साईन्स कॉलेज ग्राऊण्ड, रायपुर में 27, 28 एवं 29 दिसम्बर 2019 को किया गया, जिसमें विभाग द्वारा सक्रिय सहयोग प्रदान किया गया।

राष्ट्रीय महोत्सव के संदर्भ में सौपे गये दायित्व के निर्वहन हेतु आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा आदिवासी नृत्य कलाकारों को चार पृथक–पृथक विधाओं में राज्य के क्षेत्रीय एवं स्थानीय स्तर के आदिवासियों की नृत्य प्रतिभा को पहचान एवं अवसर प्रदान करते हुये विकासखण्ड, जिला, एवं संभाग स्तर पर उत्कृष्ट कलाकारों के चयन हेतु प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम आदिवासी लोक कला महोत्सव का आयोजन किया गया। इस वर्ष शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति राज्य स्तरीय लोक कला महोत्सव में चयनित दलों को राष्ट्रीय महोत्सव में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ।

कार्यक्रम के आयोजन हेतु आदिवासी संस्कृति का परिरक्षण एवं विकास मद अंतर्गत कुल 89.00 लाख की राशि जिलों को स्वीकृत की गई। राज्य स्तरीय आयोजन 15 दिसंबर 2019 को साउथ सेन्ट्रल पार्क, नवा रायपुर, अटल नगर में किया गया। जिसका उद्घाटन मान. मंत्री जी, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास द्वारा किया गया। इसमें कुल 20 नर्तक दलों ने भाग लिया। इनमें प्रथम स्थान गौर मांदरी नृत्य हेतु श्री सोमनाथ दुग्गा एवं साथी, चिखलीडीह, कोण्डागांव ने द्वितीय स्थान बाईसन हार्न माड़िया नृत्य हेतु श्री गणेश मंडावी एवं साथी, बड़े किलेपाल, बस्तर एवं तृतीय स्थान गौर सिंग नृत्य हेतु श्री कोयाराम एवं साथी, पालनार दंतेवाड़ा ने प्राप्त किया। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में चयनित उत्कृष्ट नर्तक दलों को प्रथम पुरस्कार राशि रू. 1.00 लाख, द्वितीय पुरस्कार राशि रू. 0.50 लाख तथा तृतीय पुरस्कार राशि रू. 0.25 लाख एवं विभाग की ओर से प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया गया। इनमें से प्रथम चार दलों ने साईन्स कॉलेज ग्राऊण्ड, रायपुर में 27, 28 एवं 29 दिसम्बर 2019 को आयोजित ''राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव'' में भाग लिया, जिसमें बाईसन हार्न माड़िया नृत्य हेतु श्री गणेश मंडावी एवं साथी,

बड़े किलेपाल, बस्तर  ने अपनी विद्या में प्रथम स्थान प्राप्त किया।

इस प्रकार विभाग द्वारा आदिवासी लोक नृत्यों के संरक्षण एवं प्रोत्साहन के माध्यम से धरोहर स्वरूप उनकी, संस्कृति के संरक्षण एवं सतत विकास हेतु समर्पित रूप निरंतर कार्य किया जा रहा है, जो आगामी वर्षों में भी निरंतर रहेगा।

**साईंस कॉलेज ग्राउण्ड रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2019 में बस्तर के गौर माड़िया नर्तक दल ने विवाह एवं अन्य संस्कार श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया ।**

# छ.ग. राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम

छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम मर्यादित रायपुर का गठन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी (पुर्नगठन और निर्माण) अध्यादेश क्रमांक–2000 (मध्यप्रदेश अध्यादेश क्रमांक–04 सन्–2000) के अंतर्गत किया गया है। निगम अनुसचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग तथा सफाई कामगार वर्ग के आर्थिक विकास के दायित्व का निर्वहन कर रहा है। राज्य शासन द्वारा प्रदेश के युवा बेरोजगारों को प्रशिक्षण हेतु व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र अनुसूचित जाति के 05 एवं अनुसूचित जनजाति के 11 केन्द्र संचालित है।

जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या. रायपुर से गुड्स कैरियर योजना अंतर्गत हितग्राही को चाबी सौंपने का छायाचित्र

इस निगम की पूंजी 51 प्रतिशत राज्य की अंशपूंजी हिस्सा एवं 49 प्रतिशत केन्द्रीय अंशपूंजी हिस्सा है। निगम द्वारा छ.ग. राज्य के निर्धारित मापदंड में आने वाले हितग्राही क्रमशः अनुसचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग तथा सफाई कामगार वर्ग के उत्थान में वित्तीय ऋण सहायता निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत दी जाती है।

जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या. बेमेतरा से ट्रेक्टर-ट्राली योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हितग्राही को ट्रेक्टर की चाबी सौंपने के अवसर का छायाचित्र

# छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम की योजनाएं
## प्रगति विवरण 2019-20

(राशि लाख में)

| क्र. | योजना का नाम | भौतिक लक्ष्य | | उपलब्धि | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय राशि | भौतिक उपलब्धि हितग्राही | वित्तीय उपलब्धि |
| 1 | राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित योजना | 156 | 509.21 | 05 | 19.83 |
| 2 | राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित योजना | 175 | 479.46 | 15 | 57.84 |
| 3 | राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा संचालित योजना | 162 | 162.00 | 07 | 7.50 |
| 4 | राष्ट्रीय सफाई कामगार वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित योजना | 360 | 266.00 | - | - |
| 5 | अंत्योदय स्वरोजगार योजना | 9000 | 900.00 | 1269 | 123.90 |
| 6 | आदिवासी स्वरोजगार योजना | 3000 | 300.00 | 666 | 58.40 |
| 7 | व्यवसायिक प्रशिक्षण- (कम पढ़े-लिखे युवाओं का स्वरोजगार हेतु कौशल उन्नयन) (अनुसूचित जनजाति वर्ग) | 1650 | 297.00 | - | - |
| 8 | व्यवसायिक प्रशिक्षण- (कम पढ़े-लिखे युवाओं का स्वरोजगार हेतु कौशल उन्नयन) (अनुसूचित जाति वर्ग) | 750 | 112.50 | - | - |
| | योग | **15253** | **3026.17** | **1962** | **267.47** |

टीपः— 1. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सफाई कामगार वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग योजनाओं में समस्त जिलों द्वारा ऋण वितरण की कार्यवाही की जा रही है।

2. मुख्यमंत्री कौशल विकास योजनान्तर्गत नवीन दिशा–निर्देश एवं उनके मापदंड अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रक्रियाधीन है।

# अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी
## (वन अधिकारों की मान्यता)
## अधिनियम 2006 एवं नियम 2007 यथा संधोधित नियम 2012 का क्रियान्वयन

छ.ग. राज्य में वर्ष 2008 से अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2007 यथा संशोधित नियम 2012, का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अधिनियम के अनुसार वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी आवेदक द्वारा कब्जे का दावा करने हेतु दिनांक 13.12.2005 कट ऑफ डेट निर्धारित है। अन्य परंपरागत वन निवासी के मामले में दावाकर्ता का कट ऑफ डेट के पूर्व से तीन पीढ़ियों (75 वर्ष) से संबंधित ग्राम/वन भूमि में निवासरत होना भी आवश्यक है।

राज्य में 30.11.2019 तक वन अधिकार के व्यक्तिगत दावों हेतु कुल 8,07,965 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 4,12,140 दावे स्वीकृत कर 4,08,884 वन अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जबकि निरस्त/अस्वीकृत व्यक्तिगत दावों की संख्या 3,94,851 है। इसी प्रकार वन अधिकार के सामुदायिक दावों हेतु कुल 35,046 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। जिनमें से 27,644 दावे स्वीकृत कर 27,240 वन अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जबकि निरस्त/अस्वीकृत दावों की संख्या 6,911 है। राज्य में व्यक्तिगत वन अधिकार दावों के अंतर्गत कुल 3,55,857.888 हेक्टेयर भूमि तथा सामुदायिक दावों के अंतर्गत कुल 10,82,879.792 हेक्टेयर भूमि वितरित की गई है।

शासन द्वारा सभी अस्वीकृत प्रकरणों को पुनर्विचार में लिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। वन अधिकार अधिनियम के सफल क्रियान्वयन हेतु माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 30 मई 2019 को बस्तर संभाग में एवं माननीय मुख्यमंत्री के मुख्य अतिथ्य एवं माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की अध्यक्षता में सरगुजा संभाग में दिनांक 03 जून 2019 को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस कार्यशाला में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, वन विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारी/कर्मचारी के साथ विभिन्न जनप्रतिनिधि एवं अशासकीय संस्थाओं के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी - बस्तर संभाग

राज्य सरकार का जोर सामुदायिक वन अधिकारों विशेषकर सामुदायिक वन संसाधन अधिकार को स्थानीय वन निवासियों को प्रदान करने पर है ताकि अधिनियम की मंशा के अनुसार स्थानीय समुदाय द्वारा अपने वन संसाधनों की दीर्घकालिक उपभोग हेतु सुरक्षा की जा सके तथा अपनी आजीविका का संवर्धन किया जा सके। इसी दिशा में धमतरी जिले के नगरी विकासखण्ड के ग्राम जबर्रा में 5,352 हेक्टेयर क्षेत्रफल में अधिनियम के धारा 3 (1)(झ) के तहत सामुदायिक वन संसाधन का अधिकार प्रदान किया गया है।

राज्य में वन अधिकार अधिनियम, 2006 का क्रियान्वयन सभी जिलो में (रायपुर, दुर्ग एवं बेमेतरा को छोड़कर) प्रतिबद्धतापूर्वक किया जा रहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य, देश में वन अधिकार पत्र वितरण करने में अग्रणी राज्यों में से एक है।

**कार्यशाला को संबोधित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी - सरगुजा संभाग**

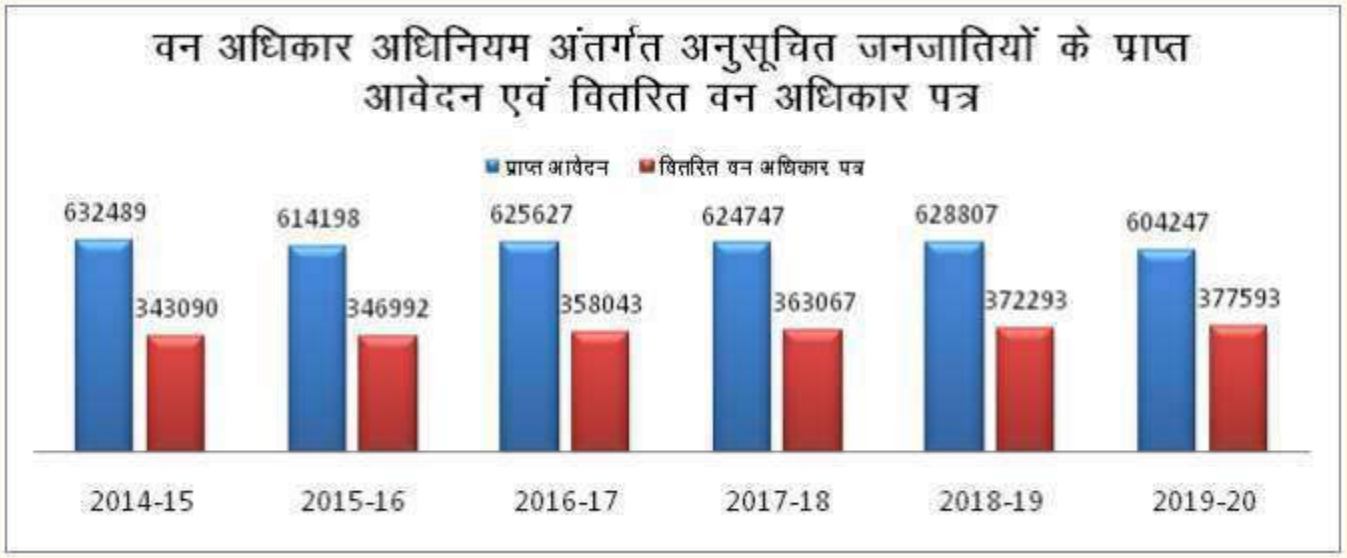


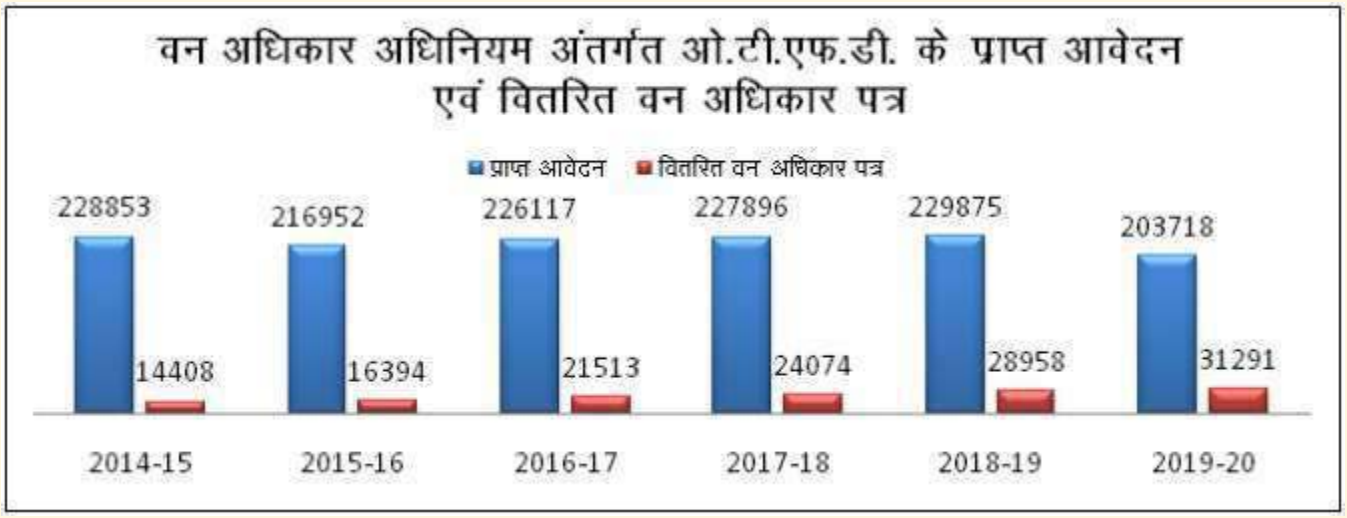


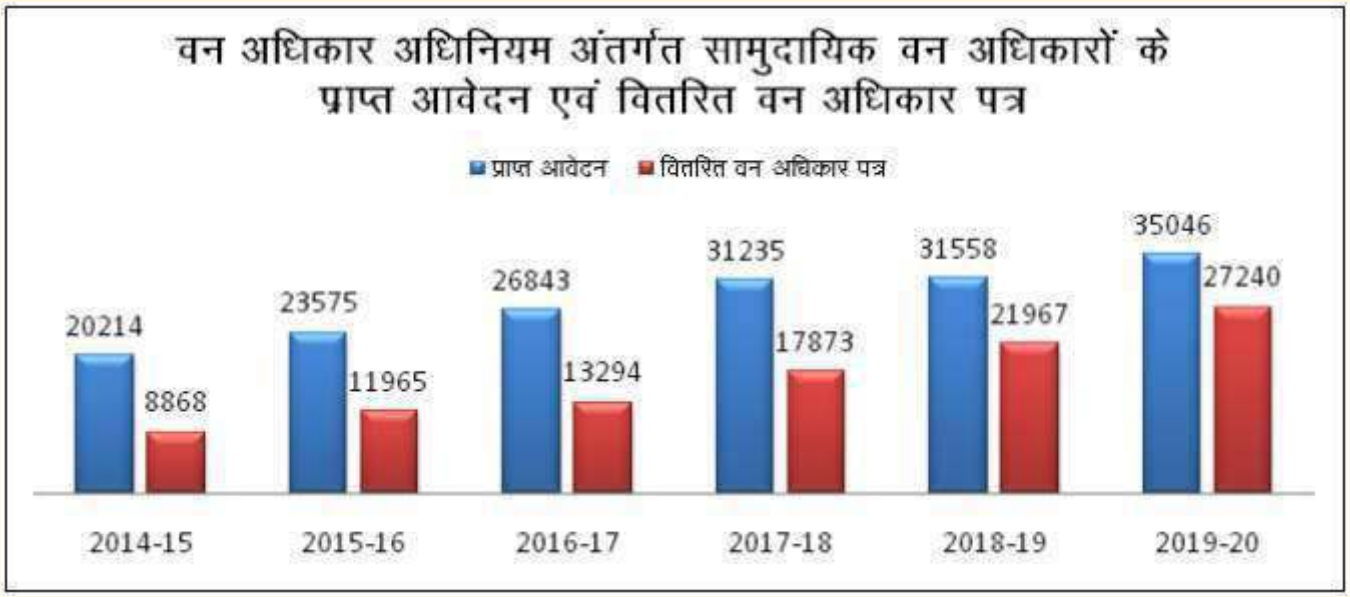


टीप : वर्ष 2019-20 के आंकड़े नवम्बर 2019 की स्थिति में दर्शाये गए हैं।

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सरगुजा में वन अधिकार पत्रों का वितरण

# अनुसूचित जनजाति उपयोजना और अनुसूचित जाति उपयोजना

## अनुसूचित जनजाति उपयोजना –

जनजातियों के सर्वांगीण विकास हेतु पांचवी पंचवर्षीय योजना काल से आदिवासी उपयोजना की रणनीति अपनाई गई। इसी रणनीति के तहत विभिन्न पंचवर्षीय योजना काल के दौरान प्रदेश की जनजातियों के विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न विकास विभागों द्वारा योजनाएं क्रियान्वित की जाती रही है। आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत जनजातियों एवं उपयोजना क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए अलग से आयोजना, वित्तीय संसाधन, बजटीय व्यवस्था, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन आदि की संपूर्ण व्यवस्था सभी विकास विभागों के सहयोग से की जाती रही है। इन सारे कार्यो के उत्तरदायित्व का निर्वहन नोडल विभाग यथा आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा किया जाता है। आदिवासी उपयोजना के मुख्यतः दो उद्देश्य है :–

1. जनजातियों का एकीकृत ढंग से सर्वांगीण विकास करना।
2. जनजातियों की सुरक्षा एवं उन्हें हर तरह से शोषण से मुक्ति दिलाना।

आदिवासियों के सर्वांगीण विकास हेतु आदिवासी उपयोजना की रणनीति के अंतर्गत आदिवासी उपयोजना विकास की समस्या को कार्य दृष्टि से तीन भागों में विभाजित किया गया है :–

1. वे क्षेत्र जिनमें आदिवासी जनसंख्या की बहुलता है।
2. बिखरी हुई जनजातियां।
3. विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह

जनजातियों के सर्वांगीण विकास तथा उनकी जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए Area Specific Approach के अंतर्गत आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों को सुलभतापूर्वक राशि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से प्रत्येक विभाग के बजट में ऐसा अनुपातिक प्रावधान किया गया कि अनुसूचित जनजाति उपयोजना मद की राशि का अन्यत्र/गैर उपयोजना क्षेत्र में उपयोग किए जाने की स्थिति निर्मित ना हो। इसे सुनिश्चित करने के लिए राज्य बजट में मांग संख्या 41, 42, 68, 77, 82 और 83 निर्मित की गयी हैं, जिससे प्रावधानित राशि अनुसूचित जनजाति उपयोजना (TSP) के अलावा अन्य मदों में उपयोग नहीं की जा सकती है।

अनुसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्रों के विकास एवं उनमें रहने वाले जनजातीय परिवारों के आय बढ़ाने वाली गतिविधियों पर पर्याप्त जोर देने के लिए, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति वर्ग एवं अन्य वर्गो के मध्य शैक्षणिक, सामाजिक–आर्थिक स्थिति में अंतर को Gap filling के माध्यम से दूर कर जनजातियों के सामाजिक आर्थिक स्तर को उन्नत करना इसका उद्देश्य है। आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाओं के दिशा निर्देशों के अनुरूप अनुसूचित जनजाति परिवारों की आय बढ़ाने वाली योजनाओं जैसे –

कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, शोषण से मुक्ति, मानव संसाधन विकास, शिक्षा और प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन, मूलभूत संरचनाओं का विकास कार्यक्रम जैसी योजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 की वार्षिक बजट में राशि रु. 19721.02 करोड़ अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए प्रावधानित की गई है।

## अनुसूचित जाति उपयोजना -

अनुसूचित जाति उपयोजना पहले विशेष घटक के रूप में जानी जाती थी। अनुसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्र के विकास पर आधारित अवधारणा है जबकि अनुसूचित जाति उपयोजना का उद्देश्य राज्य में निवास करने वाली अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को लाभान्वित करना है, किसी क्षेत्र विशेष को नहीं क्योंकि अनुसूचित जातियों का जनसंख्या किसी क्षेत्र विशेष में केन्द्रित न होकर विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है तथापि अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों को बुनियादी अधोसंरचना की दृष्टि से अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत लाभान्वित किया जाता है।

जिलों की मिश्रित भूमि संरचना एवं अनुसूचित जाति जनसंख्या के फैलाव/बिखराव को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न बृहत सिंचाई, ऊर्जा एवं परिवहन की परियोजनाओं से केवल अनुसूचित जाति जनसंख्या को लाभान्वित कर पाना संभव नहीं है। इसलिये ऐसे कार्यक्रम जिनसे लक्षित समूह को सीधे लाभान्वित किया जा सके जैसे समुदाय पर आधारित संरचनात्मक कार्य पेयजल सुविधा, सामुदायिक केन्द्र, अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों/बस्तियों में सी.सी.रोड तथा कौशल उन्नयन स्वरोजगार योजना विशेष घटक योजना की अम्ब्रेला योजना अंतर्गत लिए जाते हैं। अनुसूचित जाति उपयोजना की बृहद संकल्पना से विभिन्न क्षेत्रों की अनुसूचित जाति जनसंख्या के अनुपात में राशि की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाती है। इस हेतु विभिन्न विकास विभागों के वार्षिक बजट में अनुसूचित जाति उपयोजना मद में प्रदेश की अनुसूचित जाति जनसंख्या के अनुपात में बजट प्रावधान रखे जाने पर जोर दिया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 की वार्षिक बजट में कुल राशि रु. 6702.27 करोड़ के अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए प्रावधानित की गई है।

# भाग - चार

# आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर

## परिचय -

भारत सरकार के प्रथम पंचवर्षीय योजना निर्माण के समय अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति, रीति–रिवाज, रहन–सहन तथा अन्य सांस्कृतिक व अनुसंधानिक तथ्यों के अभाव में इन वर्गों के विकास हेतु योजना निर्माण में कठिनाईयों के फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा वर्ष 1954 में अविभाजित मध्यप्रदेश, उड़ीसा, बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों को केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के निर्देश दिये थे।

राज्य में आदिवासियों की जनसंख्या के दृष्टिगत भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुशंसा अनुरूप राज्य शासन द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत देश की 15 वें आदिमजाति अनुसंधान संस्थान की स्थापना 02.09.2004 को राज्य में की गई।

## संस्थान के प्रमुख कार्य -

### आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख कार्य निम्नांकित है :-

- अनुसूचित जनजातियों संबंधी आधारभूत सामाजिक–आर्थिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन एवं सर्वेक्षण करना।
- अनुसूचित जनजातियों में व्याप्त समस्याओं का अध्ययन कर इनके निराकरण हेतु शासन को सुझाव देना।
- अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु शासन द्वारा संचालित योजनाओं का मूल्यांकन करना।
- अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने संबंधी प्राप्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में जातियों का इथनोलाजिकल, एन्थ्रोपोलॉजिकल परीक्षण कर शासन को अभिमत देना।
- अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं के निराकरण हेतु देश के प्रमुख विषय–विशेषज्ञों को आमंत्रित कर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला एवं संगोष्ठियों का आयोजन करना।
- आदिवासी हितों के संरक्षण हेतु बनाये गये विभिन्न अधिनियमों तथा जनजातीय विकास से संबंधित कार्यक्रमों की जानकारी देने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना आदि।

संस्थान द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में दिनांक 10.12.2019 तक संपादित किये गये कार्यों की बिन्दुवार जानकारी निम्नांकित है –

## मानवशास्त्रीय अध्ययन -

1. कमार जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन
2. कबीरधाम जिले की बैगा जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन
3. भुंजिया जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन एवं

4. पण्डो जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन का कार्य किया गया।

## मोनोग्राफिक अध्ययन -

1. भुंजिया जनजाति में लालबंगला का मोनोग्राफ अध्ययन का कार्य किया गया।

## मूल्यांकन अध्ययन -

1. शालागामी आदिवासी बालक–बालिकाओं में स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति का मूल्यांकन अध्ययन
2. बस्तर जिले के छात्रावास/आश्रम में बाड़ी का विकास एवं छात्र–छात्राओं पर प्रभाव का अध्ययन
3. विशेष पिछड़ी जनजाति बिरहोर ग्रामों में मुनगा रोपण योजना का मूल्यांकन अध्ययन (जिला कोरबा)
4. आदिवासी छात्रावास/आश्रमशाला में मुनगा रोपण योजना व बाड़ी का विकास एवं छात्रों पर उसका प्रभाव का मूल्यांकन अध्ययन (जिला कोरबा)
5. पहाड़ी कोरबा विकास अभिकरण (कोरबा) द्वारा आर्थिक विकास हेतु प्रदत्त अनुदान के प्रभाव का मूल्यांकन अध्ययन
6. कबीरधाम जिले के आदिवासी छात्रावास/आश्रमशाला में बाड़ी का विकास योजना का छात्र–छात्राओं पर प्रभाव का मूल्यांकन
7. कमार, बैगा, भुंजिया, बिरहोर एवं पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण कोरबा द्वारा आर्थिक विकास हेतु प्रदत्त अनुदान के प्रभाव का मूल्यांकन अध्ययन।
8. सरगुजा जिले के आदिवासी हॉस्टल/आश्रमशाला में मुनगा रोपण योजना का मूल्यांकन अध्ययन
9. विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा एवं पहाड़ी कोरवा ग्रामों में बाड़ी में मुनगारोपण योजना का मूल्यांकन अध्ययन
10. कोण्डागांव विकासखण्ड में वनबन्धू कल्याण योजना का मूल्यांकन अध्ययन एवं
11. कमार, बैगा, पण्डो, भुंजिया, बिरहोर एवं पहाड़ी कोरवा जनजातियों के वन अधिकार मान्यता पत्र प्राप्त हितग्राहियों का मूल्यांकन अध्ययन किया गया।

## प्रशिक्षण -

1. दन्तेवाड़ा एवं नारायणपुर जिला मुख्यालय में जाति प्रमाण–पत्र सरलीकरण एवं वन अधिकार मान्यता पत्र अधिनियम संबंधी प्रशिक्षण आयोजित किया गया।
2. कबीरधाम, बेमेतरा एवं राजनांदगांव जिले के राजस्व अधिकारियों को अनुसूचित जनजाति एवं जातियों के मात्रात्मक एवं वर्तनी त्रुटि सुधार संबंधी आदेश के संबंध में एवं जाति प्रमाण–पत्र जारी करने संबंधी नियम निर्देशों के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

## विश्व आदिवासी दिवस में सहभागिता -

राज्य शासन द्वारा दिनांक 09.08.2019 को आयोजित विश्व आदिवासी दिवस समारोह में सक्रिय

सहभागिता देते हुए राज्य की जनजातियों के जीवनशैली पर आधारित प्रदर्शनी लगायी गई।

## राज्योत्सव में सहभागिता -

राज्य शासन द्वारा साईस कालेज मैदान में आयोजित 05 दिवसीय राज्योत्सव मेले में सक्रिय योगदान देते हुए विभाग द्वारा जनजातीय संस्कृति पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई। उक्त स्टाल को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ।

**राज्योत्सव-2019 में विभागीय झांकी में परंपरागत बांस शिल्प को जीवंत दर्शाते हुये कमार आदिवासी समुदाय के सदस्यगण**

**राज्योत्सव-2019 में विभाग द्वारा प्रदर्शित झांकी को तृतीय पुरस्कार प्राप्ति के अवसर का चित्र**

## राष्ट्रीय जनजातीय क्रॉफ्ट मेला -

उड़ीसा टी.आर.आई. भुवनेश्वर द्वारा माह नवम्बर में आयोजित 07 दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय क्रॉफ्ट मेला का आयोजन किया गया, जिसमें बस्तर क्षेत्र के 04 सदस्यीय जनजातीय कलाकारों के दल की सहभागिता दी गई जिसे उड़ीसा राज्य में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ।

**आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान का नवा रायपुर अटल नगर स्थित नवनिर्मित भवन एवं संग्रहालय**

# आदिवासी एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण

**उद्देश्य :-**

आदिवासी विकास प्राधिकरणों के अंतर्गत प्राधिकरण क्षेत्र में निवासरत जनजाति समुदाय के विकास हेतु अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन की समीक्षा तथा अनुश्रवण किया जाता है। क्षेत्र में निवासरत जनजाति समुदायों के आर्थिक विकास, संस्कृति के संरक्षण, क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम तथा अंचल के विकास हेतु प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है।

**नव गठन एवं विस्तार :-**

छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के आदेश क्रमांक एफ–4–1/2019/01/06 रायपुर दिनांक 27.02.2019 द्वारा पूर्व में गठित बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण तथा सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण को समाप्त करते हुए क्रमशः बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण तथा मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का गठन किया गया हैं।

**बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण :-** बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का कार्य क्षेत्र बस्तर संभाग के राजस्व जिले क्रमशः बस्तर, कोंडागांव, दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा, उत्तर बस्तर कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, एवं सुकमा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव आयुक्त बस्तर संभाग है, तथा मुख्यालय जगदलपुर है।

**सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण :-** सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का कार्य क्षेत्र सरगुजा संभाग के सम्पूर्ण राजस्व जिले क्रमशः सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर–रामानुजगंज, जशपुर एवं कोरिया जिला है। सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के सदस्य सचिव आयुक्त सरगुजा संभाग है, तथा मुख्यालय अम्बिकापुर है।

**मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण :-** मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का कार्य क्षेत्र राजस्व जिला कोरबा के अतिरिक्त जिला क्रमशः गरियाबंद, धमतरी, महासमुन्द, बलोदाबाजार – भाटापारा, बालोद, राजनांदगांव, कबीरधाम, मुंगेली, बिलासपुर, रायगढ़ के आंशिक क्षेत्र एवं जांजगीर–चांपा जिले में विकास खंड सक्ती के आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में सम्मिलित 46 ग्राम आते हैं। मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के सदस्य सचिव आयुक्त रायपुर संभाग है, तथा मुख्यालय रायपुर है।

## बजट प्रावधान :-

बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में पूंजीगत एवं राजस्व मद मिलाकर कुल प्रावधानित राशि रू. 3500.00 लाख के विरूद्ध राशि रू. 2275.00 लाख ,आयुक्त बस्तर संभाग बस्तर जिला जगदलपुर को पुनराबंटित किया गया।

सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में पूंजीगत एवं राजस्व मद मिलाकर कुल प्रावधानित राशि रू. 3500.00 लाख के विरूद्ध राशि रू. 2275.00 लाख ,आयुक्त सरगुजा संभाग सरगुजा जिला अंबिकापुर को पुनराबंटित किया गया।

मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में पूंजीगत एवं राजस्व मद मिलाकर कुल प्रावधानित राशि रू. 1900.00 लाख के विरूद्ध राशि रू. 1235.00 लाख ,आयुक्त रायपुर संभाग रायपुर जिला रायपुर को पुनराबंटित किया गया।

**अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का गठन :-** राज्य के अनुसूचित जाति के क्षेत्रों के विकास हेतु राज्य शासन के आदेश क्रमांक/एफ– 7–9/04/1/06, दिनांक 23.10.2004 द्वारा अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है।

**अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का क्षेत्र :-** अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य है। जिन ग्रामों, पारा, वार्ड में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 25 प्रतिशत से अधिक है, यहां कार्य लिये जाते है।

## प्रावधान :-

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण अंतर्गत राज्य शासन द्वारा 25 प्रतिशत तक अनुसूचित जाति जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्रों में भी आर्थिक एवं सामाजिक विकास के कार्य स्वीकृत किये जाते है। वर्ष 2019–20 में प्रावधानित राशि रू. 3500.00 लाख के विरूद्ध राशि रू. 1134.19 लाख जारी किया गया।

# भाग - पांच

Tribal Youth Hostel, Chhattisgarh
Sector 18A, Dwarka, New Delhi

# फ्लैगशिप योजनाएँ

**युवा कॅरियर निर्माण योजना :-** निजी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा, बैकिंग परीक्षा, कर्मचारी चयन आयोग, रेल्वे भर्ती बोर्ड, छ.ग. व्यापम तथा अन्य संस्थानों द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु पात्रता रखने वाले प्रतिभावान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण उपलब्ध कराना एवं प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु प्रतिस्पर्धात्मक बनाना है।

**ट्रायबल यूथ हॉस्टल, नई दिल्ली :-** देश की राजधानी में रहकर संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने के लिए युवा कैरियर निर्माण योजना के तहत् द्वारका, नई दिल्ली में विभाग द्वारा ट्रायबल यूथ हॉस्टल वर्ष 2013–14 से संचालित किया जा रहा है। यह संस्था पूर्णतः आवासीय है। इस योजना अंतर्गत कुल 50 सीट्स स्वीकृत है एवं वर्ष 2018–19 में ड्रापर/रिपीटर बैच के अंतर्गत 15 अन्य सीटों को स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्ष 2018–19 में कुल 52 अभ्यर्थी लाभान्वित हुए है। अब तक कुल 74 अभ्यर्थी विभिन्न पदो पर चयनित हुए है। वर्ष 2019–20 में 49 अभ्यर्थी प्रवेश प्राप्त कर कोचिंग का लाभ ले रहे है।

**विगत 06 वर्षो में उपलब्धि निम्नानुसार है :-**

| क्र. | वर्ष | अध्ययन/कोचिंग | स्वीकृत सीटे | प्रवेशित छात्र संख्या | सफलता का विवरण | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | पद नाम | संख्या |
| 1 | 2014–15 | यू.पी.एस.सी./अन्य प्रतियोगी परीक्षा/उच्च शिक्षा | 100 | 58 | डिप्टी कलेक्टर एवं इन्ड्रस्टीयल मैनेजर | 04 |
| 2 | 2015–16 | यू.पी.एस.सी./अन्य प्रतियोगी परीक्षा/उच्च शिक्षा | 100 | 49 | 1.सब आर्डिनेट एकाउंट सर्विस–01<br>2.अन्य–04 | 05 |
| 3 | 2016–17 | यू.पी.एस.सी./अन्य प्रतियोगी परीक्षा/उच्च शिक्षा | 100 | 59 | 1. यू.पी.एस.सी.–03 (IRS (IT), IRTS, IRS )<br>2. अन्य–16 (डिप्टी कलेक्टर, उपपुलिस अधीक्षक, महिला एवं बाल विकास अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, को–ऑपरेटिव इन्सपेक्टर, नायब तहसीलदार, सबऑर्डिनेट एकाउन्ट सर्विस ऑफिसर इत्यादि पदों पर चयनित हुए) | 19 |
| 4 | 2017–18 | यू.पी.एस.सी./अन्य प्रतियोगी परीक्षा/उच्च शिक्षा | 100 | 48 | 1. यू.पी.एस.सी<br>Assistant Commandant –02<br>2. अन्य<br>Deputy Collector - 03<br>ACF - 01<br>DSP - 01<br>Account Officer - 01 | 08 |
| 5 | 2018–19 | यू.पी.एस.सी./अन्य प्रतियोगी परीक्षा/उच्च शिक्षा | 100 | 48 | परीक्षा परिणाम प्रतीक्षित है। | |
| 6 | 2019–20 | यू.पी.एस.सी. | 50 | 49 | प्रशिक्षण संचालित है। | |

## राज्य स्तर पर परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र/कोचिंग :-

वर्ष 2003 में यह योजना परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र के नाम से संचालित थी। इस योजना अंतर्गत संघ लोक सेवा अयोग की सिविल सेवा परीक्षा एवं राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु 100 सीटे स्वीकृत है, इसके माध्यम से 50 सीटे जिला रायपुर एवं 50 सीटे जिला दुर्ग में प्रशिक्षण संचालित है। इसके अतिरिक्त बैकिंग, रेल्वे, व्यापम, एस.एस.सी. आदि जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, नारायणपुर एवं कबीरधाम में 100–100 सीट्स स्वीकृत है।

## अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहन योजना वर्ष 2009 :-

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर प्रोत्साहित करने हेतु प्रोत्साहन योजना वर्ष 2010–11 में प्रारंभ की गई। इस योजना अंतर्गत निम्नानुसार प्रावधान है :–

1. संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु रूपये 1,00,000/– (रूपये एक लाख) मात्र।
2. यह राशि किसी भी प्रयास में सफल होने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु दी जाती है।

इसके अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की किसी भी स्तर में होने पर संबंधित आयोग द्वारा जारी प्रमाण–पत्र या अधिकृत दस्तावेज के साथ निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करने पर परीक्षण उपरांत निम्नानुसार राशि एक मुश्त प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाती है। योजना अंतर्गत अभ्यर्थी की पात्रता का परीक्षण कर स्वीकृति आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास छ0ग0 रायपुर द्वारा दी जाती है। इस योजना अंतर्गत वर्ष 2019–20 में 01 विद्यार्थी को लाभान्वित किया गया है।

## आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति प्री0मेडिकल तथा प्री0 इंजिनियरिंग परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण (कोचिंग) योजना :-

छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के 100 (अनुसूचित जनजाति–64, अनुसूचित जाति–36) प्रतिभावान विद्यार्थी, जो कक्षा 12वीं में 70 प्रतिशत से अधिक अंक लेकर उत्तीर्ण है तथा ड्राप लेकर प्री.इंजीनियरिंग एवं प्री. मेडिकल परीक्षा की तैयारी करना चाहते है के लिए यह योजना बनाई गई है। इस योजना अंतर्गत वर्ष 2018–19 में 22 विद्यार्थी विभिन्न प्रतिष्ठित कॉलेजो में प्रवेश प्राप्त किये है। वर्ष 2019–20 में 100 विद्यार्थी निजी कोचिंग संस्था में प्रवेशित होकर कोचिंग प्राप्त कर रहे है।

## मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना

नक्सल प्रभावित जिलों के बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु शिक्षा, आवास, भोजन, खेल एवं मनोरंजन आदि सुविधा प्रदान कर संरक्षक की भूमिका निभाते हुए रोजगार में स्थापित कर जीवन मे स्थायित्व पैदा करना इस योजना का उद्देष्य है। जब यह योजना 2010 में प्रारंभ हुई, उस समय बजट प्रावधान 200.00 लाख था। इस वर्ष 2019–20 में बजट प्रावधान में वृद्धि हो कर 30.39 करोड़ हो गया है । इस योजना के चार घटक निम्नानुसार है :–

1. आस्था 2. निष्ठा 3. प्रयास 4. सहयोग

**(1) आस्था** : नक्सल हिंसा से अनाथ हुए बच्चों के लिए दन्तेवाड़ा जिले में आस्था गुरूकुल विद्यालय संचालित है। इस विद्यालय में कक्षा पहली से 12 वीं तक अध्ययन की निःषुल्क व्यवस्था है तथा पूरे वर्ष भर निःशुल्क आवासीय सुविधा दी जाती है। वर्ष 2007 में यह योजना प्रारंभ की गई थी, तब 64 विद्यार्थी थे। वर्ष 2019–20 में संस्था में 231 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इस योजना में विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा, आवास, भोजन, खेल एवं मनोरंजन की सुविधाएं प्रदाय की जाती है ।

**(2) निष्ठा** : इस योजना के अंतर्गत नक्सल हिंसा में मृत माता–पिता के बच्चे/पीड़ित परिवार के बच्चे तथा प्रभावित ग्राम/क्षेत्र के बच्चे प्रदेश के राजनांदगांव जिले में निजी शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययन कर रहें है। शासन द्वारा निजी संस्थाओं के प्रबंधन से चर्चा करके विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रवेष दिलाया जाता है। जिला प्रशासन की अनुशंसा पर विद्यार्थी पर हुए कुल व्यय के 25 प्रतिशत शिक्षण शुल्क के रूप में राशि की प्रतिपूर्ति निजी संस्थाओं को की जाती है। वर्तमान में इस योजना के तहत नक्सल हिंसा प्रभावित ग्राम/क्षेत्र के वर्ष 2019–20 में 117 बच्चे राजनांदगांव जिले के कुल 12 निजी संस्थाओं में अध्ययन कर रहे है।

**(3) प्रयास** : 26 जुलाई 2010 को राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी में 300 सीटर प्रयास बालक आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई। उस समय 266 विद्यार्थी प्रवेशित हुए थे। प्रारंभ वर्ष में केवल एक ही प्रयास विद्यालय था। वर्तमान में 09 प्रयास विद्यालय रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा, कांकेर, बस्तर, कोरबा तथा जशपुर जिलों में संचालित है, जिसमें कुल 3709 विद्यार्थी इन विद्यालयों में अध्ययनरत है। प्रयास आवासीय विद्यालय रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा, कांकेर तथा बस्तर कक्षा 9वीं से 12वीं तक संचालित है। जबकि प्रयास आवासीय विद्यालय कोरबा एवं जशपुर में अभी कक्षा 9वीं एवं 10वीं ही संचालित है।

प्रदेश के नक्सल प्रभावित विद्यार्थियों को इस विद्यालय में प्रवेश दिलाकर, शैक्षणिक एवं शैक्षणिकोत्तर गतिविधियों द्वारा उनकी प्रतिभा का परिमार्जन कर उनके बौद्धिक स्तर को गैर जनजातीय छात्रों के समकक्ष लाना उन्हें राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं यथा जेईई (मेन/एडवांस) तथा एआईपीएमटी/नीट/पी.ई.टी./पी.एम.टी. तथा बी.ए.एम.एस. की कोचिंग प्रदान कर इन बच्चों को स्वयं की प्रतिभा के बल पर सफलता प्राप्त करने के योग्य बनाना है। इन्हीं बातों एवं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर उक्त विद्यालय की स्थापना की गई है। प्रयास आवासीय विद्यालयों के कक्षा 10वीं का परीक्षाफल लगभग शत

प्रतिशत रहा है। वर्ष 2019 की कक्षा 10वीं हाई स्कूल बोर्ड में कु. दीपिका लकड़ा प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय, रायपुर ने प्रावीण्य सूची में दसवा स्थान प्राप्त किया।

प्रयास आवासीय विद्यालय की स्थापना से अब तक 12वीं बोर्ड परीक्षा का परीक्षा परिणाम भी शत प्रतिशत रहा हैं। वर्ष 2019 की कक्षा 12वीं हायर सेकेण्डरी बोर्ड की परीक्षा में श्री शहनवाज अंसारी प्रयास बालक आवासीय विद्यालय, रायपुर ने कक्षा 12वीं की प्रावीण्य सूची में दसवा स्थान प्राप्त किया है।

उपरोक्त परीक्षा परिणाम के अतिरिक्त सत्र 2012 से अब तक इंजीनियरिंग/मेडिकल की विभिन्न परीक्षाओं में प्रवेशित विद्यार्थियों का विवरण निम्नानुसार है :–

| वर्ष | बैच | एनआईटी/समकक्ष में प्रवेशित | आईआईटी/समकक्ष में प्रवेशित | इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेशित | चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालयों में प्रवेशित |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-12 | प्रथम बैच | 12 | 02 | 130 | - |
| 2011-13 | द्वितीय बैच | 20 | 01 | 45 | 01 |
| 2012-14 | तृतीय बैच | 08 | 0 | 81 | 03 |
| 2013-2015 | चतुर्थ बैच | 07 | 06 | 84 | 03 |
| 2014-2016 | पंचम बैच | 30 | 06 | 92 | 12 |
| 2015-17 | छठवा बैच | 40 | 08 | 96 | 08 |
| 2016-18 | सप्तम बैच | 17 | 18 | 85 | - |
| 2017-19 | अष्टम बैच | 41 | 11 | 82 | 08 |
| **योग** | | **175** | **52** | **695** | **35** |

प्रयास आवासीय विद्यालय में अधोसंरचनात्मक सुविधाएं एवं प्रबंधकीय व्यवस्था यथा– भवन, प्रांगण, आवास, मेस व्यवस्था, पुस्तकालय, प्रयोगशाला तथा कम्प्यूटर लैब इत्यादि की व्यवस्था विभाग द्वारा की गई है। जबकि अध्यापन तथा कोचिंग व्यवस्था की पूर्ति आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाती है। विद्यार्थियों को आवास, भोजन, गणवेश तथा अध्ययन एवं कोचिंग की सुविधा पूर्णतः निःशुल्क प्रदान की जाती है।

प्रयास विद्यालय की सफलता को देखते हुए निम्नानुसार कार्य भी संपादित किये जा रहे हैं :–

- प्रयास बालक आवासीय विद्यालय रायपुर में वाणिज्य(सीए/सीएस) संकाय हेतु 30 सीटर प्रारंभ किया गया है । इसी तरह प्रयास आवासीय विद्यालय बिलासपुर में बालिकाओं हेतु 30 सीटर विधि(क्लेट) हेतु प्रारंभ किया गया है।
- प्रयास विद्यालय के आई.आई.टी. में प्रवेशित विद्यार्थियों को 40 हजार रूपए प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष प्रोत्साहन स्वरूप आगामी शिक्षा प्राप्त करने हेतु दिया जाता है।
- आई.आई.टी. एवं एन.आई.टी. में प्रवेशित विद्यार्थियों को लैपटॉप प्रदान किया जाता है।

**प्रयास आवासीय विद्यालय, बिलासपुर का नव–निर्मित भवन**

**(4) सहयोग** : मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना के इस घटक अंतर्गत कक्षा 12वीं उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है ताकि वे उच्च अध्ययन कर रोजगार प्राप्त कर सके। अनाथ बच्चों को पोस्ट मैट्रिक पाठ्यक्रम की पढ़ाई के दौरान शिक्षण शुल्क एवं आने–जाने के व्यय आदि की प्रतिपूर्ति की जाती है।

**लाभान्वित जिले** : इस योजनांतर्गत कोरिया, सरगुजा, बलरामपुर–रामानुजगंज, जशपुर, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, कांकेर, कोण्डागांव, नारायणपुर, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा तथा सुकमा जिले के विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है।

## आर्यभट्ट विज्ञान-वाणिज्य शिक्षण प्रोत्साहन योजना :-

नक्सल हिंसा से प्रभावित प्रदेश के जिलों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विज्ञान एवं वाणिज्य विषय के शिक्षकों के पद रिक्त रह जाते है क्योकि इन वर्ग विद्यार्थियों की रूचि विज्ञान एवं वाणिज्य विषय में कम है। अतः इस वर्ग के विद्यार्थियों को विज्ञान एवं वाणिज्य विषय के अध्ययन एवं अध्यापन को प्रोत्साहन करने हेतु विभाग द्वारा दुर्ग एवं जगदलपुर में 500–500 सीट (कन्या एवं बालक) विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया है। इन क्षेत्रों में शिक्षकों की पूर्ति हेतु वर्ष 2013–14 से यह अभिनव योजना प्रारम्भ की गई है।

इसके अंतर्गत स्नातक स्तर पर गणित विषय हेतु 80 जीवविज्ञान हेतु 80, वाणिज्य हेतु 40 सीट है। स्नातकोत्तर कक्षा में विज्ञान हेतु 80 वाणिज्य हेतु 20 सीटे तथा बी.एड हेतु कुल 200 सीटे स्वीकृत है।

योजनांतर्गत चयनित विद्यार्थी जिन्होने स्नातक–स्नातकोत्तर शिक्षा विज्ञान एवं वाणिज्य विषयों के जारी रखी है उन्हें शिक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली प्री बी एड तथा टी.ई.टी परीक्षा हेतु मार्गदर्शन एवं आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराया जाता है।

वर्ष 2019–20 में जिला–दुर्ग में 476 बालिकाएँ प्रवेशित है तथा जिला–जगदलपुर में 134 छात्र प्रवेशित है । वर्ष 2019–20 में राशि रूपये 221.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

आर्यभट्ट विज्ञान वाणिज्य शिक्षण केन्द्र, दुर्ग

| विज्ञान वाणिज्य विकास केन्द्र कन्या,जिला–दुर्ग एवं बालक जिला–जगदलपुर | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र. | जिला | वर्ष | नवीन प्रवेशित (प्रथम वर्ष) | | नवीनीकरण की संख्या | | कुल ध्ययनरत् छात्र/छात्राओं की संख्या | अध्यापन हेतु चयनित संस्था का नाम |
| | | | छात्र | छात्राए | छात्र | छात्राए | | |
| 1 | दुर्ग | 2019–20 | 0 | 138 | 0 | 338 | 476 | 1–शा.विश्वनाथ तामस्कर स्वशासी कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय–दुर्ग–214<br>2.शा.डॉ.वा.वा.पाटण्कर कन्या महाविद्यालय दुर्ग–135<br>3.महिला महाविद्यालय भिलाई–21<br>4.सेंट थॉमस महाविद्यालय भिलाई–22<br>5.कल्याण महाविद्यालय भिलाई–06<br>6.शास.वैशाली नगर महाविद्यालय–13<br>7.शा.महाविद्यालय खुर्सीपाल–15<br>8.शास.महाविद्यालय उतई–09<br>9.अपोलो विश्वविद्यालय–36<br>10.स्वारूपानंदमहाविद्यालय भिलाई–02<br>11.खालसा माहविद्यालय दुर्ग–01<br>12.बी.एम.शिक्षा महाविद्यालय–02 |
| 2 | जगदलपुर | 2019–20 | 81 | 0 | 53 | 0 | 134 | 1.काकतीय महाविद्यालय धरमपुरा जगदलपुर |

### जिला–दुर्ग

| स्नातक | | | स्नातकोत्तर | | बी.एड | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| गणित | विज्ञान | वाणिज्य | एम.एस.सी | एम.काम | | |
| 94 | 149 | 48 | 128 | 18 | 39 | 476 |

### जिला–जगदलपुर

| स्नातक | | | योग |
|---|---|---|---|
| गणित | विज्ञान | वाणिज्य | |
| 27 | 69 | 38 | 134 |

**उपलब्धि :-** अब तक 08 छात्राएं व्याख्याता पंचायत के पद पर नियुक्त हो चुकी है तथा शेष विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रही है।

# विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के समेकित विकास हेतु मुख्यमंत्री 11 सूत्रीय कार्यक्रम :–

प्रदेश में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों अबुझमाड़िया, कमार, पहाड़ी कोरवा, बैगा, बिरहोर, पण्डो एवं भुंजिया को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने तथा इनके समेकित विकास हेतु मुख्यमंत्री 11 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरूआत नवंबर 2015 में की गई थी। वर्ष 2015–16 के आधारभूत सर्वेक्षण के अनन्तिम आंकडों के अनुसार इन जनजाति समूहों की जनसंख्या 223998 है तथा परिवार संख्या 57432 है। जो 16 जिलों के 2101 ग्रामों में निवास करती है। इस कार्यक्रम को विभिन्न विभागों की योजनाओं के अभिसरण (Convergence) के माध्यम से संचालित किया गया है।

## 1. आवासहीन परिवारों के लिए आवास :-

इस योजना के अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के आवासहीन परिवारों के लिए आवास उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना का क्रियान्वयन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। अब तक 32075 परिवारों को आवास उपलब्ध कराया गया है।

## 2. पेयजल विहीन ग्रामों में पेयजल की उपलब्धता :-

इस योजना के अंतर्गत पेयजल विहीन ग्रामों में प्रत्येक ग्राम में 02 हैण्डपंप स्थापित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना का क्रियान्वयन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी व पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया गया है। लगभग सभी ग्रामों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

## 3. विद्युत विहीन ग्रामों का विद्युतीकरण :-

इस योजना के अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजाति निवासरत विद्युत विहीन ग्रामों/बसाहटों को विद्युतीकृत करने का लक्ष्य है। इस योजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी एवं क्रेडा के माध्यम से किया जा रहा है। अब तक 1596 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

## 4. स्वास्थ्य परीक्षण :-

इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य परीक्षण तथा हेल्थ कार्ड/स्मार्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है। हितग्राहियों की अनुमानित संख्या 2.23 लाख से अधिक है। योजना का क्रियान्वयन स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। अब तक 39723 हितग्राहियों को स्मार्ट कार्ड एवं 126860 हितग्राहियों का हेल्थ कार्ड प्रदाय किया गया है।

## 5. खाद्य सुरक्षा प्रदान करना :-

इस योजना के अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के 57432 परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इस योजना का संचालन खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा किया जा रहा है। अब तक 46722 परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराया गया है।

## 6. 0 से 06 वर्ष के बच्चों तथा गर्भवती/स्तनपान कराने वाली माताओं को कुपोषण से बचाने के लिए पोषण आहार (न्यूट्रीशियस फूड) का प्रदाय सुनिश्चित करना :-

0 से 06 वर्ष आयु के बच्चों को तथा गर्भवती/स्तनपान कराने वाली माताओं को निःशुल्क पोषण

आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना का क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। अब तक 43262 बच्चों एवं 7046 माताओं को कुपोषण से बचाने के लिये आहार उपलब्ध कराया जा रहा है।

### 7. कौशल उन्नयन:-

इस योजना के अंतर्गत प्रति परिवार 01 व्यक्ति के मान से 57432 हितग्राहियों को कौशल उन्नयन एवं स्वरोजगार हेतु तैयार करने प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। इस योजना का क्रियान्वयन तकनीकी शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, श्रम विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। अब तक 7220 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है।

### 8. सामाजिक सुरक्षा :-

इस योजना के अंतर्गत 57432 परिवारों को सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ दिलाने का लक्ष्य है। इसमे बीमा योजना, जनधन योजना तथा समाज कल्याण विभाग की योजनाएँ शामिल हैं। इसके अंतर्गत अब तक 95595 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है।

### 9. वन अधिकार पत्र का वितरण :-

इस योजना के अंतर्गत 2101 ग्रामों के लगभग 57432 हितग्राही परिवारो को पात्रतानुसार वन अधिकार पत्र का वितरण किए जाने का लक्ष्य है। इस योजना का क्रियान्वयन राजस्व एवं वन विभाग द्वारा किया जा रहा है। 20124 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र एवं 980 सामुदायिक वन अधिकार पत्र वितरित किये जा चुके है।

### 10. जाति एवं निवास प्रमाण पत्र का वितरण :-

इस योजना के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति के सभी 223998 व्यक्तियों को निःशुल्क जाति एवं निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना का क्रियान्वयन राजस्व/शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है। अब तक 34170 हितग्राहियों को जाति प्रमाण पत्र एवं 35266 हितग्राहियों को निवास प्रमाण पत्र प्रदाय किया जा चुका है।

### 11. सूचना जागरूकता हेतु रेडियो तथा दैनंदिन आवश्यकता हेतु छाता एवं कंबल प्रदाय :-

इस योजना के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति के 57432 परिवारों में से प्रत्येक परिवार को एक रेडियो, छाता एवं कंबल आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग तथा वन विभाग (कैम्पा) के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है। अब तक 50678 परिवार को रेडियो, 50676 परिवार को छाता एवं 88866 नग कंबल वितरित किया जा चुका है।

## वनबंधु कल्याण योजना

आदिवासी विकासखंड तथा स्थानीय जनजातियों के समग्रह विकास के उद्देश्य से 'वनबंधु कल्याण योजना' प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रथम वर्ष 2014–15 में कोण्डागांव जिले के विकासखंड कोण्डागांव का चयन किया गया है। वर्ष 2014–15 में इस योजना हेतु रू.1000.00 लाख का आबंटन भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था।

योजनांतर्गत विकासखंड कोण्डागांव के लिये कौशल प्रशिक्षण, पेयजल सुविधा, स्वास्थ्य परीक्षण एवं सुविधाएं, विद्यालयो में शैक्षणिक सुविधाएं, गर्भवती महिलाओं एवं शिशुओं का पोषण आहार, हस्तशिल्प विकास एवं दस्तावेजीकरण, विद्युतीकरण, शैक्षणिक संस्थाओं में सेनेटरी नैपकीन वेंडिग मशीन और भस्मक मशीन, आर.सी.सी. पुलिया निर्माण, टसर धागाकरण युनिट की स्थापना तथा अन्य सामुदायिक अधोसंरचना इत्यादि कार्य विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से जिला प्रशासन द्वारा कराये गये है। वर्ष 2015–16 में राशि रू. 1384.50 लाख भारत सरकार द्वारा राशि स्वीकृत है। योजना अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र के निम्न साक्षरता क्षेत्र (Low Literacy Pocket) की बालिकाओं जिसमें विशेष पिछड़ी जनजाति समूह की बालिकाएं भी शामिल है, को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य के लिये 06 आश्रम भवन क्रमशः कन्या आश्रम बीजापुर, कन्या आश्रम दंतेवाड़ा एवं अबूझमाडिया कन्या आश्रम, नारायणपुर, भुजिया कन्या आश्रम गरियाबंद तथा पहाड़ी कोरवा कन्या आश्रम बलरामपुर के लिये स्वीकृति प्रदान कर राशि रू.1273.44 लाख प्रदाय की गई है। आश्रम भवनों के निर्माण कार्य वर्तमान में प्रगति पर है।

## प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम

यह भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा प्रवर्तित योजना है। अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षणिक एवं समग्र विकास के लिए ''मल्टी सेक्टोरल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम'' (संशोधित योजना का नाम–प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम) को जशपुर जिले में लागू किया गया है। योजनान्तर्गत जशपुर जिले के 05 विकासखण्ड (जशपुर, मनोरा, दुलदुला, कुनकुरी एवं कांसाबेल) को अल्पसंख्यक विकासखण्ड के रूप में चयनित किया गया है।

12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान चिन्हित अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र के असंतुलन को कम करने एवं इस समुदाय के सदस्यों को बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई इस योजना में केन्द्रांश 75 प्रतिशत एवं राज्यांश 25 प्रतिशत है।

इस योजना के अंतर्गत शिक्षा के लिए आधारभूत संरचना, शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पक्के आवास, सड़क पेयजल, आय के अवसर उत्पन्न करने वाली योजनाओं के बीच की कमी को भरने एवं अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

योजनान्तर्गत कुल 924 कार्य स्वीकृत है। जिसमें 665 कार्य पूर्ण, 68 कार्य प्रगतिरत एवं 191 कार्य अप्रारंभ है। केन्द्रांश राशि रू. 1970.72 लाख एवं राज्यांश रू. 952.29 लाख, इस प्रकार कुल रू. 2923.01 लाख जिला जशपुर को योजना के क्रियान्वयन हेतु पुनराबंटित की गई है।

वर्ष 2019–20 में योजना के तहत भारत सरकार द्वारा 04 सदभाव मण्डप (विकासखण्ड जशपुर, मनोरा, दुलदुला एवं कुनकुरी) हेतु कुल राशि रू. 560.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई, जिसके विरूद्ध प्रथम किश्त में राशि रू. 100.80 लाख एवं राज्यांश राशि रू. 67.20 लाख इस प्रकार कुल राशि रू. 168.00 लाख जिला जशपुर को पुनराबंटित की गई है।

# भाग - छः

# सारांश

छत्तीसगढ़ संविधान की 5वीं अनुसूची में सम्मिलित राज्य है। छत्तीसगढ़ के भौगोलिक क्षेत्रफल का 60 प्रतिशत से अधिक भू–भाग अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत है। अनुसूचित क्षेत्र की कुल जनसंख्या का लगभग 57 प्रतिशत भाग अनुसूचित जनजातियों का है। संविधान की पाँचवीं अनुसूची में वर्णित अधिकारों एवं आदिवासी क्षेत्रों के हितों का संरक्षण विभाग का प्रमुख दायित्व है। विभाग प्रदेश की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक उन्नति के साथ–साथ उनके सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं संवर्धन तथा सामाजिक न्याय प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही विभाग अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदायों की शैक्षिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए योजनाबद्ध तरीकों से अनेक योजनाओं का सतत् क्रियान्वयन कर रहा है। परिणाम स्वरूप अनेक क्षेत्रों में आशातीत सफलताएँ मिली हैं। राज्य बनने के पश्चात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग की सांस्कृतिक विरासत तथा आस्था स्थलों के संरक्षण एवं विकास को चुनौती के रूप में स्वीकार किया गया है। जनसंख्या के अनुपात में विविध समस्याओं एवं आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में इन वर्गों के सर्वांगीण विकास को मूर्त रूप प्रदान करना विभाग की मुख्य प्राथमिकता रही है। इस हेतु विभाग द्वारा अनेक अभिनव योजनाएँ संचालित की जा रही है। शैक्षणिक उत्थान के साथ स्वरोजगारमूलक योजनाओं के माध्यम से आर्थिक आत्म निर्भरता तथा सामाजिक समरसता स्थापित करना विभाग का लक्ष्य है। राज्य के आदिवासी अंचलों के शैक्षिक विकास की दिशा में उल्लेखनीय प्रयास किए गए हैं। विशिष्ठ संस्थाओं के रूप में क्रीडा परिसर एवं एकलव्य जैसे आवासीय विद्यालय के संचालन से इन वर्गों के छात्र–छात्राओं की प्रतिभाओं को निखारा जा रहा है। वहीं राज्य मुख्यालय पर 'प्रयास' जैसी संस्था के संचालन से नक्सल प्रभावित जिलों के प्रतिभावान विद्यार्थियों को बेहतर कैरियर निर्माण हेतु नए अवसर खुले हैं। प्रयास विद्यालय के छात्रों की उल्लेखनीय उपलब्धियों ने बस्तर तथा सरगुजा जैसे प्रदेश के उत्तर तथा दक्षिण में स्थित जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों के शैक्षणिक विकास को नई दिशा प्रदान की है तथा इन दूरस्थ जनजातीय अंचलों के विद्यार्थियों को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के प्रति विशेष जागृति उत्पन्न की है। रायपुर स्थित प्रयास आवासीय विद्यालय की सफलता को देखते हुए विभाग द्वारा संभागीय मुख्यालय जगदलपुर, अम्बिकापुर, दुर्ग और बिलासपुर तथा जिला मुख्यालय कांकेर तथा कोरबा, जशपुर जिलों में भी 'प्रयास' आवासीय विद्यालय संचालित किया जा रहा है। विभाग अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों के शैक्षणिक उत्थान में सहयोग हेतु अनेक योजनाएँ संचालित कर रहा है। विभागीय शिक्षण संस्थाओं तथा छात्रावास/आश्रमों में शिक्षा के क्षेत्र में सूचना तकनीक आधारित शिक्षण/स्मार्ट क्लास/कम्प्यूटर शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि विद्यार्थी वर्तमान क्षेत्र की शिक्षा के क्षेत्र में

तकनीकी नवाचारों से भिज्ञ होकर एवं दक्षता प्राप्त कर प्रतिस्पर्धात्मक बन सके।

आदिवासी उपयोजना के माध्यम से भी विभाग आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए कटिबद्ध है। इन क्षेत्र में आदिवासियों के व्यापक हित में एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं, माडा तथा विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरणों के माध्यम से जनजातियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें स्थानीय आदिवासी जनप्रतिनिधि भी नामांकित किए गए है ताकि वे क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यक्रमों की प्राथमिकताओं का जनजाति समुदाय के हित में निर्धारण कर सकें। जिससे विभिन्न विकास विभागों के उपयोजना कार्यक्रमों के अपेक्षित परिणाम प्राप्त हो सकें। आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों तथा आदिवासी बाहुल्य जनसंख्या वाले क्षेत्रों में स्थानीय विकास व अधोसंरचना निर्माण के कार्यों को गतिशील करने के लिए राज्य में बस्तर विकास प्राधिकरण एवं सरगुजा विकास प्राधिकरण के साथ–साथ नवगठित मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के माध्यम से स्थानीय विकास की आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु अनुकरणीय प्रयास किये जा रहे हैं। इसी प्रकार अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, अनुसूचित जाति उपयोजना तथा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन के माध्यम से अनुसूचित जातियों तथा बाहुल्य क्षेत्रों/ग्रामों का विकास किया जा रहा है। प्रदेश के वर्तमान औद्योगिक/आर्थिक परिदृश्य के अनुक्रम में विभाग की ओर से छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एव विकास निगम द्वारा अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को रोजगार मूलक कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण संबंधित क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञ संस्थाओं के माध्यम से प्रदान कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है तथा अल्पसंख्यक समुदायों के लिए भी निगम स्वरोजगार मूलक योजनाएं संचालित कर रहा है जिसमें वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है।

विकास की असीम संभावना से युक्त छत्तीसगढ़ राज्य को विकास पथ पर अग्रसर करने हेतु आदिवासी हित में बेहतर कार्य करने की प्रतिबद्धता एवं प्रबल इच्छाशक्ति से अभिप्रेरित होकर और पिछले अनुभवों से सबक लेते हुए नीतियों, योजनाओं एवं तौर–तरीकों में परिवर्तन/परिमार्जन का भी प्रयास किया जा रहा है। आदिवासी विकास परियोजनाओं, माडा तथा अभिकरणों की स्वशासी समितियों तथा जनजाति सलाहकार परिषद् के मार्गदर्शन में अभिनव योजनाओं का निर्माण एवं संचालन इस विभाग द्वारा किए गए नवाचार के प्रमाण हैं। यह ही नहीं अब शिक्षा व अन्य क्षेत्रों में आदिवासी एवं अनुसूचित जाति समुदाय की विशिष्ट उपलब्धियों को रेखांकित किया जाने लगा है। इन समुदायों को समाज की मुख्यधारा में लाने हेतु समावेशी विकास की इस यात्रा में विभाग हितप्रहरी के रूप में चुनौतियों को सामना करते हुए निरन्तर प्रगति की ओर अग्रसर है।

माननीय राज्यपाल महोदया के मुख्य आतिथ्य में राज्यस्तरीय
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता का समापन समारोह

शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति आदिवासी लोक कला महोत्सव की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता
दिनांक 15 दिसम्बर 2019 के अवसर पर कार्निवाल में सम्मिलित विभिन्न नर्तक दल

माननीय मंत्री, छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति राज्य स्तरीय आदिवासी लोक कला महोत्सव का शुभारंभ दिनांक 15 दिसम्बर 2019